पंचम माला, खंड 58, अंक 4, गुरुवार, 11 मार्च, 1976/21 फाल्गुन, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVIII, No. 4, Thursday, March 11, 1976/Phalguna 21, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र / Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 58 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. LVIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/ English translation of speeches etc. in English/Hindi]

872 LS—1.

विषय-सूची

अंक 4, गुरुवार, 11 मार्च, 1976/21 फाल्गुन, 1897 (शक)

No. 4, Thursday, March 11, 1976/Phalguna 21, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 62, 63, 66 से 70, 72 और 73	Starred Questions Nos. 62, 63, 66 to 70, 72 and 73	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 61, 64, 65, 71 और 74 से 80	Starred Questions Nos. 61, 64, 65, 71 and 74 to 80	17—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 327 से 443	Unstarred Questions Nos. 327 to 443	22—84
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	84—86
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
महत्वपूर्ण कृषि उत्पादों के समर्थन मूल्य—	Support prices of vital agricultural commodities—	
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira	86—88
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Anna Saheb P. Shinde .	88—92
पांडिचेरी बजट, 1976–77 सामान्य चर्चा और वर्ष 1976–77 के लिए अनुदानों की मांगें—	Pondicherry Budget 1976-77—General Discussion and Demands for Grants. 1976-77—	
श्री जगदीश भट्टाचार्य	Shri Jagadish Bhattacharyya .	94
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira	94—96
श्री अरविन्द बाला पजनौर	Shri Aravinda Bala Pajanor .	96—98
श्री एम० कल्याणसुन्दरम	Shri M. Kalyanasundram	98—99
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	99
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi .	100—101

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
पांडिचेरी विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976—पुरःस्थापित	Pondicherry Appropriation (No. 2) Bill, 1976—*Introduced.*	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	101
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2,3 and 1	102
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	102
नागालैण्ड बजट, 1976–77 सामान्य चर्चा और वर्ष 1976–77 के लिए अनुदानों की मांगें—	Nagaland Budget, 1976-77—General Discussion and Demands for Grants, 1976-77—	
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	105-06
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	106-07
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	109
नागालैण्ड विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976—पुरःस्थापित	Nagaland Appropriation (No. 2) Bill, 1976—*Introduced*	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	109
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	110
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	110
नागालैण्ड के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा को लागू रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution Re. Approval of Continuance in force of proclamation in respect of Nagaland—	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy	111, 114-15
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Deb	112
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira	112-13
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	113-14
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1975–76	Supplementary Demands for Grants (General) 1975-76—	
श्री बी० एन० रेड्डी	Shri B.N. Reddy	120
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Banerjee	120-21
श्री इराज्मुद सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira	121-22
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	123-24
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	124

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 11 मार्च, 1976/21 फाल्गुन, 1897 (शक)

Thursday, March 11, 1976/ Phalguna 21, 1897 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

समेकित स्वास्थ्य योजना

*62. **श्री पी० गंगादेब** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय देश में स्वास्थ्य समस्याओं का मुकाबला करने के लिये स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पौषणिक खाद्य पदार्थों के बीच समन्वय पर आधारित किसी नई नीति पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या नई समेकित स्वास्थ्य योजना के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पांचवीं योजना में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषण सम्बन्धी कार्यों को एक साथ मिला देने का विचार है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक समिति बनाई थी जिसने सुझाव दिया कि एकोद्देश्यीय-कार्यकर्ताओं को बहुद्देश्यीय-काकर्त्ताओं में बदल दिया जाये। इसके बाद "चिकित्सा, शिक्षा और सहायक कर्मचारीवृन्द" विषय पर विचार करने के लिए एक और दल बनाया गया। इस दल ने पहले वाली समिति के सुझावों का समर्थन करते हुए यह भी सुझाव दिया कि सामुदायिक स्तर के कार्यकर्त्ताओं की एक मंडली बनाई जाये और बहुद्देश्यीय-कार्यकर्त्ताओं

श्रौर उनके सुपरवाइजरों के काम में छोटे मोटे रोगों के निदान श्रौर उपचार की सुविधाएं देना भी जोड़ दिया जाये ताकि वे मिली-जुली सेवाएं प्रदान करने में अधिक कारगर सिद्ध हो सकें।

इन समितियों के सुझावों के आधार पर कार्य योजना बना ली गई है जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(क) उन पुरुष एकोद्देश्यीय-कार्यकर्त्ताश्रों को प्रशिक्षण / विषय परिचायक ज्ञान देना जो पहले मलेरिया, चेचक, परिवार नियोजन श्रौर रोहे नियंत्रण कार्यक्रमों में नियुक्त थे ताकि उन्हें बहुद्देश्यीय-कार्यकर्त्ताश्रों में बदला जा सके;

(ख) श्रतिरिक्त महिला बहुद्देश्यीय-कार्यकर्त्ताश्रों को नियुक्त करना;

(ग) (i) सामुदायिक स्तर के कार्यकर्त्ता तैयार करना; श्रौर

(ii) स्वास्थ्य सहायकों का एक काडर तैयार करना। वर्तमान सुपरवाइजरों को फिर से विषय-परिचायक ज्ञान देना श्रौर स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताश्रों तथा स्वास्थ्य सहायकों का स्वास्थ्य, परिवार नियोजन श्रौर पोषण के निरोधी श्रौर संवर्धक पक्षों के कामों पर ही न लगा कर उन्हें उपचार के काम पर भी लगाना।

(घ) मेडिकल कालेजों को सामुदायिक स्वास्थ्य की समस्याश्रों के समाधान के कार्यों में लगाना ताकि एक व्यापक स्वास्थ्य रेफरेल कम्प्लेक्स तैयार हो सके।

इस कार्ययोजना पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् श्रौर केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् की श्रप्रैल, 1976 के मध्य में होने वाले संयुक्त अधिवेशन में विचार किया जायेगा।

श्री पी० गंगादेब : यह खुशी की बात है कि समेकित स्वास्थ्य योजना सम्बन्धी कार्ययोजना पर आगामी श्रप्रैल में विचार किया जायेगा। हमारे देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार श्रौर श्रल्प-रोजगार व्यक्तियों की अधिक संख्या के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगार व्यक्ति बीमा योजना को, जैसाकि हम यू० के० में देखते हैं, गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के जीवनयापन को प्रभावित करने के लिये इस नई समेकित स्वास्थ्य योजना का एक महत्वपूर्ण श्रंग बनाया जायेगा ? यदि हां, तो इसे लागू करने के लिए सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

डा० कर्ण सिंह : वास्तव में यह योजना स्वास्थ्य, पोषक खाद्य-पदार्थों श्रौर परिवार नियोजन में समन्वय लाने के लिए बनाई गई है। रोजगार का इससे सीधा सम्बन्ध नहीं है। यह एक अलग मामला है श्रौर मुझे विश्वास है कि श्रम मंत्री गांवों में बेकारी के लिए कोई योजना बतायेंगे परन्तु यहां पर ग्रामीण लोगों का स्वास्थ्य सुधारने पर बल दिया गया है।

श्री पी० गंगादेब : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस समेकित योजना को सफल बनाने के लिए आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन का पूर्व शर्त के रूप में होना आवश्यक है श्रौर यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या विचार है ?

डा० कर्ण सिंह : आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन श्रौर गांवों में बेकारी निश्चय ही अत्यन्त वांछनीय बातें हैं, परन्तु सम्भवतः श्रम मंत्री इसका ब्यौरा दे सकेंगे।

श्री जगन्नाथ राव : क्या मैं जान सकता हूं कि इस समेकित स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कुछ वित्तीय सहायता दे रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह समेकित योजना अत्यन्त आवश्यक है। कम से कम किसी लोक स्वास्थ्य केन्द्र से 10 से 20 किलो-मीटर की परिधि में आस-पास के क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मोबाइल गाड़ियों की खरीद के लिए।

डा० कर्ण सिंह : ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के लिए निधि का अधिकांश भाग राज्य क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में पहले से प्रावधान किया जाता है। इसके अलावा कुछ प्रस्तावों को विशेष रूप से लागू करने के लिये हम विभिन्न क्षेत्रों में, विशेषकर बहुद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सहायकों का एक नया संवर्ग बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त संसाधन जुटाने का आयोजन कर रहे हैं। मोबाइल गाड़ियों का प्रश्न कुछ समय से विचाराधीन है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में वृद्धि से मोबाइल गाड़ियां विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में महंगी पड़ती हैं। परन्तु हम इस पहलू को ध्यान में रख रहे हैं।

श्री के० लकप्पा : परिवार नियोजन और पोषक खाद्य-पदार्थों के समेकन पर आधारित नई नीति क्या है? दुर्भाग्यवश जनसंख्या की वृद्धि के कारण देश में स्थिति विस्फोटक है। मैं जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का स्वास्थ्य सुधारने की समेकित पद्धति के रूप में जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिये मंत्रालय ने क्या नई नीति अपनाई है? विभिन्न राज्यों मे प्रावधान की गई धनराशि को बर्बाद किया गया है।कर्नाटक जैसे राज्य में परिवार नियोजन सम्बन्धी विज्ञापनों पर 27 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए नई नीति को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि देश में जनसंख्या सम्बन्धी विस्फोटक स्थिति पर सफलतापूर्वक काबू पाया जा सके?

डा० कर्ण सिंह : जनसंख्या वृद्धि से निश्चय ही विस्फोटक स्थिति पैदा होगी। नई नीति की एक महत्वपूर्ण बात परिवार नियोजन को स्वास्थ्य और पोषक खाद्य-पदार्थों से जोड़ना है। परिवार नियोजन एक स्वतंत्र कार्यक्रम होने पर अधिक प्रभावी नहीं हो सकता जबकि अब हमारा यह विचार है कि यदि परिवार नियोजन को स्वास्थ्य निवेशों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए तथा शिशुओं के लिए प्रतिरक्षण और पोषक खाद्य-पदार्थों और सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाये तो यह अधिक स्वीकार्य होगा।

अत: हमारा विचार है कि स्वास्थ्य और पोषक खाद्य-पदार्थों से परिवार नियोजन को मिलाने की इस मूल नई विचारधारा से इस विस्फोट को नियंत्रित करने में अधिक सहायता मिलेगी।

National Waterways

***63. Shri Chandrika Prasad** : Will the **Minister of Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Bhagwati Committee has recommended that the important rivers of the country may be declared as national waterways;

(b) if so, the names of the rivers which have been declared as national waterways; and

(c) whether the fomer Transport Minister issued public statements declaring Ganga River as a national waterway?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) जी, हां।

(ख) किसी भी जल पथ को अभी तक राष्ट्रीय जल पथ घोषित नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

Shri Chandrika Prasad : The former Transport Minister Shri Raj Bhadur and Shir Dixit had stated and given an assurance in the House that every thing is ready to declare Ganga from Allahabad to Calcutta as a national waterway. It is not understood why is this delay in the matter. Will the Minister please state the reasons for the delay or state whether Shri Dixist had stated like this or not ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : माननीय सदस्य सम्भवत: केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय जल परिवहन बोर्ड की बैठक में भूतपूर्व परिवहन मंत्री के उस वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय जलमार्गों के सम्बन्ध में क्या हो रहा है यह बताते हुए कहा था कि राष्ट्रीय जलमार्गों पर विचार करने के लिए एक समिति है। उस समिति ने सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय जलमार्गों पर एक विधेयक बनाया जायेगा। उसने यह भी सिफारिश की थी कि फरक्का बांध के पूरा होने के बाद गंगा–भागीरथी–हुगली जल मार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा सकता है। अब फरक्का बांध योजना की 1976 के अंत तक पूरा होने की सम्भावना नहीं है जसाकि पहले सोचा गया था। अत: गंगा–भागीरथी–हुगली जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रश्न अभी भी विचाराधीन है।

Shri Chandrika Prasad : In part (b) of the question I had asked the names of the rivers which have been recommended to be declared national water ways by the Bhagwati Committee. These names are not here. By what time other rivers, besides Ganga, will be declared national waterways ?

Mr. Speaker : He had given the reply that it will be done by 1976.

Shri Chandrika Prasad : What are the names of the remaining rivers which have been recommended by the Bhagwati Committee to be declared as national waterways indicating the time by which it will be done ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : भगवती कमेटी की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने वाले जलमार्गों पर विचार करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति ने सिफारिश की थी कि सरकार राष्ट्रीय जलमार्गों सम्बन्धी एक विधेयक पेश करने के प्रश्न पर विचार करे और ऐसा विधेयक विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : वह नदियों के नाम जानना चाहते हैं।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : भगवती समिति ने यह सिफारिश नहीं की थी कि कुछ नदियां राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित की जा सकती हैं। उन्होंने कहा था कि सम्भवत: कुछ नदियां ऐसी हैं जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : वे उन नदियों के नाम चाहते हैं।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : भगवती समिति द्वारा बताये गये नदियों के नाम इस प्रकार है; समिति ने यह नहीं कहा कि इन नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाये। नाम इस प्रकार है : गंगा–भागीरथी–हुगली; ब्रह्मपुत्र, मांडवी और जुआरी, गोआ में कुम्बाजुई, महानदी, गोदावरी और नर्मदा।

श्री प्रबोध चन्द्र : माननीय मंत्री ने बताया है कि जलमार्ग बनाने का प्रश्न फरक्का बांध के पूरा होने से जुड़ा हुआ है। क्या सरकार अब भी इस बात के लिए वचनबद्ध है कि इसके पूरा होने के तुरन्त बाद वह उन क्षेत्रों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने वाले विधेयक को पेश करने पर विचार करेगी ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : मेरे विचार में सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने सम्बन्धी कोई वचन नहीं दिया है। भगवती समिति ने कतिपय नदियों का नाम बताया है जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग बनाया जा सकता है और उसने यह भी सिफारिश की थी कि इसकी जांच के लिए एक समिति नियुक्त की जाये। वह समिति नियुक्त की गई और उस समिति ने सिफारिश की कि एक विधेयक बनाया जाये जिसे सरकार बना रही है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : भारतीय सभ्यता न केवल भौगोलिक तत्वों और पहाड़ों और नदियों पर अपितु देश की राष्ट्रीय अखण्डता के सिद्धान्त के सम्बन्ध में प्राचीन सभ्यता, नदियों और पहाड़ों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण पर आधारित है। हमें प्रान्तीयता, भाषायी और धार्मिक संकीर्ण दृष्टिकोण को समाप्त करना चाहिए। क्या इस सन्दर्भ में देश की सभी प्रमुख नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जायेगा ?

नौवहन तथा परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : समस्या यह है कि हमें आधारभूत ढांचे की लागत का मूल्यांकन करना पड़ता है। यह लागत 100 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी और यह भी केवल गंगा में आधारभूत ढांचे के लिये है। नदियां राष्ट्रीय एकता के उत्तम साधन हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार में राष्ट्रीय जलमार्गों सम्बन्धी भगवती समिति का सिद्धान्त यह है कि कुछ नदियों का महत्व केवल राज्यीय या प्रान्तीय विचारधारा को दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस मामले पर पुनर्विचार कर रही है क्योंकि सरकार यह महसूस करती है कि यदि कुछ नदियों को राष्ट्रीय राजमार्ग की तरह राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया जाये तो सरकार को राष्ट्रीय जलमार्गों के रख-रखाव के लिए अतिरिक्त धन व्यय करना पड़ेगा। क्या यही कारण है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में स्पष्ट आश्वासन क्यों नहीं देती कि वह इस सम्बन्ध में एक विधेयक लायेगी।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक में, जब इसे अन्तिम रूप दिया जायेगा, राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का मापदण्ड दिया होगा। इससे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किये जायेंगे। यह सरकार को कुछ नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने की शक्ति प्रदान करेगा। यह सच है कि राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक या किसी कानून से राष्ट्रीय जलमार्गों के रख-रखाव की समस्या पैदा होगी जो केन्द्रीय सरकार का ही काम होगा। इस कारण से केन्द्रीय सरकार नहीं हिचकिचा रही। मुख्य कारण यह है कि इनमें से बहुत सी नदियां, जहां राष्ट्रीय जलमार्ग उपलब्ध हैं, वास्तव में कई वर्षों से उपयोग में नहीं लाई गई हैं। इन नदियों या राष्ट्रीय जलमार्गों का नवीकरण करने का उद्देश्य माल की ढुलाई और यात्रियों का आवागमन है अर्थात् अन्तर्राज्यीय जहाजरानी। इसके लिए 125 करोड़ रुपये पूंजी व्यय निवेश की आवश्यकता है। अब देखना यह है कि यह ऐसा करना आवश्यक है या नहीं।

भगवती समिति के प्रतिवेदन से यह भ्राम धारणा पैदा हुई है कि अन्तर्राज्यीय जहाजरानी अन्य परिवहन साधनों से सस्ती है। पूंजी व्यय पर इतना अधिक धन खर्च करके, क्योंकि परिवहन के अन्य साधन काफी विकसित किये जा चुके हैं, यह तो कहना सम्भव नहीं कि अन्तर्देशीय नौवहन सस्ता माध्यम रहेगा। हां कुछ नदियों के बारे में ऐसा कहा जा सकता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : पहले उन्होंने कहा है कि इस सम्बन्ध में अतिरिक्त वित्तीय बोझ के कारण परियोजना को नहीं छोड़ा गया। बाद में उन्होंने कहा कि इन नदियों के विकास के लिए 125.00 करोड़ रुपये चाहियें। इसलिए इस परियोजना में झिझक हो रही है। यह कैसा उत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का उत्तर लम्बा और भ्रान्तिपूर्ण है। उत्तर तो स्पष्ट, संक्षिप्त और सीधा होना चाहिए।

राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार

*66. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धन की कमी के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार में रुकावट पैदा हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख). वर्तमान वित्तीय कठिनाई के कारण पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत अल्प नियतनों से राष्ट्रीय राज मार्गों के विकास तथा सुधार कार्यों में निःसन्देह किसी हद तक बाधा पड़ी है। परन्तु भारत सरकार स्थिति से पूर्णतया सजग है तथा नियतनों को बढ़ाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। परिणामस्वरूप 1975-76 के बजट अनुमानों में 48.00 करोड़ रुपये की व्यवस्था को बढ़ाकर 54.0,0 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

Shri R.S. Pandey : Sir, wide roads and national highways are essential for the economic development of a country. Goods traffic has increased manifold after Independence. It was 34 billion tonnes kilometres in 1965-66 and in 1973-74 it rose to 65 billion tonnes kilometres and according to the draft of fifth five year Plan it may rise up to 100 billion tonnes kilometres by 1978-79. An amount of Rs. 500 crores has been provided for this purpose during the Fifth Plan which is a small amount.

Shri Dalbir Singh : The hon. Member is right that load movement on roads is increasing. Schemes are being framed keeping this point in view. As he himself has said there is a shortage of money. This time we have got Rs. 54 crores instead of Rs. 48 crores. We hope to get more in future.

Shri. R.S. Pandey : Will the Minister give us the break up of this amount? How much money will be provided to each State.? Has any amount remained unutilised and if not, the mode of utilising the amount?

Shri Dalbir Singh : I cannot provide all the details. You can ask about some specific lapse of money. The year-wise break up of the amount is as follows :—

We received about Rs. 60 crores in 1973-74., Rs. 55·53 crores in 1975-76 and they have agreed to provide Rs. 54 crores during 1975-76.

श्री विश्वनाथ राय : वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि अनेक राज्यों से होकर गुजरने वाले बरेली से गौहाटी तक के राजपथ संख्या 28 के निर्माण का कार्य पूरा करने का क्या कोई निश्चित कार्यक्रम है ? यह कब तक पूरा हो जायेगा ?

श्री दलबीर सिंह : यदि किसी विशेष राजपथ के बारे में प्रश्न पूछे गये तो प्रश्न बहुत विस्तृत हो जायेगा। सभी राजपथों के बारे में बताना सम्भव नहीं।

Shri Jagannath Mishra : The Government has a comprehensive scheme of linking Assam, U.P. and Bihar through a national highway. The road has been completed upto Darbhanga, but lateron work was abandoned due to the Chinese war. The then Minister of Shipping & Transport had said that money would be provided.

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुभव करता हूं कि बड़े लम्बे प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर और भी लम्बे होते हैं जिनसे मुख्य बात का उत्तर रह जाता है। आप संक्षिप्त प्रश्न पूछिये।

Shri Jagannath Mishra : It has been stated that this will be taken up during the fifth plan. May I know whether work relating to this road will be taken in hand out of the amount which has been provided at present.

The Minister of Shipping & Transport (Dr. G. S. Dhillon) : I have already said and I repeat the same that the construction of new highways has been postponed. If any repairs are to be carried out, the matter can be considered.

मरु क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि

*67. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के मरू क्षेत्रों में जनसंख्या की सघनता विश्व के अन्य रेगिस्तानी क्षेत्रों में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की तुलना में 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं;

(ख) क्या गत बीस वर्षों में इस राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में मरू क्षेत्रों में जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के मरू क्षेत्रों के आठ जिलों अर्थात् जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, नागौर, चुरु, पाली तथा जालौर में जनसंख्या की सघनता 37 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी।

(ख) गत 20 वर्षों की अवधि में मरू क्षेत्रों में जनसंख्या की वृद्धि दर 62.10 प्रतिशत थी जबकि अन्य क्षेत्रों वृद्धि दर 61.08 प्रतिशत थी।

(ग) सभी क्षेत्रों में परिवार नियोजन को तेज करने के लिए कार्यवाही की जा चुकी है।

श्री नरेन्द्र कुमार साँघी : उत्तर से स्पष्ट है कि मरुक्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा जनसंख्या का विकास अधिक तेजी से हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि परिवार नियोजन उपायों के अतिरिक्त लोगों को कार्यरत रखने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

डा० कर्ण सिंह : यदि सदस्य महोदय के पास कुछ उपाय हों तो वह हमें बतायें।

श्री नरेन्द्र कुमार साँघी : रेतीले क्षेत्रों में चिकित्सा एवं परिवार नियोजन सुविधाओं की कमी है। मेरे विचार से उन क्षेत्रों में चलते फ़िरते शल्य चिकित्सा एकक और परिवार नियोजन एकक अधिक संख्या में भेजे जायें।

डा० कर्ण सिंह : जहां तक रेतीले, आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों का सम्बन्ध है, हम ने विशेष सिद्धान्त अपनाया है। सामान्यतया 1 लाख जनसंख्या के पीछे एक स्वास्थ्य केन्द्र होता है। परन्तु हम इन क्षेत्रों में 50,000 लोगों के पीछे एक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने को तैयार हैं। हम लोग इन क्षेत्रों को अधिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं।

Shri Ram Kanwar : There are certain villages in Rajasthan where dispensaries are situated at distant places. So people are not familar with the family planning programmes. May I know whether Government will pay more attention to these areas to provide better health services.

Dr. Karan Singh : There is no doubt that there are certain backward areas in our country where health services are not adequate. Rajasthan is also a backward State. As I have already stated we are paying more attention towards these areas.

Shri Paripoornanand Painuli : The hon. Minister has said that population in arid zones of Rajasthan is more and family planning programme will be intensified in these areas. But I feel that family planning is essential for other zones as well. I think because of environmental circumstances the procreation power in women is much more. Have You studied this problem from this angle and if so. the results thereof ?

Dr. Karan Singh : I think it is not justified to blame only the women. The men also have a large contribution. We have not made this type of comparative study as you have suggested I think there is not much difference betwhen arid zones and non-arid zones. It may be so in foreign countries but there is a difference of background so faras this subject is concerned.

नेशनल जूट मिल नम्बर 2, हावड़ा के श्रमिकों को जबरन छुट्टी

*68. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हावड़ा (पश्चिम बंगाल) में स्थित नेशनल जूट मिल नम्बर 2, के चार सौ श्रमिकों की जबरन छुट्टी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख). यह मामला अनिवार्यतः राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है। राज्य सरकार से टेलीफ़ोन पर प्राप्त किये गये नवीनतम सन्देश के अनुसार प्रबन्ध ने अब तक जबरी छुट्टी वापस ले ली है।

श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी : पिछली रात प्राप्त टेलीफ़ोन सन्देश के अनुसार, यद्यपि बाद में इसमें सुधार हो सकता हैं, तथ्य इस प्रकार है : नेशनल जूट मिल्ज में आग लग गई । इस

दुर्घटना के बाद मिल संख्या 1 में 6-1-76 को 2,099 श्रमिकों की जबरन छुट्टी कर दी गई। 7-1-76 को 6,770 श्रमिकों को उसी मिल में जबरन छुट्टी दे दी गई। 8-1-76 से जबरन छुट्टी समाप्त कर दी गई। मिल संख्या 2 में 1,160 श्रमिकों को जबरन छुट्टी दी गई। 7-1-76 से 12-1-76 तक 4,797 श्रमिकों को जबरन छुट्टी दी गई। यह जबरन छुट्टी 13-1-76 को समाप्त कर दी गई। उसके बाद 3-2-76 को आग लगने की और घटना हुई जिसके कारण मिल संख्या 1 में 1,610 श्रमिकों को जबरन छुट्टी दी गई। 4-2-76 से 7-2-76 तक प्रतिदिन 1,728 श्रमिकों को जबरन छुट्टी दी गई। 8-2-76 को जबरन छुट्टी समाप्त कर दी गई। जबरन छुट्टी के लिए मुआवजा दिया गया था।

Shri Mohammed Ismail : The hon. Minister very well knows that jute employers of Bengal have started a cold war against the Central Government. They are resorting to retrenchment. lay off and other things. Neither the State Government nor the Central Government are allowed to interfere. In these circumstances national Jute Mill no. 2 was put on fire on the 7th January and 12000 workers were laid off the next day and another 4000 workers were liad off on the second day. May I know the causes for this fire, why lay off was resorted to and what steps have been taken by the State Government to compensate the workers ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जो भी सूचना मेरे पास थी मैंने आपको दे दी है। वास्तव में सदस्य महोदय ने केवल 400 श्रमिकों के बारे में प्रश्न किया है जिन्हें जबरन छुट्टी दी गई थी। आग क्यों लगाई गई इस बात का पता राज्य सरकार लगायेगी क्योंकि यह मामला राज्य सरकार का है।

Shri Mohammed Ismail : Afterwards National Jute Mill No. 1 was put on fire on the 3rd Ferbuary and 8000 workers were laid off. I have received information that this Mill has been sold to Shri Jhunjhunwala. If every thing has to be dealt with by the State Government, then what he has been doing here ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : 3-2-76 को एक और आग लग गई जिसके कारण मिल संख्या 1 में 1610 कार्मिकों को 4-2-76 से जबरी छुट्टी करनी पड़ी। यह सूचना हमें टेलीफ़ोन द्वारा प्राप्त हुई। मुझे इसकी जांच करनी है और मैं पुष्टि की प्रतीक्षा कर रहा हूं। यह प्रश्न, कि क्या इसे झुनझुनवाला आदि को बेच दिया गया है, मेरे कार्यक्षेत्र में नहीं आता।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मंत्री महोदय ने विचित्र बात बताई है कि उन्हें अभी राज्य सरकार से उत्तर नहीं मिला तथा केवल टेलीफ़ोन द्वारा जानकारी मिली है। आपको स्मरण होगा कि मैंने दो-तीन बार इस मामले को नियम 377 के अन्तर्गत उठाने की चेष्टा की क्या वहां पर कोई अग्निकांड हुआ है जिसके कारण गंभीर बेरोजगारी की समस्या पैदा हो गई है तथा क्या सरकार उसकी जांच करवायेगी। अब उन्होंने कुछ आंकड़े दिये हैं। मुझे सन्देह है कि क्या यह आंकड़े वास्तविक हैं अथवा किसी निहित पक्ष ने सरकार तथा जनता की आंखों में धूल डालने के लिये दिये हैं। इसलिए मेरा प्रश्न यह है क्या सरकार ने इस बीच में आग के कारणों का पता लगाने की चेष्टा की है, और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : क्या आप मुझे इस बारे में वाद विवाद में न पड़ने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : इस पर वाद-विवाद न किया जाये।

श्री रघुनाथ रेड्डी : प्रश्न यह पूछा गया है :

"कि क्या सरकार का ध्यान, हावड़ा में नैशनल जूट मिल नं० 2 में 400 कार्मिकों को जबरी छुट्टी दिये जाने की ओर दिलाया गया है ?"

वास्तव में मैंने बताया है कि जबरी छुट्टी दिये गये व्यक्तियों की संख्या 400 से अधिक है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : कृपया हमें संरक्षण दें। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ने आग के कारण जानने का प्रयास किया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि यह मामला राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार का है।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : आप कृपया उनसे पूछिये। उन्हें बताने दीजिये कि यह मामला केन्द्रीय सरकार का नहीं है। यदि किसी पटसन की मिल में भयानक आग लग जाये तो मंत्री महोदय बतायें कि क्या वह मामला उनके क्षेत्राधिकार में आयेगा ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मुझे पता नहीं कि क्या श्रम मंत्रालय का इससे सम्बन्ध है परन्तु यह मामला निश्चय ही राज्य सरकार का है। माननीय सदस्य अनुभवी श्रमिक नेता हैं, उन्हें अवश्य इस बारे में पता होगा। आगे इस सभा ने जबरी छुट्टी, छंटनी और तालाबन्दी के बारे में एक कानून बनाया है जोकि सभी राज्यों पर लागू होगा। इस कानून को राज्य सरकार लागू करेगी।

श्री पी० एम० मेहता : मैं जानना चाहता हूं कि क्या औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा अन्य अधिनियम के अधीन कोई जांच की गई है, यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ? कितने जन दिवसों की हानि हुई तथा उत्पादन में कितनी हानि हुई ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मेरे पास जो भी जानकारी थी वह सभा को दे दी गई है। और जानकारी प्राप्त करने की मैं कोशिश करूंगा।

नये शिप्यार्डों के स्थल

*69. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बीच विदेशी परामर्शदाताओं से नये शिपयार्डों के निर्माण स्थल के लिये परियोजना रिपोर्ट मिल गई है; और

(ख) यदि हां, तो वे स्थान कौन-कौन से हैं जहां ये शिपयार्ड बनाये जायेंगे ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) और (ख): सरकार द्वारा 1973 में गठित एकनीकी आर्थिक कार्य दल, जिसने विभिन्न स्थलों और प्रत्येक स्थल के सम्बन्ध में सभी उपलब्ध प्रारम्भिक तकनीकी आंकड़ों की जांच की, ने पांचवीं पंच वर्षीय योजना में नये शिपयार्डों की स्थापना के लिए चार निर्माण स्थलों की सिफ़ारिश की। ये स्थल हैं--गुजरात में हजीरा, गोआ में कुलीबंगानी, उड़ीसा में पारदीप और पश्चिम बंगाल में हल्दिया। इन चार स्थलों पर प्रारम्भिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन विदेशी परामर्शक रखे गये। विदेशी परामर्शकों से प्राप्त रिपोर्टों की जांच की जा रही है। शिपयार्डों की स्थापना तथा उनके स्थान के संबंध में निर्णय जांच कार्य के पूरे होने पर किया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : पांचवीं योजना में निर्धारित किया गया था कि पांचवीं पंच वर्षीय योजना में ये शिपयार्ड तैयार हो जायेंगे। अब जबकि पांचवीं योजना के चार वर्ष समाप्त हो गये

हैं और सरकार अभी तक परियोजना सम्बन्धी प्रतिवेदनों की जांच कर रही है जोकि उन्हें अभी प्राप्त हुए हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय सभा को विश्वास में लेते हुए यह बतायेंगे कि इस मामले में इतना विलम्ब क्यों हुआ है ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : हमें विदेशी तकनीकी परामर्शदाताओं के प्रतिवेदन कुछ महीने पूर्व ही प्राप्त हुए थे।

श्री एच० एम० पटेल : कुछ महीने पूर्व का क्या अभिप्राय है ?

श्री सुरेन्द्र महन्ती : तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण ग्रुप को यह मामला 1973 में सौंपा गया था। तीन वर्ष व्यतीत हो गये हैं। क्या सरकार ने इस ग्रुप को अपना प्रतिवेदन शीघ्र देने को कहा था ? यह परियोजनाएं कब निर्मित हो सकेंगी ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : तकनीकी आर्थिक कार्य दल भारत सरकार का देशी ग्रुप है। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। तब से हम ने विदेशी परामर्शदाता नियुक्त किये थे जिनके प्रतिवेदन अभी कुछ महीने पूर्व प्राप्त हुए हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या मैं जान सकता हूं कि प्रारम्भ में भारत सरकार द्वारा स्थापित तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी कि शिपयार्ड परियोजना के लिये हल्दिया ही एकमात्र वांछनीय परियोजना स्थल है। इसके पश्चात सरकार ने किन कारणों से यह आवश्यक समझा कि विदेशी परामर्शदाता इस मामले की जांच करें ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जब प्रारम्भ में तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण दल ने हल्दिया को एकमात्र शिपयार्ड परियोजना के रूप में चुना तब विदेशी परामर्शदाताओं को इसकी जांच करने के लिए क्यों कहा गया ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : तकनीकी आर्थिक कार्य दल ने 11 स्थलों की जांच की जिनकी तटवर्ती राज्य सरकारों ने सम्बद्ध गुणों का विचार करके सिफ़ारिश की थी और सम्भव 4 स्थलों का सुझाव दिया।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय ने बताया कि विदेशी विशेषज्ञों का प्रतिवेदन कुछ महीने पूर्व प्राप्त हो गया था। मैं उनसे विशेष रूप से पूछना चाहता हूं कि ठीक कितने महीने पहले उन्हें प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था और उन्हें उसके अध्ययन में और कितना समय लगेगा, ताकि, उनका चाहे जो भी निर्णय हो, शिपयार्डों का कार्य आरम्भ किया जा सके।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : लगभग 10 मास पूर्व। तकनीकी, विशेषज्ञों के प्रतिवेदन के प्राप्त होने का यह अर्थ नहीं कि हम परियोजना का काम हाथ में ले लें। कई और पहलुओं पर भी विचार करना होता है।

श्री एच० एम० पटेल : प्रतिवेदन को प्राप्त हुए दस महीने हो गये हैं। वास्तव में यह कार्यवाही मामले से बचने की है। उन्होंने यह नहीं बताया कि कितनी प्रगति हुई है। उन्होंने मात्र यही कहा है कि कई और पहलुओं पर भी विचार करना है। इस पर विचार कब तक कर लिया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आप बता सकते हैं कि इस पर कितना समय लगेगा, अथवा नहीं ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : जैसा कि मैंने बताया तकनीकी परामर्शदाताओं के प्रतिवेदन पर विचार करने पर कितना समय लगेगा यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तकनीकी परामर्शदाताओं के प्रतिवेदन पर विचार स्थलों के मामले पर हो रहा है। परन्तु परियोजना पर भी विचार करना है।

चासनाला कोयला खान दुर्घटना की जाँच

*70. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चासनाला कोयला खान दुर्घटना के बारे में जांच न्यायालय की रिपोर्ट मिल गई है;

(ख) इस दुर्घटना के क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). दुर्घटना के कारणों और परिस्थितियों के बारे में जांच न्यायालय द्वारा जांच की जा रही है।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मंत्री महोदय ने बताया कि मामले की न्यायिक जांच हो रही है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि यह न्यायिक जांच कब तक पूरी हो जायेगी, क्या दो महीने में, अथवा छः महीने में अथवा कितने समय में और क्या खान सुरक्षा के महानिदेशक का पद भरा जायेगा अथवा उसे नहीं भरा जायेगा।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जांच अदालत 31 दिसम्बर, 1975 को गठित की गई थी। उसकी तीन बैठकें हो चुकी हैं। मैं यह नहीं बता सकता कि जांच अदालत कितना समय लेगी, क्योंकि यह न्यायिक जांच है मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

दूसरे प्रश्न के बारे में निवेदन है कि विभागीय पदोन्नति परिषद् की बैठक पिछले वर्ष हुई थी परन्तु उसने किसी उम्मीदवार को नहीं चुना। हम मामले को पदोन्नति समिति के पास दुबारा भेज रहे हैं और जैसे ही वे किसी उम्मीदवार का चयन करती हैं हम उसे नियुक्त कर देंगे।

सरदार स्वर्णसिंह सोखी : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या जांच न्यायालय को महत्वपूर्ण साक्ष्य, अर्थात् खानों के विस्फोट निदेशक के आदेश, आदि से वंचित रखा जा रहा है?

श्री रघुनाथ रेड्डी : क्योंकि इस मामले की न्यायिक जांच हो रही है मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता।

Shri Md. Jamilurrahman :

There can be no difference of opinion that due to Chasnala incident the whole country is full of sorrow. It has been published in the Press that unlawful digging is taking place in many mines, wherein a number of labourers are employed. Would the hon. Minister take steps to stay unlawful digging in the mines and the workers are saved from dangers so that the incidents of chasnala are not repeated ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : खानों की गैर कानूनी खुदाई का अदालती जांच से कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने उनकी बात समझी है ? उन्होंने कहा है कि गैर-कानूनी खुदाई जारी है और पूछा है कि क्या चासनाला जैसी दुर्घटना दुबारा न हो इसके लिये कार्यवाही की जा रही है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि मैंने उन्हें ठीक समझा है तो गैर-कानूनी खुदाई का अभिप्राय है बिना लाइसेंस के खुदाई कार्य किया जाना। यदि इसका यही अर्थ है तो स्वाभावतः सरकार कार्य करती रही है और बिहार सरकार भी इस मामले पर ध्यान दे रही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हालांकि जांच अदालत की नियुक्ति की गई है, यह सरकार का कर्तव्य है कि विशेष रूप से अपनी क्षमतानुसार ऐसे हालात पैदा किये जायें कि जिससे जांच प्रभावी एव विस्तृत रूप से की जा सके। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्योंकि वह खानों से पानी निकाले जाते समय तथा बचाव कार्य करते समय दो-तीन बार वहां गये हैं, क्या सरकार ने ऐसी कार्यवाही को है कि भूतपूर्व प्रबन्धक मंडल के लोग, अर्थात् राष्ट्रीयकरण से पूर्व इस्को के प्रबन्धक लोग दुबारा खानो में न जा पायें और जबकि जांच आरम्भ हो चुकी है।

दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीयकरण से पूर्व के सभी पत्र तथा रिकार्ड जोकि पूर्व प्रबन्धकों के हाथ में थे जांच अदालत ने अपने अधिकार में कर लिये हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : बचाव कार्यों से सम्बद्ध पूर्व प्रबन्ध वाले व्यक्ति भी इसमें भाग ले रहे हैं। कभी-कभी यह लोग खान में बचाव कार्यों में सहयोग देने के लिये जाते हैं।

दूसरे मामले के बारे में, जोकि माननीय सदस्य ने बताया मेरे पास, कोई जानकारी नहीं है।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित अन्य मामलों का सम्बन्ध है जांच अदालत इस मामले पर विचार कर रही है और इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं इस मामले को अदालती जांच के कारण नहीं उठाना चाहता। मैं केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि क्या अदालती जांच के आरम्भ होने से पूव सरकार ने कोई कार्यवाही की थी जिससे कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व के रिकार्ड जोकि 'इस्को' के अधिकार में था, जांच अदालत को उपलब्ध करा दिया जाये जबकि वह अपना कार्य शुरू करे।

श्री रघुनाथ रेड्डी : जांच अदालत स्वयं इस पर ध्यान देगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है तो वह स्पष्ट बता सकती है।

श्री रघुनाथ रेड्डी : पहले तो खान अधिनियम के अन्तर्गत खान सुरक्षा महानिदेशक अथवा सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा जांच कराई जानी चाहिए और उनके पास कुछ साक्ष्य हो सकता है अथवा कुछ ब्यान रिकार्ड किये होगें।

अध्यक्ष महोदय : यदि जांच अदालत इन अभिलेखों को चाहे तो क्या उन्हें यह उपलब्ध किये जा सकते हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जांच अदालत को किसी भी रिपोर्ट को मंगाने का अधिकार है।

872 L.S.—2

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं जांच अदालत के अधिकारों पर भाषण नहीं चाहता। मैं 'हां' अथवा 'न' में उत्तर चाहता हूं। क्या रिकार्ड उपलब्ध हैं अथवा नहीं और क्या इन्होंने उसे जांच अदालत के समक्ष रखने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : आप कृपया मुझे क्षमा करें परन्तु यह मामला जांच अदालत के विचाराधीन है और उन्हें पता है कि कौन से अभिलेख आवश्यक हैं। मैं समझता हूं कि यदि जांच अदालत किसी भी पक्ष से कोई पत्र चाहती है तो उपलब्ध रिकाड उन्हें दे दिये जायेंगे।

गोलियों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में घातक थक्का बनना (क्लाटिंग) की बीमारी में वृद्धि

*72. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि गोलियों का प्रयोग न करने वाले व्यक्तियों की तुलना में गोलियों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों में गम्भीर और घातक थक्का बनने (क्लाटिंग) की बीमारी में सात गुनी वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) विदेशी पत्र-पत्रिकाओं में छपी ऐसी कुछ रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं।

(ख) पश्चिमी देशों की तुलना में अन्य गर्म देशों और अफ्रीकी देशो की भांति भारत में भी धनायशल्यता (थ्रोम्बो-एम्बोलिज्म) की स्वाभाविक घटनाएं बहुत कम होती हैं। फिर भी हमारे परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वालों को खाई जाने वाली गोलियां देने के बारे में आवश्यक सावधानी बरती जाती है।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए किसी तंत्र का गठन किया है कि इतने अधिक प्रयोग में आने वाली इन गोलियों का उत्पादन विशिष्टियों के आधार पर किया जाये और ताकि उपयोग के लिए भेजने से पूर्व उनके नकली होने की कोई गुंजाइश न रह जाये ?

डा० कर्ण सिंह : निरीक्षण के सामान्य मानक जो इस देश में बनाई जाने वाली अन्य औषधियों पर लागू होते हैं, वह इन गोलियों पर भी लागू होते हैं और अभी तक ऐसा कोई कारण सामने नहीं आया है जिसके आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल ल कि वह नकली हैं।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि गोलियों के प्रयोग से होने वाले बुरे प्रभावों से पीड़ित रोगियों के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं और क्या यह गोलियां देश के सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध करवाई जाती हैं ?

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य महोदय को एक महत्वपूर्ण बात मैं यह बता दूं कि भारत में लोगों को इन गोलियों के कुप्रभावो से बचाने के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है कि यह गोलियां उसी व्यक्ति को दी जाती हैं जोकि मैडिकल प्रैक्टीशनर का नुक्सा पेश करता है और यदि इसका कोई बुरा परिणाम होता है, तो उसके लिए केवल यही किया जा सकता है कि गोलियों का प्रयोग बन्द कर दिया जाये।

भारत में एटम बम के कथित निर्माण के बारे में अमरीकी विदेश मन्त्री का वक्तव्य

***73. श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री अर्जुन सेठी :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी विदेश मंत्री ने भारत द्वारा एटम बम के कथित निर्माण के लिए भारत की हाल ही में आलोचना की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) फ़रवरी 4, 1976 के बोइंमिग विश्व-विद्यालय में प्रश्नोत्तर सत्र के दौरान अमरीकी विदेश मंत्री से पूछा गया था कि परमाणु अस्त्रों के विस्तार-प्रसार के सम्बन्ध में उनकी सरकार की नीति क्या है ? उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी सरकार की नीति यह है कि "विश्व के सभी परमाणु शक्ति निर्यातकों को एक ऐसा समान मानक स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाये जो उन परिस्थितियों का संचालन करे जिनके अधीन परमाणु शक्ति का निर्यात किया जा रहा है जिससे कि ऐसे देश भारत जैसे दूसरे देशों द्वारा शांतिपूर्ण कार्यों के लिए विकसित परमाणु प्रौद्योगिकी का उपयोग, परमाणु विस्फोटकों के विकास के लिए न करने पायें।"

(ख) शान्ति पूर्ण परमाणु परीक्षण संबंधी सिद्धांत के बारे में भारत की स्थिति सर्व विदित है और समुचित अवसरों पर अमरीका सरकार के सामने इसे दुहराया जा चुका है।

श्री भोगेन्द्र झा : यह ठीक है और यह अच्छा भी है कि हमारी नीति परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करना है और इसी को दृष्टिगत रखते हुए ही हमने वह विस्फोट किया हैं। परन्तु अब जब कि अमरीका के विदेश मंत्री ने खुले आम हमारी आलोचना की है जैसे कि हम ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के किसी कानून की अवहेलना कर दी हो, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका के इस दबाव के फ़लस्वरूप शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु विस्फ़ोट करने के हमारे प्रयासों पर भी कुछ असर पड़ रहा है। कल एक अतारांकित प्रश्न 'कि क्या शांतिपूर्ण कार्यों के लिए दूसरा परमाणु विस्फ़ोट भी शीघ्र ही करने का विचार है' के उत्तर में यह बताया गया था कि इस प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जबकि शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इनकी आवश्यकता अच्छी तरह से सिद्ध हो जायेगी। इसमें कोई आपत्तिजनक बात तो नहीं है। परन्तु हमारी आशंका यह है कि क्या कहीं अमरीका के विदेश मंत्री की आलोचना से डर कर हम परमाणु विस्फोट के अपने प्रयत्नों में ढील न दे दें। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने अमरीकी सरकार को इस आशय का विरोध-पत्र भेजा है कि डा० किसिंजर की टिप्पणी आपत्ति-जनक थी और उसमें भारत की स्थिति का सही चित्रण नहीं किया गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक अलग बात है कि भारत का उल्लेख करना अनिवार्य था या नहीं। परन्तु जहां तक हमारी नीति का सम्बन्ध है, उसे सभी जानते हैं और मैं समझता

हूं कि स्वयं प्रधान मंत्री ने अच्छी तरह उसकी व्याख्या कर दी है। मैं नहीं समझता कि मुझे उसके बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता है। परन्तु प्रश्न तो यह है कि कुछ देश जो कि परमाणु तकनीक का ऊर्जा कार्यों के लिए निर्यात करने में लगे हुए हैं, वह इसकी सुरक्षा के बारे में बनाये गये नियमों तथा विनियमों के बारे में चिंतित अवश्य हैं। मैं समझता हूं कि इसी सन्दर्भ में ही यह उल्लेख किया गया था। परन्तु यह तो मानी हुई बात है कि हम जो कुछ करते हैं, वह उन्हें पसन्द नहीं होता।

श्री भोगेन्द्र झा : यदि यह बात इतने निष्कृष्ट तथा अबोध ढंग से कही गई होती तो सम्भवत: मैंने इस प्रश्न की सूचना देकर मंत्री महोदय को इसके लिए कष्ट न दिया होता। हम सभी यह जानते हैं कि अभी हाल ही में डा० किसिंजर ने खुले रूप से कहा है कि वह ऐसी नीति का अनुसरण करेंगे जिसमें क्षेत्रीयता सहन नहीं की जायेगी चाहे इसका विरोध आणविक शस्त्रों से ही क्यों न करना पड़े और उनकी नीति स्थानीय स्थिति से प्रभावित होगी। इसी डा० किसिंजर द्वारा उसके अपने देश के द्वारा परमाणु बम के उपयोग को उचित ठहराया गया है। उन्होंने जब अपना परमाणु-शक्ति सम्पन्न जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा था, तो उससे हमें काफी दु:ख हुआ था। हमें दक्षिण की ओर से सातवां बेड़ा घेरे हुए हैं और उत्तर में ऐसा परमाणु पोत हैं जो अणुबम से लैस हैं। हमें मालूम हुआ है कि अभी हाल ही में तुर्की, ईरान आदि ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए पाकिस्तान के साथ साठ-गांठ की हैं। अमरीका सरकार द्वारा धमकाने वाले शब्दों का प्रयोग करते हुए यह कहा जा रहा हैं कि भारत द्वारा इनका दुरुपयोग किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सरकार द्वारा इस प्रकार के धमकाने वाले शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहन कहां से मिलता है, क्या कुछ मंत्रियों या सरकार द्वारा अमरीका सरकार को कोई इस प्रकार का आश्वासन दिया गया है कि उनके इस प्रकार के आक्रमण की ओर भारत द्वारा पूर्ण ध्यान दिया जायेगा और हम शांतिपूर्ण कार्यों के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास कार्य को आगे बढ़ने से रोक देंगे? श्री फोर्ड ने भी यही कहा है कि वह शक्ति के माध्यम से ही शांति की नीति का अनुसरण करेंगे। इन परिस्थितियों में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार द्वारा उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया गया है?

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं, वह उनके लिए तो महत्वपूर्ण हो सकता है और उसे हम बहुत ध्यानपूर्वक या बिना विशेष ध्यान दिये, जैसे भी चाहे सुन सकते हैं। परन्तु मेरे लिए, हमारे लिए तथा हमारे देश के लिए हमारी अपनी नीति ही महत्वपूर्ण है, जो कि काफ़ी स्पष्ट है।

श्री भागवत झा आजाद : परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करने के सम्बन्ध में आये दिन अमरीका द्वारा हमारी आलोचना की जाती है। इसी डा० कीसिंजर ने सम्पूर्ण विश्व को सीमित परमाणु युद्ध की धमकी भी दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने डा० किसिंजर के सम्पूर्ण विश्व को परमाणु युद्ध की धमकी देने के बारे में विरोध प्रकट किया है? दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप उस भद्र पुरुष से यह भी पूछेंगे कि वह इस परमाणु युद्ध सम्बन्धी यह प्रयोग अपने ही देश में करेंगे या उसे एशिया में करेंगे?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : किसी स्थान पर दिये गये किसी भी वक्तव्य के लिए हम विरोध-पत्र नहीं भेज सकते। मैं आपके जज़बात को समझता हूं और आपके साथ सहमत हूं।

श्री जी० विश्वनाथन् : मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें यह मालूम है कि परमाणु शस्त्रों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी संधि पर हमारे द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने का अर्थ यह लगाया जा रहा है कि हमने अणु बम बनाने का निर्णय कर लिया है। क्या ऐसा हमारी सरकार पर यह दबाव डालने के लिए तो नहीं किया जा रहा कि वह परमाणु शस्त्रों के विस्तार सम्बन्धी संधि को मान ले ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भारत सरकार पर कोई भी दबाव नही डाल सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्यो में कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करना

*61. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों को कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजूरी लागू करने के लिए कोई विशेष निदेश भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर राज्य सरकारों को क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्री (श्री रघुनाथ रेडडी) : (क) नई दिल्ली में 19 जुलाई, 1975 को एक सम्मेलन में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियां से कृषिक श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरियों के प्रवर्त्तन, ऐसी मजदूरियों को संशोधित करने के अतिरिक्त, के लिए प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद केन्द्रीय श्रम मंत्री ने अगस्त, 1975 में सभी राज्यों के श्रम मंत्रियों को एक पत्र लिखा था।

(ख) अधिकांश राज्य सरकारों ने कार्रवाई की है।

बेलाडिला लौह अयस्क खान कम्पलेक्स में भूमिगत जल का बहाव

*64. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **इस्पात और खान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बेलडिला लौह अयस्क खान कम्पलेक्स में निर्माणाधीन सुरंग में भूमिगत जल के बहाव के साथ आने के कारणों का पता लगाया है जिसमें वहां कई महीनों तक काम बन्द रहा;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में उन लोगों का पता लगाया है जो दोषपूर्ण भूगर्भीय सर्वेक्षण करने तथा रिपोर्ट देने के लिए उत्तरदायी है जिनके कारण ऐसी दुर्घटना हुई है, और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) इसके कारण सरकार को कितनी हानि हुई है ; और

(घ) सुरंग कब तक पूरी हो जाएगी ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रजीत यादव): (क) और (ख) जी हां। चट्टान का स्तर टूटा हुआ तथा कमजोर होने के कारण भूमिगत जल सुरंग में रिस्ता रहा। सुरंग की खुदाई में कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने पहले से सुरंग की सीध में विस्तृत रूप से खुदाई करने का काम आरम्भ कर दिया था। सुप्रसिद्ध विशेषज्ञों के पैनल द्वारा बाद में किये गये अध्ययनों से भी इस बात की पुष्टि हो गई थी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा अपनाई गई सीध उन परिस्थितियों में सब से श्रेष्ठ थी। इसलिए दोषपूर्ण भौगोलिक सर्वेक्षण करने तथा इसके लिए किसी को उत्तरदायी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यद्यपि इस के कारण प्रत्यक्ष रूप से कोई हानि नहीं हुई है तथापि सुरंग खोदने में आई प्रौद्योगिक समस्याओं से बेलाडिला निक्षेप संख्या 5 प्रायोजना को पूरा करने में कुछ हद तक विलम्ब हो गया है।

(घ) आशा है अब सुरंग खोदने का काम मार्च, 1976 तक पूरा हो सकेगा।

Recommissioning of Chasnala Mine

*65. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to state:

(a) whether any action is being taken to recommission the Chasnala Mine; and

(b) if so, the facts thereof?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadav): (a) Yes. Sir.

(b) The work of recommissioning of the mine involves:—

(*i*) Stabilising of pumping from first as well as the second horizon with horizontal pumps established at each horizon;

(*ii*) Cleaning the lodgement and sump area in first and second horizons;

(*iii*) Cleaning of muck and debris and various roof falls;

(*iv*) Providing supports and arches;

(*v*) Clearing the shafts and reinstalling the skips;

(*vi*) Restoration of normal system of ventilation;

(*vii*) Building dam at puncture point;

(*viii*) Restoring all services-water, electricity, communication, stowing etc., at both the horizons;

(*ix*) Removing motors· damaged equipment such as locos, mine cars etc., and repairing/reinstalling the same.

Work on re-starting the Mine is already in hand.

यूगान्डा के लिए भारतीय डाक्टर तथा तकनीशियन

*71. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगान्डा ने भारतीय डाक्टरों तथा तकनीशियनों की सेवा प्राप्त करने में कोई रुचि दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) विकासशील देशों से भारतीय विशेषज्ञों और तकनीशियनों की सेवाओं के लिए प्राप्त अनुरोधों पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया अनुकूल होती है बशर्ते कि अपेक्षित वर्ग के विशेषज्ञ उपलब्ध हों तथा उनकी सेवा की शर्तें संतोषजनक हों ।

केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम

*74. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के क्रियान्वयन की गति धीमी पड़ जाने के बारे में केरल सरकार से हाल ही में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्या क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) केरल में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों की धीमी प्रगति के बारे में कोई विशेष रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

डाक लेखन-सामग्री पर विज्ञापन छापना

*75. **श्री हरी सिंह** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डाक लेखन-सामग्री पर विज्ञापन छापना शुरू करने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की रूपरेखा क्या है ; और

(ग) इस नई योजना से कितनी आय होने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) डाक लेखन सामग्री पर विज्ञापन उस स्थान पर छापे जाएंगे जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया जाता है । ऐसा करते समय इन पर जनता के लिए लिखने की जो जगह है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा ।

चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 8 लाख रुपये की आय होने की आशा है । अगले वित्तीय वर्ष में इसमें पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है ।

इस्पात कारखानों द्वारा अधिष्ठापित क्षमता का कथित अनुपयोग

*76. श्री रानेन सेन : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों की अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्षमता का पूरा उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या बनने वाले इस्पात की किस्म बदल गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) वर्ष 1975–76 में भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात कारखानों तथा टिस्को और इस्को में विक्रय इस्पात के उत्पादन समस्त क्षमता का 82 प्रतिशत उपयोग होने की संभावना है । टिस्को और भिलाई में क्षमता का उपयोग क्रमशः 98 प्रतिशत और 92.6 प्रतिशत है ।

(ख) वर्ष 1973–74 में समस्त क्षमता का उपयोग 64.7 प्रतिशत तथा 1974–75 में 72.8 प्रतिशत हुआ । यह सुधार मालिक मजदूर सम्बन्धों में विशिष्ट सुधार, कामगारों में अनुशासन की अधिक भावना, कर्मशाला स्तर पर और उत्पादन कार्यक्रमों में श्रमिकों और प्रबन्धकों में निकट सहयोग, आवश्यक आदानों (कोयला और बिजली भी शामिल है) को और अच्छे ढंग से जुटाने और उनकी बेहतर उपलब्धि, इन अदानों की सप्लाई और ढुलाई से सम्बन्धित विभिन्न अभिकरणों के साथ नियमित समन्वय करने, संयंत्र और मशीनरी के रख-रखाव को बेहतर बनाने के फलस्वरूप हुआ है । अगले तथा उससे आगे के वर्षों में और सुधार लाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं/किए जाते रहेंगे जिसके फलस्वरूप आगामी तथा उसके बाद के वर्षों में क्षमता के उपयोग में क्रमिक रूप से और सुधार होने की आशा है ।

(ग) और (घ) विक्रेय इस्पात के कुल उत्पादन में इस्पात की परीक्षित क्वालिटी के अनुपात में वृद्धि करके इस्पात की किस्म में सुधार करने पर विशेष रूप से बल दिया जा रहा है । अप्रैल, 1975 से जनवरी, 1976 की अवधि में इस्पात की परीक्षित क्वालिटी का अनुपात वर्ष 1974–75 के 75.5 प्रतिशत से बढ़कर 79.5 प्रतिशत हो गया है ।

स्थायी श्रम समिति की बैठकें

*77. श्री दिनेश जोरदार : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह निश्चय करने के लिए कि श्रम विधान में क्या परिवर्तन किया जाये एवं औद्योगिक संबंधों को नया मोड़ देने के लिए स्थायी श्रम समिति की बैठकें न करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय शिखर निकाय की बैठकों में अब कई महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

विदेश मन्त्री की नेपाल यात्रा

*78. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :
श्री राज राज सिंह देव :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश मंत्री के हाल के नेपाल के दौरे के दौरान भारत-चीन सीमा और भारत के प्रति चीन के रुख के प्रश्नों पर भारत और नेपाल के बीच चर्चा हुई थी; और

(ख) उक्त वार्ता के क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तीन स्तर वाली ग्रामीण स्वास्थ्य योजना

*79. श्री सरजू पाँडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने तीन स्तर वाली ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का सुझाव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस योजना को लागू करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) प्रधान मंत्री ने भारतीय चिकित्सक संघ के 31वें संयुक्त सम्मेलन में दिये गये अपने भाषण में स्वास्थ्य सेवाओं की तीन टायर प्रणाली को उपयोगी बतलाया था।

(ख) प्रधान मंत्री द्वारा सुझाई गई तीन टायर प्रणाली में निम्नलिखित बातें है :–

(i) निकटस्थ औषधालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ;

(ii) चिकित्सा सुविधायें देने वाले अस्पताल जैसे जिला अस्पताल और उप मंडलीय अस्पताल ; और

(iii) विशेषज्ञ संस्थायें/शिक्षण अस्पताल/क्षेत्रीय अस्पताल।

(ग) देश के सुदूर भागों में स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकताओं को महसूस करते हुए पांचवी योजना के मसौदे में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की योजना तैयार की गई।

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत हरेक सामुदायिक विकास खण्ड के लिये एक एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 10,000 की आबादी के लिये एक उप केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप केन्द्रों की इमारतों में रही कमियों को दूर करने और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप केन्द्र को क्रमशः 12,000 और 2000 रुपये के मूल्य की दवाइयां देने का भी विचार है। हर चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक केन्द्र को 30 पलंगों वाला ग्राम अस्पताल बनाना भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ये अस्पताल रोग निरोधक तथा स्वास्थ्य संवर्धन कार्यक्रम को चलाने के अलावा रोजमर्रा की विशेषज्ञ सेवायें भी प्रदान करेंगे।

दोहरी स्वास्थ्य सेवायें दूर करने की दृष्टि से भारत सरकार ने एकोद्देश्यीय कार्यकर्ताओं के स्थान पर बहुद्देश्यीय कार्यकर्ता योजना स्वीकार की है। भारत सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और सहायक जन शक्ति संबंधी एक ग्रुप का गठन किया है। इस ग्रुप ने जहां देश में स्वास्थ्य संबंधी जन शक्ति के विकास के बारे में महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं वहां उसने बहुद्देश्यीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सुपरवाइजरों को थोड़ा बहुत उपचार संबंधी प्रशिक्षण देने का भी सुझाव दिया है। इस म समुदाय स्तर पर भरा व्यावसायिक कार्यकर्ताओं के दल बनाने का भी सुझावा दिया है। इस समूह ने रेफरल सेवाओं के कम्प्लैक्स की स्थापना करने की भी सिफारिश की है। इस रिपोर्ट पर विचार कर लिया गया है और इसे कार्यान्वित करने के लिये की जाने वाली कार्यवाही की रूप-रेखा भी तैयार कर ली गई हैं। कार्यवाही की इस रूप-रेखा पर स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की केन्द्रीय परिषदों की आगामी बैठक में विचार किया जायेगा।

मरमागाँव में मशीनों द्वारा माल का लदान

*80. **श्री इराज्मु द सेकैरा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मरमागांव बन्दरगाह में लदान मशीन के चालू हो जाने से वहां काम कर रहे बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे ; और

(ख) क्या सरकार का विचार इसके परिणामस्वरूप बेरोजगार हुए सभी कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने का है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख) मारमुगाव में नयी यान्त्रिक खनिज धरा उठाई सुविधाओं के चालू हो जाने के बाद कुछ गोदी कर्मकारों को फालतू हो जाने की संभावना है। ऐसे फालतू व्यक्तियों की संख्या का अनुमान लगाया जा रहा है। मारमुगांव गोदी श्रम बोर्ड, जहां तक संभव होगा, फालतू कर्मकारों को बहाल करने के लिये प्रयत्न करेगा।

हंगरी के विदेश मन्त्री का दौरा

327. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के विदेश मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था और प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री से बातचीत की थी ;

(ख) यदि हां, तो बात-चीत के मुख्य विषय क्या है ;

(ग) क्या उनके दौरे के समय दोनों सरकारों द्वारा कोई निर्णय लिये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) ; (क) जी हां ।

(ख) बातचीत में दिवपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा आपसी हित की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर चर्चा हुई, जिस में यूरोप, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, हिंदचीन और मध्यपूर्व की स्थिति शामिल थी ।

(ग) और (घ) इस पर सहमति हुई कि दोनों देशों के बीच विचार विमर्श के लिये नियमित रूप से अधिक संपर्क होना चाहिये । इस पर सहमति हुई कि भारत और हंगरी के बीच नए द्विपक्षीय करार करने की संभावना का पता लगाने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये जिससे कि पारस्परिक लाभ की दृष्टि से भारत हंगरी की मित्रता और सहयोग को और मजबूत किया जा सके ।

जालंधर मण्डी रोड़ को राष्ट्रीय राजपथ के रूप में मंजूरी देना ।

328. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जालन्धर-होशियारपुर, नादौन-हमीरपुर मण्डी रोड़ को राष्ट्रीय राजपथ के रूप में मंजूरी दे दी गयी है ; और

(ख) यदि हां तो इस पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी और इस के पूरा होने में कितना समय लगने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महिलाओं को समान काम के लिये समान वेतन

329. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के लिये समान काम के लिये समान वेतन संबंधी कानून की अभी तक हुई क्रियान्वति की कोई समीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य शर्तें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस अधिनियम का कृषि श्रमिकों तथा निर्माण श्रमिकों जैसे असंगठित क्षेत्रों में क्रियान्वित करने के लिये राज्य सरकारों को कोई निदेश जारी किये है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : समान पारिश्रमिक अध्यादेश, 1975 जो 26 सितम्बर, 1975 को प्रख्यापित किया गया, अभी तक बागानों, स्थानीय प्राधिकारियों केन्द्रीय एवं राज्यसरकारों, अस्पतालों, नर्सिंग होमों एवं औषधालयों तथा बैंकों बीमा कम्पनियों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों रोजगार के बारे में लागू किया गया है। अध्यादेश 11 फरवरी 1976 को अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन की समीक्षा अभी नहीं की गई है।

(ग) जी नहीं, किन्तु अधिनियम के उपबन्धों का क्रमिक रीति में यथाशीघ्र न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित रोजगारों सहित सभी रोजगारों पर लागू करने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीलंका में बागान श्रमिकों के साथ भेदभाव

330. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीलोन वर्कर्स कांग्रेस के प्रेजिडेन्ट ने आरोप लगाया है कि श्रीलंका स्थित भारत मूलक बागान श्रमिकों के साथ राजनीतिक, सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से भेदभाव किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने श्रीलंका सरकार से पता लगाया है कि इन लोगों की सही शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) क्या इन लोगों को परामर्श दिया गया है कि वे अपनी शिकायतों को दूर करवाते समय श्रीलंका सरकार के साथ सहयोग करते रहे ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें अखबार में देखी है।

(ख) आमतौर पर सरकार को उन की शिकायतों के बारे में जानकारी है और ऐसे लोगों के कल्याण के बारे में हाई कमीशन के माध्यम से श्रीलंका सरकार से बराबर सम्पर्क बनाये हुये है जो भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं।

(ग) विदेशों में बसे भारत मूलक लोगों को भारत सरकार ने हमेशा यह सलाह दी है कि वे जहां जिस देश में रहते है वहां की मुख्य राष्ट्रीय धारा के साथ घुलमिल जाये और अपनी समस्याओं का समाधान का कानूनी एवं संवैधानिक तरीकों से ढूंढे

क्रोमाइट अयस्क खानों को सरकारी उपक्रमों द्वारा चलाया जाना

331. **श्री कुमार मांझी** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या क्रोमाइट अयस्क खानों को किसी सरकारी उपक्रम द्वारा चलाये जाने का कोई प्रस्ताव है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : वर्ष 1974 में देश में क्रोमाइट अयस्क के 4.0 लाख टन के कुल उत्पादन में उड़ीसा खनन निगम (राज्य सरकार का उपक्रम) का योगदान लगभग 40 प्रतिशत था। इस समय सरकारी उपक्रम द्वारा क्रोमाइट की अतिरिक्त खानों से क्रोमाइट निकालने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Installation of Public Call Offices in indore division of Madhya Pradesh

332 **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the **Minister of Communications** be pleased to state:

(*a*) the names of the places in Indore division of Madhya Pradesh where installation of PCO's is under consideration;

(*b*) since when the public demand for the installation of PCO's at the said places is under consideration; and

(*c*) the reasons for the delay in their installation?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) : (*a*) Apart from 28 PCOs already approved and due to be installed in the Indore division. proposals for PCOs at three more stations viz. Bangrod, Harsola and Ingoris are under consideration.

(*b*)&(*c*) The demand for PCO at Bangrod was received in October 1975 and the remaining two demands were received in December. 1975. These proposals are being processed. After they are approved, action will be taken for installation subject to limitation of funds and materials.

Allocation of Iron Sheets in States

333. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to state:

(*a*) whether agricultural and industrial construction works are kept in view while allocating the quota of iron. sheets to States;

(*b*) if so, the broad outlines thereof;

(*c*) the criteria followed in making allocation of these items to each State;

(*d*) where from is the quota of these items made available to each State and the manner in which these are distributed among the people; and

(*e*) whether there is any variation in the prices of these items in different States and if so. by what percentage?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (*a*) to (*d*): Under the present system of distribution, there is no allocation of quotas of iron and steel for any sector of consumers or for any State. In the present state of easy availability. every consumer is expected to got his full requirement of iron and steel from the producers.

(*e*) The prices fixed by the Joint Plant Committee for pig iron and steel are uniform through out the country. There is no variation in the prices except for the variation in the State Sales Taxes.

Accidents in Bhilai Steel Plant

334. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of Steel and Mines be pleased to states

(*a*) the number of accidents that took place in Bhilai Steel Plant during 1975; and

(*b*) whether the maintenance of this plant is satisfactory?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad:) (*a*) There were a total number of 266 accidents in 1975, out of which 201 were in Operation

Departments and 65 in Construction Organisations. Of these 266 accidents. 4 were fatal in which two each in Operation Depertments and Costructions Organisation lost their lives.

(*b*) Yes, Sir.

Per Capita income of Working class

335 Shri Hukam Chand Kachwai: Will the **Minister of Labour** be pleased to state:

(*a*) the per capita income of working class in the country during the years 1960 and 1974-75. State: wise;

(*b*) the percentage by which the prices of essential commodities went up during the same period; and

(*c*) whether Government have taken measures to maintain balance between the income of the working class and price rise?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (*a*) Figures of annual earnings of industrial workers for the year 1974-75 are not yet available. Since 1960 the basis of compilation of annual earning data has been modified. Hence figures for 1960 will not be comparable to those of subsequent years.

(*b*) In respect of the items which are taken into consideration for compiling the Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers with base 1960,100 the twelve monthly moving average for the year the ending with december 1975 stood as 320.92.

(*c*) Dearness Allowance of workers in organised and some of the unorganised secter in linked to Consumer Price Index Numbers for Industrial Workers which provides safeguards to employees against price rise.

अरब की खाड़ी के देशों से होकर गुजरने वाली यात्री जहाज सेवा

336. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब की खाड़ी के सब देशों से होकर कोचीन पहुंचने वाली यात्री जहाज सेवा आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में काफ़ी संख्या में यात्री मिलने की संभावना के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): इस समय कोचीन तथा पश्चिम एशिया खाड़ी के देशों के बीच कोई यात्रा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । बम्बई तथा इन देशों के बीच एक यात्री सेवा चल रही है, परन्तु, यू०ए०ई० में रहने वाले केरल भारतीयों से कोचीन को जोड़ने वाली सेवा चलाने के लिए अभ्यावेदनों पर शिपिंग कारपोरेशन आफ़ इंडिया की ऐसी सेवा के लिए यातायात तथा व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है ।

रासायनिक उप-उत्पादों का उत्पादन

337. **श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कलकत्ता द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान रसायनकि उप-उत्पादों अर्थात, बेन्जीन, नेप्थालीन, फ़ेनोल, क्रेसोल आदि का कुल कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया ; और

(ख) क्या शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा चलाये जा रहे अथवा उनके द्वारा जिन लघु उद्योगों के चलाये जाने का प्रस्ताव है, उन्हें ये रसायन देने के बजाय बड़े व्यापारगृहों को दिये जा रहे हैं ?

इस्पात और खान मत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) हिन्दुतान स्टील लि० द्वारा तैयार किये गये रासायनिक उपोत्पाद का वर्गीकरण मोटे तौर पर इस प्रकार किया गया हैं :—

(1) बेन्जोल उत्पाद जैसे बेन्जोन टालयूईन विलायक तेल इत्यादि।

(2) कोलतार उत्पाद जैसे डामर, सेटथलीन क्रियोसोट तेल, कोलतार से निकलने वाले तेल और कोलतार से निकलने वाले अम्ल आदि।

1972–73 से 1974–75 के वर्षों से भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला इस्पात कारखानों में इन रासायनिक उपोत्पादों का कुल उत्पादन इस प्रकार था :—

(हजार टन)

	1972–73	1973–74	1974–75
बेन्जोल उत्पाद . .	17.6	15.5	14.8
कोल तार उत्पाद. .	171.8	161.4	174.1

(ख) कम्पनी के कारोबार की आवश्कताओं के अनुसार इन रासायनिक उपोत्पादों की आपूर्ति, उन उद्योगों को जिन्होंने अपने कारखाने स्थापित किये हैं और जो इन उपोत्पादों को माल के रूप में इस्तेमाल करते हैं तथा दूसरे इच्छुक खरीददारों विशेषतया उपभोक्ताओं को की जाती है।

बंधुआ श्रमिक प्रणाली के बारे में सर्वेक्षण प्रतिवेदन

338. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **श्रम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या आदिवासी अनुसंधान संस्थान, रांची तथा ए० एन० एस० सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना ने अपने हाल के सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में कहा है कि बंधुआ श्रमिक प्रणाली देश के कुछ राज्यों में अब भी विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली किन राज्यों में अभी विद्यमान है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिये जहां अब भी बन्धुआ श्रमिक प्रणाली विद्यमान है देश के सभी भागों का सर्वेक्षण करने के लिये कोई विशेष सामाजिक अध्ययन आयोग/समिति नियुक्त करने का है और यदि हां, तो क्या ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) जी नहीं। जैसा कि 11 जनवरी, 1976 को हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई है—राज्य सरकारों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति आयुक्त की सहायता से सर्वेक्षण करने के लिए की गई कारंवईायों या प्रस्तावित कारंवाईयों के बारे में सूचित करने का अनुरोध किया गया है ।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले गये स्वास्थ्य केन्द्र, उप-केन्द्र और ग्रामीण अस्पताल

339. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत खोले गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप-केन्द्रों तथा ग्रामीण अस्पतालों की कुल संख्या कितनी हैं; और

(ख) क्या ये केन्द्र, उप-केन्द्र तथा अस्पताल संतोषजनक कार्य कर रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन 31 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 782 उप-केन्द्र और 50 ग्राम अस्पताल खोले गये हैं ।

(ख) जी हां ।

नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बेलूर, हावड़ा में श्रमिकों की जबरन छुट्टी

340. **श्री समर मुखर्जी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नेशनल आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, बैलूर, हवाड़ा के प्रबन्धकों द्वारा की गई 153 श्रमिकों की जबरन छुट्टी की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो श्रमिकों के रोजगार की सुरक्षा के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा): (क) और (ख) यह मामला अनिवार्यतः राज्य के कार्य-क्षेत्र में आता है और इसे राज्य सरकार के ध्यान में ला दिया गया है ।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखाने में निम्न श्रेणी के मैंगनीज अयस्क की कमी

341. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों को निम्न श्रेणी के मैंगनीज अयस्क की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इससे इस्पात कारखानों के उत्पादन में कहां तक प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या मेंगनीज अयस्क खान के गैर-सरकारी संचालक इस अयस्क को जमा रख रहे हैं तथा सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों से अधिक मूल्य मांग रहे हैं ;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की मैंगनीज अयस्क की अपनी खाने नहीं हैं; और

(ङ) उसके तथ्य क्या हैं तथा इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) जी, हां । राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो के इस्पात कारखानों के लिए निम्न ग्रेड के मैंगनीज अयस्क की पर्याप्ति मात्रा की प्राप्ति में कुछ कठिनाई अनुभव की गई है परन्तु इससे उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया है । भिलाई को मैंगनीज अयस्क की आपूर्ति में कोई कमी नहीं हुई हैं।

(ग) उपर्युक्त इस्पात कारखानों को निजी खानों से निम्न श्रेणी के मैंगनीज अयस्क की आपूर्ति खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अभिकरण द्वारा की जाती है जो बिहार उड़ीसा के निजी खान मालिकों से अयस्क प्राप्त करता है। कठिनाई सूक्ष्म रूप से निम्न श्रेणी मैंगनीज के उत्पाद में कमी के कारण हुई है क्योंकि इसका उत्पादन बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हुआ है।

(घ) भिलाई इस्पात कारखाना निम्न ग्रेड के मैंगनीज की अपनी आवश्यकता की पूर्ति अधिकांश रूप से मेंगनीज ओर (इंडिया) लि० से करता है । यह कम्पनी सरकार के नियंत्रण में है। राउरकेला इस्पात कारखाना इस कमी की पूर्ति अपनी रक्षित खान से करता है ।

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए किए गए अथवा विचाराधीन उपायों में निम्नलिखित उपाय उल्लेखनीय हैं :—

(1) निम्न श्रेणी अयस्क की उपलब्धि बढाने के लिए मध्यम श्रेणी के मैंगनीज अवयस्क का अस्थायी तौर पर उपयोग ;

(2) दुर्गापुर और बोकारो में निम्न श्रेणी मैंगनीजयस्क के बदले आंशिक रूप से लोहमय मैंगनीज अयस्क के उपयोग के लिए परीक्षण करना; और

(3) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कुछ और खानें खोदना ।

राउरकेला इस्पात संयंत्र के उत्पादन में वृद्धि

342. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला: इस्पात संयंत्र के उत्पादन में इस बीच वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

872 L.S.—3

स्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी , हां ।

(ख) चालू वर्ष के पहले 11 महीनों में इस्पात पिण्ड तथा विक्रेय इस्पात का उत्पादन तथा इस के मुकाबले में गत वर्ष की इसी अवधि का उत्पादन नीचे दिया गया है :–

('000 ' टन)

क्रम संख्या	उत्पाद	अप्रैल-फरवरी (11 मास) 1974–75	1975–76	वर्ष 1974–75 के उत्पादन की तुलना में वर्ष 1975-76 के उत्पादन में वृद्धि
1	2	3	4	5
1.	इस्पात पिण्ड	949	1155	(+) 206 (21.7%)
2.	विक्रेय इस्पात	725	935	(+) 210 (29.0%)

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बन्धित श्रमिक प्रणाली

343. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्थुली :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में बन्धित श्रमिक प्रणाली समाज के दलित वर्ग की महिलाओं के अवैध व्यापार जैसे स्त्रोप के लिये उत्तरदायी है : और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश की सरकार ने देहरादून के जौनसार बावार क्षेत्र के मुक्त श्रमिकों के पुनर्वास के लिये उन द्वारा तैयार की गई योजना में बताया है कि इन क्षेत्रों में महिलाओं के अवैध व्यापार की बुराई विधमान है। मुक्त किये गये बन्धकग्रस्त श्रमिकों के आर्थिक पुनर्वास के लिये योजनायें तैयार की जा रही हैं।

मांगसेवा प्रणाली के अन्तर्गत केरल राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों का सम्पर्क स्थापित करना

344. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य की राजधानी का मांगसेवा प्रणाली के अन्तर्गत सभी जिला मुख्यालयों से सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय केरल राज्य की राजधानी से कौन से जिलों का सम्पर्क स्थाति है ; और

(ग) केरल की राजधानी के साथ अन्य जिला मुख्यालयों का सम्पर्क कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (ग) सरकार का लक्ष्य यह है कि राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों के साथ जोड़ने वाले मार्गों पर शुरू में ट्रंक डिमांड सेवा की व्यवस्था की जाय और अन्ततोगत्वा उत्तरोतर उपभोक्ता ट्रंक डार्यालिंग सेवा (एस० टी० डी०) चालू की जाय। केरल में तीन जिला मुख्यालयों अर्थात कोट्टायम क्विलोन और एनकुलम के लिये राज्य की राजधानी-त्रिवेन्द्रम के साथ उपभोक्ता ट्रंक डार्यालिंग सेवा उपलब्ध है। चार जिला मुख्यालयों अर्थात अलेप्पी कालिकट पालघाट और त्रिचूर के लिये त्रिवेन्द्रम के साथ अगले कुछ महीनों के दौरान उपभोक्ता ट्रंक डार्यालिंग सेवा उपलब्ध हो जायेगी। त्रिवेन्द्रम और कन्नानूर, मालापुरम् तथा इदिक्की के जिला मुख्यालयों के बीच डिमांड सेवा की व्यवस्था करने के लिये प्रश्न की जांच की जा रही है। इसमें एक वर्ष से अधिक समय लग सकता है।

ग्रामों के लिये "बेयर-फुट डाक्टर"

345. **श्री सरोज मुखर्जी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामों में 'बेयर-फुट डाक्टरों' को प्रोत्साहन देने तथा इस बारे में देशव्यापी आव्हान करने पर विचार कर रही है जिससे बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों को लिया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० सहाक) :

(क) और (ख). भारत सरकार ने नवम्बर, 1974 में स्वास्थय सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में 'चिकित्सा शिक्षा और सहायक कर्मचारीवृन्द' विषय पर एक दल का गठन किया था। इस दल ने अप्रैल, 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस दल के सुझावों की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :--

(1) लोगों को स्वास्थ्य के सुधार, बीमारियों की रोक थाम और उनके इलाज के लिये जिन छोटी मोटी सेवाओं की जरूरत पड़ती रहती है उन के लिये वहीं के लोगों में से कुछ को इन बातों की शिक्षा देकर स्वास्थय संबंधी परा-व्यावसायिक और अर्ध-व्यावसायिक कार्यकर्ताओं की मण्डलियां बनाना।

(2) प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र के डाक्टर और सामुदायिक स्तर कार्यकर्ताओं के बीच स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सहायकों को दो काडर बनाना।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तालुक / तहसील जिला, क्षेत्रीय, और मैडिकल कालेज अस्पतालों के बीच सम्बन्ध और सम्पर्क स्थापित कर 'रेफरल सेवा कम्प्लैक्स' का विकास करना उन में इन्टर्न्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना जिससे कि उन्हें लोगों की आवश्यकताओं के बारे में बताया जा सके।

4. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा में आवश्यक सुधार करने संबंधी योजना बनाने और उन्हें लागू करने के लिये विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग जैसे एक चिकित्सा और स्वास्थ्य शिक्षा आयोग की स्थापना करना।

इस दल के सुझावों को जांच करने के पश्चात कार्य योजना का प्रारूप तैयार करके राज्य सरकारों और अन्य विभिन्न अधिकारियों के पास उनके विचार जानने के लिये भेज दिया गया है। इसे इस वर्ष अप्रैल में होने वाली स्वास्थ्य को और परिवार नियोजन की केन्द्रीय परिषदों को अगली बैठक को कार्यसूची में भी शामिल कर लिया गया है और उक्त बैठक में इसे अंतिम रूप दे देने का विचार है।

दो हजार की आबादी वाले गाँवों के लिए शाखा डाकघर

346. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में दो हजार तथा इससे अधिक आबादी वाले सभी गांवों में शाखा डाकघरों की सेवाएं उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या ग्राम्य डाकघरों में पी० सी० ओ० (सार्वजनिक टेलिफोन) का प्रयोग सफल रहा है; और

(घ) क्या देश में कोई ऐसा जिला है जिसके प्रत्येक डाकघर, उप-डाकघर तथा शाखा डाकघर में पी० सी० ओ० की व्यवस्था है ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) 2000 या इससे अधिक आबादी वाले कुछ ही ऐसे गांव हैं जहां डाकघर नहीं है। लेकिन ऐसे सभी गांवों के निकटतम डाकघरों से डाक सुविधाएं दी जाती हैं।

देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिये सिर्फ आबादी को ही कसौटी नहीं माना जाता। ऐसे प्रस्तावों के लिये डाकघर से होने वाली आय उस पर आने वाली लागत और दूसरे तत्वों पर भी विचार किया जाता है।

(ग) देहाती इलाकों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिये काफी मांगें प्राप्त हुई हैं। विभाग अपनी निर्धारित नीति के अनुसार विभिन्न चरणों में महत्वपूर्ण स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोनघर खोल रहा है। बहुत से देहाती इलाकों में सार्वजनिक टेलिफोन घरों की बढ़ती हुई मांग से लोकप्रियता का पता चलाता है। इनमें से कुछ सार्वजनिक टेलीफोन घर तो वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य है लेकिन कुछ नहीं। इनमें काफी संख्या में ऐसे पी० सी० ओ० हैं जो एक ऐसे केन्द्र में परिवर्तित हो गये हैं जो आगे चल कर टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में बदल जायेगें। इस प्रकार दूरसंचार व्यवस्था दूरवर्ती इलाकों में भी पहुंच गयी है।

(घ) जी नहीं।

कपड़ा सम्बन्धी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति का प्रतिवेदन

347. श्रीमती रोज़ा विद्याधर देशपांडे : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा सम्बन्धी राष्ट्रीय औद्योगिक समिति ने अपना वह प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो मार्च, 1976 के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत किया जाना था ; और

(ख) यदि हां, तो कपड़ा उद्योग की हालत तथा अन्य सम्बन्ध मामलों के बारे में उसकी क्या सिफारिशें हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविंद वर्मा) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

SC/ST Personnel Posted Abroad.

348 Shri Chandra Shailani: Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of Indian Ambassadors, High Commissioners and Senior Officers, category wise, posted abroad; and

(b) the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of them and the ratio thereof?

The Minister of External Affairs (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) The categorywise breakup of Ambassadors, High Commissioners and Senior Officers is as follows:

(1) Ambassadors	63
(2) High Commissioners/ Commissioner . .	20.
(3) Other Senior Officers	114.

(Deputy High Commissioners, Ministers, Counsellors, Charge d'Affairs and Presumptive Charge d' Affairs):

(b) Of the above officers, 15 belong to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. The ratio is 7.61%

रोजगार में लगी महिलाओं के लिये विशेष केन्द्रीय सैल

349. श्री डी० के० पंडा :
श्री वसन्त साठे :

क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोजगार में लगी महिलाओं से सम्बन्धित कार्य की देखभाल के लिये एक विशेष केन्द्रीय सैल स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) : इस प्रयोजन के लिए श्रम मंत्रालय में एक छोटा एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है। कर्मचारि-वर्ग की आवश्यकताओं की जांच की जा रही है।

एसोसिएशन आफ वालन्टरी एजेन्सीज फार रूरल डेवलपमेंट द्वारा परिवार नियोजन कार्य

350. **श्री शशि भूषण** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएशन आफ वालन्टरी एजेन्सीज फार रूरल डेवलपमेंट को परिवार नियोजन सम्बन्धी कोई परियोजना सौंपी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त संगठन को इस प्रयोजन के लिए सरकार ने कितनी राशि मन्जूर की है; और

(ग) उक्त संगठन द्वारा इस क्षेत्र में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कथित वित्तीय संकट

351. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को गम्भीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इस कम्पनी ने वित्त मंत्रालय से हाल ही में आसान शर्तों पर ऋण प्राप्त किया है ;

(ग) क्या सरकार ने इस कम्पनी की समस्या की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी निष्कर्ष क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) चालू वित्त वर्ष में कम्पनी को 2 करोड़ का ऋण देने का फैसला किया गया है। जिससे यह कम्पनी चासनाला कोयला खान में बचाव और सहायता कार्यों पर तात्कालिक खर्च कर सके। यह ऋण 5 वर्ष में लौटाया जाना है जिसमें 3 वर्ष की कानूनी मोहलत भी शामिल है। पहले 3 वर्षों में ब्याज की अदायगी में भी कानूनी मोहलत दी जाएगी और उसके पश्चात् निर्धारित दर पर ब्याज दिया जाएगा।

(ग) यह मामला अभी विचाराधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी राजनयिकों द्वारा पक्षियों को विष देकर मारना तथा उनका शिकार करना

352. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि कुछ राजनयिक व्यक्ति पक्षियों तथा अन्य वन्य पशुओं को विष देकर मारते हैं तथा उनका अनुचित ढंग से शिकार करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे राजनयिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जी, हां । सरकार के सामने ऐसे मामले आये हैं जिनमें भारत स्थित राजनयिक मिशनों के कुछ सदस्यों ने अनधिकृत शिकार किये हैं ।

(ख) हमने भारत स्थित सभी विदेशी मिशनों से पहले की कह दिया है कि वे शिकार के नियमों का पालन करें और पशु विहारों का उल्लंघन न करें । इस संबंध में दोषी पाये जाने वाले लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

सलेम इस्पात परियोजना

353. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम्** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के हाल ही के दौरे के दौरान प्रधान मंत्री ने सलेम इस्पात परियोजना के लिए अधिक अनुदान देने का वचन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). हाल में प्रधान मंत्री के तमिलनाडु के दौरे के दौरान उन्हें कुछ अभ्यावेदन दिये गये थे जिनमें यह कहा गया था कि सलेम इस्पात कारखाने का काम तेजी से पूरा किया जाय । सरकार इस मामले पर विचार कर रही है ।

केरल के लिए "सुपर टैंकर बर्थ" योजना

354. **श्री सी० जनार्दनन्** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल के लिए प्रस्तावित 'सुपर टैंकर बर्थ' योजना के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया है ;

(ख) क्या सरकार ने इसके लिए 1976–77 के वार्षिक परिव्यय में आवश्यक धन की व्यवस्था की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). अन्तिम निर्णय किए जाने तक 1976–77 के वार्षिक योजना में 50 लाख रू० की व्यवस्था की गयी है ।

Implementation of Prevention of Food Adulteration Act

355. **Shri M. C. Daga:** Will the minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether following the enactment of prevention of Food, Adulteration Act, Government have made rules thereunder, and if so, when; and

(b) States which have already made the rules?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque; (a) The Prevention of Food Adulteration Act, 1954, came into force on the Ist June, 1955, and the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, framed thereunder, were notified on the 12th September, 1955.

(b) All States except Uttar Pradesh and Nagaland and Union Territories of Dadra and Nagar Haveli, Mizoram. Lakshadweep and Arunachal Pradesh have framed rules under the Act. Information pertaining to Manipur and Chandigarh is not available.

श्रमिकों की मजूरी का पुनरीक्षण

356. **श्री राम भगत पासवान** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रति दो वर्षों में श्रमिकों की मजूरी के पुनरीक्षण के बारे में पंजाब विधान सभा की प्राक्कलन समिति की सिफारिशों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) इस सम्बन्ध में एक अखबारी समाचार सरकार के ध्यान में आया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार का भी विचार है कि न्यूनतम मजदूरी के पुनरीक्षण/संशोधन के लिए पांच वर्षों के वर्तमान अन्तराल को कम करने की आवश्यकता है ।

कोकिंग कोयले के बिना इस्पात का निर्माण

357. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकिंग कोयले के प्रयोग के बिना इस्पात बनाने की एक नई प्रक्रिया ईजाद की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और इससे कितना खर्च कम होगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

परम्परागत प्रणाली से लौह खनिज से इस्पात बनाने की प्रक्रिया के दो चरण हैं अर्थात् लौह खनिज से कच्चा लोहा तैयार करना और बाद में पिघले हुए कच्चे लोहे से इस्पात बनाना । पहले चरण में खनिज में आयरन आक्साइड को कोककर कोयले जैसे अपचायक के प्रयोग से बदला जाता

है और दूसरे चरण में जिसमें वास्तव में इस्पात तैयार होता है पिघले हुए लोहे से आक्सीजन के प्रयोग द्वारा कार्बन की अधिक मात्रा जला दी जाती है (आक्सीडेशन कर दिया जाता है)। इसको देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि कोककर कोयला बिना इस्तेमाल किये इस्पात बनाने से अभिप्राय विशेष रूप से इन 2 प्रक्रियाओं की प्रथम अवस्था से है ।

2. धातु कार्मिक कोयले (कोककर कोयले) की विश्वव्यापी कमी के कारण कोक भट्टी-धमन भट्टी-एल डी—ओपन हर्थ (खुली भट्टी) की परम्परागत विधि से बचने के लिए बहुत सी नई प्रक्रियाओं का पता लगाने के लिए भरसक प्रयत्न किये गये हैं। हाल में यह पता चला है कि दो या तीन ऐसे मूल विकल्प हैं जिनकी व्यवसायिक स्तर पर अपनाये जाने की अच्छी सम्भावना है। ये विकल्प निम्नलिखित हैं :—

(1) अपचयन द्वारा लोह खनिज से स्पंज लोहा बनाना ;

(2) बारीक अयस्क तथा इसी प्रकार के अन्य औद्योगिक अपशिष्ट के पूर्व अपचयन से प्रि-रिडयूसड पेलेट तैयार करना; और

(3) धमन भट्ठियों में धातुकार्मिक कोयले के स्थान पर फार्मड कोक इस्तेमाल करना ।

3. इन प्रक्रियाओं मे पहली प्रक्रिया में लौह खनिज और पेलेटों का अपचयन करके धात्विक लोहा (स्पंज लोहा) तैयार किया जाता है जिसमें लोहे की मात्रा 88 से 94 प्रतिशत होती है । इस लोहे को सीधे इस्पात बनाने वाली भट्टियों में डाल दिया जाता है । इस प्रक्रिया में विशिष्ट आकार का लौह अयस्क और/अथवा पेलेट तथा दूसरे फलक्स रोटरी किलन अथवा शाफ्ट किलन में डाले जाते हैं। इन भट्ठियों का बैड स्टेटिक अथवा फ्लूयेडिक होता है । इन भट्टियों में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन और अपचायक पदार्थ या तो पीसकर बारीक किया गया अकोककर कोयला होता है अथवा प्राकृतिक गैस, कार्बन मोनो-आक्साइड, हाइड्रोजेन, नेफथा और अन्य हाईड्रोकार्बन जैसे गैसीय पदार्थ होते हैं ।

4. मुख्य सुस्थापित प्रक्रियाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है :—

(1)	रोटरी किलन प्रोसेस जिसमें ईंधन तथा अपचायक के रूप में कोयला इस्तेमाल किया जाता है ।	वाणिज्यिक नाम एस एल/आर एन करूप, कवासाकी कर
(2)	शेफ्ट रिएक्टर प्रोसेस—जिसमें गैसीय अपचायक का इस्तेमाल होता है ।	वाणिज्यिक नाम 'मिरेक्स' 'आर्मको' 'प्यूरोफर', वाइबर्ग ।
(3)	स्टेटिक बैड प्रोसेस—जिसमें गैसीय अपचायक का इस्तेमाल होता है ।	वाणिज्यिक नाम एच० वाई० एल०
(4)	फलूएड बैड प्रोसेस—जिसमें गैसीय अपचायक का इस्तेमाल हो ।	वाणिज्यिक नाम एच० आई० बी०, एफ० आई० सी० आर० ।

5. यद्यपि विभिन्न स्थितियों में इस प्रक्रिया की तकनीकी शक्यता प्रमाणित हो चुकी है तथापि बड़े सर्वतोमुखी इस्पात कारखाने के लिए वाणिज्यिक तथा सस्ता स्पंज लोहा बड़े पैमाने पर

तैयार करने की बात निश्चयात्मक रूप से प्रमाणित की जानी बाकी है । इसका मुख्य कारण यह है कि कच्चे माल की क्वालिटी में बड़ी भिन्नता है । प्रमुख कच्ची सामग्री तैयार करने के लिए लौह अयस्क के पेलेट जिनमें धात्विक लोहे की मात्रा अधिक होगी, के इस्तेमाल द्वारा कच्ची सामग्री की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

6. उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिन-जिन योजनाओं में एस०एल०/आर०एन० प्रक्रिया काम में लाई जाती है और जिनमें ठोस अपचायक का प्रयोग किया जाता है की कुल क्षमता 13 लाख टन के लगभग है । यह कारखाने मुख्यता यूरोप के देशों में हैं और इनमें व्यवसायिक/प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर काम हो रहा है जबकि सारे संसार में लगभग 105 लाख टन की क्षमता आयोजना/विकास/निर्माण के भिन्न-भिन्न चरणों में है । गैसीय अपचायक के इस्तेमाल के अधीन 30 लाख टन की क्षमता विद्यमान है । यह भी मुख्यता यूरोप के देशों में है और ये कारखाने व्यवसायिक/प्रोयोगिक संयंत्र स्तर के कारखाने हैं और लगभग 290 लाख टन क्षमता का सृजन करने का विचार है । भारत में टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, मेटालर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसलटेंट्स इंडिया लि० जैसे कई अभिकरण स्पंज लोहा तैयार करने के लिए प्रायोगिक संयंत्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। इन कारखानों के चालू हो जाने तथा इन कारखानों के कार्यकरण के बारे में विस्तृत तकनीकी आर्थिक जानकारी प्राप्त हो जाने के पश्चात् ही भारतीय परिस्थितियों में स्पंज लोहा तैयार करने की प्रोंद्योगिकी को आर्थिक सक्षमता के बारे में अध्ययन किया जा सकता है ।

7. दूसरी प्रक्रिया गैस का प्रयोग करके अथवा अकोककर कोयले पर आधारित ईंधन/अपचयन के द्वारा अधिक धात्विक अंश वाले लौह अयस्क के पेलेटों का उत्पादन करने की है । लौह खनिज के अपचयन की धातुकार्मिक विधि स्पंज लोहा बनाने की प्रक्रिया जैसी ही है । फिर भी पेलेट बनाने के कारखानों से कोककर कोयले का उपयोग पूर्णतया समाप्त नहीं होता है क्योंकि पेलेटों का उपयोग सामान्य तथा प्रत्यक्ष रूप से इस्पात बनाने के लिए नहीं किया जाता है । प्रीरिडयूस्ड पेलेटों का उपयोग या तो धमन भट्टियों में वर्डन मैटिरियल के रूप में अथवा स्पंज लोहे के उत्पादन करने में चार्ज मैटिरियल के रूप में किया जाता है । पेलेट बनाने की प्रक्रिया के मुख्य लाभ चार्जड मेटिरियल की एक जैसी क्वालिटी बनाना है तथा दूसरा लाभ यह है कि इसमें बारीक लौह अयस्क तथा घटिया श्रेणी का अयस्क इस्तेमाल किया जा सकता है । विश्व के कई भागों में प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर पेलेट बनाने के कारखाने हैं परन्तु देशीय अयस्क तथा भारतीय स्थितियों में उनकी वाणिज्यिक उपयुक्ता पूरी तरह प्रमाणित नहीं है ।

8. तीसरी प्रक्रिया जिसमें फार्मड कोक इस्तेमाल किया जाता है हाल ही में विकसित हुई है । इससे अकोककर कोयले से धातुकर्म में इस्तेमाल किये जाने वाला कोक तैयार किया जाता है । इस क्रिया में अकोककर कोयले से वाष्पशीलता को दूर किया जाता है और इस तरह कोयले के गोले (ब्रकेट्स) तैयार किये जाते हैं और इनमें बाईडिंग मैटिरियल मिलाई जाती है और इस तरह इसे धमन भट्टी में इस्तेमाल के योग्य बनाया जाता है । फार्मड कोक विशिष्ट आकार के लौह खनिज और चूना पत्थर के साथ धमन भट्टियों से निकलने वाले कच्चे लोहे को एल डी कन्वरटरों खुली भट्टियों में प्रोसेस कर के इस्पात बनाया जाता है । फार्मड कोक के एक संयंत्र

की पूंजीगत लागत उतनी ही क्षमता के परम्परागत कोक ओवन संयंत्र के मुकाबले में 70 से 80 प्रतिशत बैठती है । फार्मेड कोक संयंत्र की उत्पादन लागत रूढ़िगत कोक ओवन बैटरी के बराबर बैठती है ।

शिमला और चण्डीगढ़ से श्रम ब्यूरो का स्थानान्तरण

358. **श्री वसन्त साठे** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला और चंडीगढ़ से श्रम ब्यूरो को किसी केन्द्रीय स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव काफी समय से सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ;

(ग) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि श्रम ब्यूरो के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक एकक, खानें और बागान देश के सभी भागों में स्थित हैं, सरकार का कोई ऐसा कार्यकारी दल/समिति नियुक्त करने का विचार है जो श्रम ब्यूरो के लिए उपयुक्त स्थान के बारे में सुझाव दे; और

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में अन्तिम निर्णय ले लिया और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) (क) और और (ख). श्रम ब्यूरो के एक भाग का शिमला से चण्डीगढ़ में स्थानान्तरण अगस्त, 1971 में कर दिया गया था और ब्यूरो के शेष भाग का भी स्थानान्तरण चण्डीगढ़ करने का निर्णय पहले से ही कर लिया गया है । ब्यूरो के शेष कार्यालय की चण्डीगढ़ में व्यवस्था करने के लिए स्थान की आवश्यकताओं और अन्य सम्बद्ध मामलों पर अभी जांच की जा रही है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा भविष्य निधि की वर्तमान देय राशि का भुगतान

359. **श्री एस० एम० बनर्जी**: क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को भविष्य निधि की वर्तमान देय राशि का भुगतान करने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सभी गैर-सरकारी कपड़ा उद्योगपतियों ने भी भविष्य निधि की राशि को केन्द्रीय भविष्य निधि में जमा करा दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संक्षिप्त ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियो ने निम्न प्रकार से सूचित किया है :—

(क) जी, हां ।

(ख) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों और भविष्य निधि के अधिकारियों की एक बैठक 27-1-1976 को हुई थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय भी किया गया था कि राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि के संबंध में भविष्य निधि की देय राशियों का भुगतान नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा एक महीने के अन्दर-अन्दर कर दिया जायेगा ।

(ग) और (घ). 31-12-1975 की स्थिति के अनुसार छूट न प्राप्त निजी कपड़ा मिलों की ओर भविष्य निधि की बाबत 210 लाख रुपये बकाया थे ।

कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम में संशोधन

360. श्री एम० कतामुत्तु : क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों में कर्मचारी प्रतिकर की वर्तमान दर बहुत पुरानी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या "कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम" में संशोधन करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी रूप रेखा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर की वर्तमान दरें 1-2-1963 से लागू है ।

(ख) और (ग). इसकी व्याप्ति और प्रतिकर की दरों को संशोधित करने के लिए, अधिनियम को संशोधित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन संघ परिषद की बैठक

361. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन संघ परिषद् की हाल ही में बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिश क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क) अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन संघ परिषद् की बैठक 19 और 20 जनवरी, 1976 को बम्बई में हुई ।

(ख) बैठक में कोई विशेष सिफारिश नहीं की गयी । परन्तु संघ ने नाविकों के आदमी लगाने, प्रशिक्षण और रोजगार की शर्त इत्यादि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया ।

पासपोर्ट जारी करने में वृद्धि

362. **श्री धामनकर** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1975 के दौरान भारत के पासपोर्ट तथा उत्प्रवास कार्यालयों द्वारा जारी किये गये पासपोर्ट की संख्या पहले तीन वर्षों के दौरान जारी किये गये पासपोर्टों की तुलना में बहुत अधिक थी;

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं जिनमें रोजगार के लिये अथवा अन्यथा विदेशों में जा रहे व्यक्तियों का शोषण किया गया है अथवा इन्हें ऐसे प्रलोभनों का शिकार बनाया गया है जो पूरे नहीं किये जाते; और

(घ) यदि हां, तो पासपोर्ट जारी करने के बारे में क्या प्रतिबंध/विनियम लगाने का प्रस्ताव है ताकि विदेशों में जाने वाले हमारे नागरिकों को अधिकतम संरक्षण मिल सके ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। पिछले दो वर्षों में जारी किये गए पासपोर्टों की तुलना में 1975 में जारी किये गए पासपोर्टों में शत प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(ख) सरकार को इसके जो मुख्य कारण ज्ञात हैं वे ये हैं :

विदेशों में रोजगार के अवसर खोजना,

व्यापार कार्य,

मित्र एवं संबंधियों से मिलना, और

पर्यटन।

(ग) और (घ). कुछ लोगों से यात्रा एजेंटों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा कदाचार के मामलों की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और जहां संभव हुआ है कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की गई है।

पासपोर्ट जारी करने से पूर्व, पासपोर्ट अधिनियम 1967 के अधीन हर प्रकार की सावधानी बरती जाती है। एक अतिरिक्त उपाय के रूप में, गैर मान्यता प्राप्त एजेंटों को क्षेत्रीय पारपत्र अधिकारी से संपर्क करने की अनुमति नहीं दी जाती।

कालीकट में यूनानी मैडिकल कालेज खोलना

363. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोई यूनानी मेडिकल कालेज नहीं है ; और

(ख) कालीकट में एक यूनानी कालेज खोलने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां ।

(ख) यूनानी स्नातक पूर्व तथा अन्य चिकित्सा पद्धतियों की व्यवस्था करने का काम राज्य सरकारों का ही है । उपलब्ध सूचना के अनुसार कालीकट में एक यूनानी मैडिकल कालेज खोलने की केरल सरकार की कोई योजना नहीं है ।

डिब्रुगढ़ जिले में बोर्गलोई कोयला खान में दुर्घटना

364. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1976 में असम के डिब्रुगढ़ जिले में बोर्गलोई कोयला खान में प्रबन्धकों की लापरवाही के परिणामस्वरूप तीन खनिक मर गए थे ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उनके द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ; और

(ग) क्या इस बारे में जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). तिपोंग कोलियरी में 16-2-1976 को एक खनिक टिप्पलर से टकरा कर भरे हुए टब से दब कर मर गया और एक अन्य दुर्घटना में दो खनिक 18-2-1976 को बारागोलाई कोलियरी में गैस की विषाक्तता के कारण मर गए थे । इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में जांच की रिपोर्ट प्रतीक्षित हैं ।

परिवार नियोजन पर व्यय

365. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1974-75 और 1975-76 में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) केन्द्र ने इसमें से कितनी धनराशि पश्चिम बंगाल पर व्यय की ; और

(ग) उक्त अवधि में इस कार्यक्रम में लगे पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितनी थी तथा उनकी औसत आयु कितनी-कितनी थी ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख). 1974-75 और 1975-76 में (सितम्बर, 1975 तक) सारे देश में तथा पश्चिम बंगाल में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर कुल खर्च इस प्रकार हुआ :—

	कुल खर्च	पश्चिम बंगाल पर किया गया खर्च
	(रुपये लाखों में)	
1974-75 . .	6204.80	291.60
1975-76 . . (अप्रैल से सितम्बर 1975 तक)	3135.33	151.52

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता और दिल्ली के बीच डायल घुमाकर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था

366. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता और दिल्ली के बीच में डायल घुमा कर सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था करने के बारे में उद्यतन क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या मंत्रालय को कलकत्ता और दिल्ली में टेलीफोन उपभोक्ताओं से खराब मीटरों और गलत बिल संबंधी शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) कलकत्ता और दिल्ली के बीच पूरे समय के लिए दोनों तरफ से सीधे मिलाये जाने वाली उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा चालू करने के लिए परिषण-माध्यम स्थापित करने का काम चल रहा है । सितम्बर, 1976 तक इस काम के पूरा हो जाने की संभावना है । दोनों ही स्थानों पर ट्रंक आटोमेटिक उपस्कर स्थापित किया जा चुका है ।

(ख) और (ग). गलत टेलीफोन बिलों और खराब मीटरों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिये उन की जांच की गई है । गलत बिलों के बनने के अनेक कारण हैं, जैसे कि बिल बनाते समय गलती हो जाना, टेलीफोनों के खुलने/उनके एक जगह से दूसरे जगह बदलने या बंद होने की सूचना मिलने में विलम्ब होना और कुछ मामलों मे, उपस्कर में कुछ खराबी पैदा हो जाना ।

मीटरों की समय-समय पर जांच की जाती है । इस बात पर जोर दिया जाता है कि बिलों में लिखावट साफ हो और उनकी छंटाई सही की जाए । मीटरों की रीडिंग लेने और बिल तैयार करने के मामले में भी अब अधिक सावधानी और सतर्कता बरती जा रही है । लिखावट की गलती का पता लगाने के लिए बिलों की जांच की जाती है और जहां ऐसी गलतियां पाई जाती हैं वहां छूट दे दी जाती है। उपभोक्ता के मीटर की भी पुनः जांच की जाती है, ताकि यह पता चल सके कि वह सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं। अगर जांच से पता चलता है कि मीटर रीडिंग गलत आने की संभावना हो सकती है तो बिल में छूट दी जाती है ।

उपर्युक्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप चार प्रमुख टेलीफोन जिलों में प्रति 100 सीधे एक्सचेंज लाइनों में बिल संबंधी शिकायतों में नियमित रूप से कमी हुई है । यह बात नीचे दिये गये आंकड़ों से स्पष्ट हो जाएगी :

1-4-72 से 10-9-72 तक	1-4-73 से 30-9-73 तक	1-4-74 से 30-9-74 तक	1-4-75 से 30-9-75 तक
9.96	6.96	5.14	3.20

उपभोक्ता ट्रंक डार्यलिंग सेवा के कार्यकरण और उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग की वजह से मीटर में ज्यादा कालों के आने के संबंध में विशेषज्ञों की एक विभागीय समिति जांच पड़ताल कर रही है। समित जो भी उपचारात्मक उपाय सुझाएगी, उन पर विचार किया जाएगा, ताकि उन्हें शीघ्रता से लागू किया जा सके।

Acquisition of Hyderabad House, New Delhi

367. Shri Hari Singh: Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether Central Government had talks with the Government of Andhra Pradesh to acquire Hyderabad House, New Delhi; and

(b) if so, the outcome thereof?

The Minister of External Affairs (Shri Yaswantrao Chavan) : (a) Yes, Sir.

(*b*) The matter is still under negotiation.

डाक-तार कर्मचारियों के लिए रिहायशी आवास

368. **श्री नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चार श्रेणियों (श्रेणी चार, तीन, दो और एक) में प्रत्येक श्रेणी में ऐसे डाक-तार कर्मचारियों की प्रतिशतता कितनी हैं जिन्हें इस समय रिहायशी आवास की सुविधाएं प्राप्त हैं ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों की तुलना में उक्त प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) विशेषकर निम्न श्रेणी में, अधिक प्रतिशत कर्मचारियों को रहायशी आवास उपलब्ध कराने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाये जायेंगे ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) सरकारी कर्मचारियों को क्वार्टर उन्हें मिलने वाले वास्तविक वेतन के अनुसार अलाट किये जाते हैं न कि उस वर्ग के अनुसार जिससे वे सम्बन्ध रखते हैं। सरकारी कर्मचारियों के प्रत्येक वर्ग के लिए कितने क्वार्टर उपलब्ध हैं, इसके बारे में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। टाइप-I से लेकर टाइप V तक क्वार्टरों की पांच श्रेणियां हैं। ये क्वार्टर नीचे बताई गई वेतन-सीमाओं अन्तर्गत आने वाले अधिकारियों को अलाट किये जाते हैं :

क्वार्टरों की श्रेणी	वेतन सीमा
टाइप—I	259 रुपये तक
टाइप—II	260 रु० से लेकर 499 रु० तक
टाइप—III	500 रु० से लेकर 999 रु० तक
टाइप—IV	1000 रु० से लेकर 1499 रु० तक
टाइप—V	1500 रु० और इससे अधिक पाने वाले को।

ये वेतन सीमायें तारीख 14–8–75 को निश्चित की गई थीं। पहले की वेतन-सीमायें इनसे कम थीं। इसलिए इस समय बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो जिस श्रेणी के क्वार्टरों के हकदार हैं, उससे ऊपर की श्रेणी के क्वार्टरों में रह रहे हैं तारीख 31–3–1975 को टाइप IV, III, II, और I के क्वार्टरों में रहने वाले डाक-तार कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 16.69, 9.11, 6.16 और 4.65 था। कुल प्रतिशत 6.05 था।

(ख) केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के बारे में नवीनतम आंकड़े हमारे पास इस समय उपलब्ध नहीं हैं। तीसरे वेतन आयोग ने, अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 1970–71 मे रेलवे और डाक-तार विभाग को छोड़कर अन्य असैनिक विभागों के लिए 24 प्रतिशत क्वार्टर उपलब्ध थे, रेलवे के पास 38.7 प्रतिशत और डाक-तार विभाग के पास 5.4 प्रतिशत क्वार्टर उपलब्ध थे।

(ग) पांचवीं योजना के मसौदे में स्टाफ क्वार्टरों के लिए 61.25 करोड़ रुपये नियत करने का प्रस्ताव था। इससे लगभग 18,400 और क्वार्टरों का निर्माण हो सकता था। पांचवीं पंचवर्षीय योजना अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है, मगर डाक-तार विभाग को क्वार्टरों के लिये अभी तक जो वार्षिक आवंटन प्राप्त हुआ है वह योजना के मसौदे में किये गये प्रावधान से बहुत कम है। इसके अलावा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण पर सितम्बर, 1973 से पाबन्दी लगी हुई थी, जो जनवरी, 1976 में ही पूरी तरह से उठाई गई है। यद्यपि टाइप—I और II के कुछ क्वार्टरों के निर्माण के लिए जुलाई, 1975 में हमें छूट दे दी गई थी, तो भी इस काम के लिये अलाट की गई निधि अत्यन्त सीमित होने के कारण क्वार्टरों के निर्माण में बहुत प्रगति नहीं हो सकी। चालू वर्ष के दौरान निचले टाइप (टाइप I और II) के 2191 क्वार्टरों का निर्माण शुरू हो गया है। जब और अधिक निधि उपलब्ध हो जाएगी, तब आगे और क्वार्टरों के निर्माण का काम हाथ में लिया जाएगा।

डाक-तार विभाग में खिलाड़ियों की नियुक्ति

369. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग में उच्चकोटि के खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिये कोई निर्धारित कोटा है; और

(ख) यदि हां, तो सर्किल और केन्द्रीय स्तर पर खिलाड़ियों की नियुक्ति की क्या प्रक्रिया है ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) इसके लिए कोई निर्धारित कोटा नहीं है।

(ख) उच्चकोटि के खिलाड़ियों के अलग-अलग मामलों के बारे में सर्किल अध्यक्ष अपनी सिफारिशें भेजते हैं। इन मामलों पर डाक-तार निदेशालय में एक समिति द्वारा विचार किया जाता है। जिन उम्मीदवारों के बारे में यह समिति सिफारिश करती है और सरकार उनकी अनुमति दे देती है, उनकी भर्ती के लिए मंजूरी डाक-तार निदेशालय द्वारा जारी की जाती है।

872 L.S.—4

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन

370. **श्री विश्वनाथ झुंझनवाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन के बारे में राज्यों और केन्द्र के बीच समन्वित दृष्टिकोण न होने के कारण अच्छे परिणाम नहीं निकलते हैं; और

(ख) क्या परिवार नियोजन के समस्त उपाय मुख्यतया नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं और यदि नहीं, तो गत दो पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान कितनी प्रतिशत ग्रामीण जनता ने परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) परिवार कल्याण नियोजन एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके लिए केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को अनुमोदित पैटर्न के अनुसार शत प्रतिशत सहायता प्रदान करती है। यद्यपि विस्तृत नीतियां तथा सहायता के प्रतिमान केन्द्र सरकार द्वारा तय किए जाते हैं तथापि कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की ही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों का सदा ही समन्वित प्रयास रहा है। हाल ही में परिवार नियोजन के कार्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

(ख) परिवार नियोजन की योजनाएं ग्रामीण तथा नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में समान रूप से चलाई जाती हैं। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जितने नसबन्दी आपरेशन और लूप-निवेश हुए, उनके वर्ष-वार ब्यौरे का विवरण संलग्न है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने वालों की प्रतिशतता भी दे दी गई है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—10413/76] 1974-75 के दौरान राज्यों द्वारा ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में परिवार नियोजन पर जितना खर्च हुआ है, उसके अनुमानित ब्यौरे का विवरण भी संलग्न है। वित्तीय साधनों के नियतन तथा कार्यक्रम की कुल उपलब्धियों, दोनों से ही स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम पर काफी जोर दिया गया है तथा वहां की काफी जनता ने इसे अपनाया है।

Bilateral Agreements with Sri Lanka

371. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state:

(a) whether some important agreements have taken place between the Government of India and Sri Lanka some days back;

(b) is so, the nature thereof; and

(c) the benefit likely to be received by the two countries therefrom?

The Minister of External Affairs (Shri Yaswantrao Chavan): (a) & (b) Yes, Sir. During the third meeting of the Indo-Sri Lanka Joint Commission for Economic, Trade and Technical Cooperation held in New Delhi from 5th to 10th February, 1976 agreements were concluded on grant of credit facilities, cooperation in science and technology, extension of communication facilities and cooperation in civil aviation.

(c) As a result of these agreements and the discussions held during the meeting of the Joint Commission, the two countries will increase their trade turnover, improve their communication facilities, develop industrial cooperation and strengthen technical cooperation to their mutual advantage in animal husbandry, science and technology, civil aviation, rural development etc.

खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिये अधिक प्रयोगशालाओं की स्थापना

372. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिये देश के विभिन्न क्षेत्रों में और अधिक प्रयोगशालाएं स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के प्रयोजनों के लिए देश के विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कई प्रयोगशालाएं खुली हुई हैं। राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया गया है कि वे और प्रयोगशालाएं खोलें और परीक्षण की सुविधाओं को भी बढ़ाएं। "परीक्षण की मिली-जुली प्रयोगशालाएं खोलना" नामक केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को या तो खाद्य और औषधि-परीक्षण की मिली-जुली नई प्रयोगशालाएं खोलने के लिए या वर्तमान प्रयोगशालाओं में औषधि खाद्य विंगों के निर्माण के लिए और वर्तमान मिली-जुली प्रयोगशालाओं को कीमती और आधुनिकतम उपकरणों की सप्लाई के लिए सहायता दी जा रही है।

इस समय खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता नामक एक अपीली प्रयोगशाला काम कर रही है। खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 के उपबन्धों के अधीन यथासमय निम्नलिखित प्रयोगशालाओं को क्षेत्रीय आधार पर केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला घोषित कर देने का विचार है :—

1. खाद्य अनुसन्धान और मानकीकरण प्रयोगशाला, गाज़ियाबाद .	उत्तर क्षेत्र
2. राज्य जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, पूना . .	पश्चिमी क्षेत्र
3. केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसन्धान संस्थान, मैसूर .	दक्षिण क्षेत्र
4. केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता . . .	पूर्वी क्षेत्र

अनिवार्य परिवार नियोजन का महिला-संगठनों द्वारा विरोध

373. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि महिला संगठनों ने तथा सरकारी कर्मचारियों ने अनिवार्य परिवार नियोजन का विरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) यद्यपि कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कुछ प्रोत्साहन और हतोत्साहन योजनाएं अपनाई जा रही हैं तथापि परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया गया है। प्रोत्साहन और हतोत्साहन योजनाओं के खिलाफ भारत सरकार को कोई औपचारिक विरोध नहीं मिला है।

(ख) देश की जनसंख्या की वर्तमान स्थिति में लघु परिवार के आदर्श को अपनाने के लिए कुछ दबाव डालने का औचित्य इसलिए ठीक प्रतीत होता है कि यथाशीघ्र नागरिकों के जीवन-स्तर को बेहतर बनाया जाए ।

Passports to persons to Madhya Pradesh and Rajasthan to Visit Arab Countries.

374. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state:

(a) the number of persons of Madhya Pradesh and Rajasthan who had gone to visit Arab countries such as Kuwait. Mecca Medina during the last three years;

(b) the number of those out of them who have not come back after the expiry of the period for which they had gone;

(c) the number of such persons who had proceeded on temporary visas and had acquired permanent visas after reaching there and the reasons therefor; and

(d) whether many persons acquired passports and visas on false particulars about their residence?

The Minister of External Affairs (Shri Yashwantrao Chavan)

(a) The figure is as follows:

	1973	1974	1975	Total
M. P.	523	1189	1348	3060
Rajasthan	3056	2713	15967	21736

(b) We have no information. Passports are generally issued for a period of five years and it is entirely left to the passport holders to depart from or to return to India at their discretion and convenience.

(c) Visas are issued by foreign governments and as such we do not have any information.

(d) Few cases have come to our notice and Suitable action against them according to the provisions of the Passports Act has been taken.

Return of Indians under Srimavo Shastri Pact

375 **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the **Minister of External Affairs** be pleased to state:

(a) whether 40,000 persons are likely to migrate to India from Sri Lanka;

(b) the number of Indians who are to return to India under Srimavo-Shastri Pact; and

(c) the number of people of Indian origin so returned to India during 1975-76?

The Minister of External Affairs (Shri Yashwantrao Chavan)

(a) Under the 1964 and 1974 agreements. 51,000 persons are expected to be repatriated to India in 1976, subject to completion of all prescribed formalities.

(b) Total of 600,000 persons of Indian origin, with their natural increase, are to be repatriated to India in stages.

(c) Repatriation figures are kept on a calender year basis. In 1975, 24,392 persons and in 1976 upto February 4,895 persons were repatriated to India.

Implementation of Provisions Against Bonded Labour in Madhya Pradesh.

376. **Shri G.C. Dixit**: Will the **Minister of Labour** be pleased to state how far the provisions preventing bonded labour have been implemented in Madhya Pradesh in accordance with the 20 Point Economic programme enunciated by the Prime Minister.

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : The State Government of Madhya Pradesh have vested all district Magistrates with necessary Powers under Section 10 of the Bonded Labour System (Abolition) Ordinance, 1975 and conferred the powers of Fisrt Class Judicial Magistrates on the District Magistrates under Section 21(1) of the Ordinance for trial of offences under the said Ordinance. All Divisional Commissioners and Collectors, District Magistrates and Sub Divisional Magistrates have been directed to ensure abolition of the said system in their respective Divisions/Districts. VigilanceCommittees-under Section 13 thereof are being constituted in consultation with the District Magistrates.

Import of Stainless Steel

377. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to state:

(a) the quantity and value of stainless steel imported from different countries during 1973-74 and 1974-75. year-wise; and

(b) requirements of stainless steel during the aforesaid years and the quantity of stainless steel produced by Durgapur and Bhilai steel plants respectively of Hindustan Steel Ltd. during these years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) Imparts of stainless steel during 1973-74 and 1974-75 were 17,112 tonnes valued at Rs. 14·26 crores and 34, 246 tonnes valued at Rs 31·21 crores respectively.

(b) No precise demand estimates for stainless steel are available. The Manavasi consultants had in 1973 placed estimated demands for flat products of stainless steel for 1973-74 at 24,750 tonnes. Durgapur and Bhilai steel plants do not produce stainless steel. Alloy steels plant, Durgapur produced 4203 tonnes and 5867 tonnes of stainless steel during 1973-74 and 1974-75 respectively.

युगांडा से वापिस लौटे भारतीयों को मुआवजा

378. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **विदेश मंत्री** क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और युगांडा ने युगांडा से वापिस लौटे भारतीयों पर लागू होने वाले क्षतिपूर्ति फार्मूले को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षतिपूर्ति फार्मूले की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्षतिपूर्ति की कुल राशि कितनी है ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) माननीय सदस्य का ध्यान 29 जनवरी, 1976 को उपविदेश मन्त्री द्वारा संसद् के दोनों सदनों में दिये गए वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है जिसमें दूसरी बातों के अलावा उगांडा छोड़ने वाले भारतीयों को मुआवजा दिये जाने के बारे में हुए समझौते की मुख्य-मुख्य बातें बताई गई हैं और इस मुआवजे की कुल राशि भी ।

परिवार नियोजन के लिए कठोर उपाय

379. **श्री पी० गंगादेव :**
सरदार महेन्द्र सिंह गिल :
श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार परिवार नियोजन के बारे में कोई कठोर उपाय करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है;

(ग) क्या अनेक राज्यों में परिवार नियोजन जोर पकड़ रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) परिवार नियोजन कार्यक्रम को तेज करने के लिए कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

(ख) अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) चालू वर्ष के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम के काम में काफी सुधार हुआ है।

(घ) अप्रैल, 1975 से जनवरी, 1976 तक की अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रम के कार्य का राज्यवार और तरीकेवार विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—10414/76]

बोकारो धमन भट्टी द्वारा रिकार्ड उत्पादन

380. **श्री पी० गंगादेव :** क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोकारो इस्पात सन्यन्त्र की धमन भट्टी द्वारा जनवरी, 1976 में कुल कितनी मात्रा में गर्म धातु का उत्पादन किया गया;

(ख) क्या बोकारो इस्पात सन्यन्त्र के अन्य एककों में भी जनवरी, 76 में उत्पादन के नये रिकार्ड स्थापित किये गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) 90,008 टन।

(ख) और (ग) इस्पात कारखाने की निम्नलिखित इकाइयों ने भी जनवरी में उत्पादन के नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं :—

विभाग	उत्पाद	जनवरी 1976 में उत्पादन (टन)
कोक ओवन और उपोत्पाद .	अमोनियम सल्फेट . .	1168.0
स्टील मेल्टिंग शाप . .	पिण्ड . . .	41,873
स्लेबिंग मिल . . .	सिल्लियां . . .	30,263

स्वास्थ्य सेवाएं तथा चिकित्सा शिक्षा के लिए योजना

381. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मन्त्रालय देश में स्वास्थ्य सेवाओं तथा चिकित्सा शिक्षा के लिये कोई योजना तैयार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ग) क्या उक्त योजना राज्य सरकारों को भी भेजी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० सहाक) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) "कार्य-योजना" का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और इसे विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों और सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों को उनके विचार जानने के लिए भेज दिया गया है ताकि सरकार उसे इस वर्ष अप्रैल में होने वाली केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की आगामी बैठक के समक्ष रख सके ।

(घ) "कार्य-योजना" की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:—

(1) सामुदायिक स्तर के कार्यकर्ता तैयार करना;

(2) स्वास्थ्य सहायकों का एक काडर बनाना और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और स्वास्थ्य सहायकों को स्वास्थ्य के निरोधी और संवर्धक पक्षों के कार्यों पर ही न लगा कर उन्हें उपचार के काम पर भी लगाना; और

(3) मेडिकल कालेजों को सामुदायिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के समाधान के कार्यों में लगाना ताकि एक व्यापक स्वास्थ्य रेफरल कम्प्लेक्स तैयार हो सके ।

Transportation of stores by Water Transport

382. **Shri Chandrika Prasad**: Will the **Minister of Shipping and Transport** be pleased to state whether Ballia irrigation authorities had placed order worth Rs. 15 lakhs with the Inter-State Water Transport Officer, Patna, for transporting stores which has been refused by the Water Transport Officer due to non-availability of transport steamers or for certain other reasons?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri H. M. Trivedi): No, Sir. The experimental-*cum*-promotional river service on the Ganga, which was started in November 71 between Patna and Ghazipur, was extended upto Chunar in July' 72 to specifically carry stone boulders. During the period July '72 to November '74, this service carried 10,111 tonnes of stone boulders and the freight earned amounted to Rs. 496 lakhs approximately.

In March' 74 the U. P. authorities made another offer for carrying 20,000 tonnes of boulders for movement by IWT from Chunar to Ballia but the State authorities subsequently intimated that the scheme for Ballia Flood protection work had not been approved by the Ganga Flood Control Commission and no boulders could be offered for movement by IWT.

In July '74 the UP authorities again offered 22,000 tonnes of stone boulders for movement by IWT from Keshopur to Ballia. But the workable rate quoted by the Regional Officer at Patna was not found acceptable by the State Government.

In December '75 the State authorities have offered 7,000 tonnes of stone boulders for movement from Chunar to Ballia. Arrangements are being made to start this movement shortly. Non-availability of steamers was never a bottleneck.

Water transport between Ayodhya and Patna

383. **Shri Chandrika Prasad**: Will the **Minister of Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) whether Bhagwati Committee had made a recommendation for operation of water transport in the Ghaghra between Ayodhya and Patna and repeated requests were made in the meetings of the Committee for regular operation thereof and it was also operated on trial basis and it earned a huge profit; and

(b) if so, the reasons for not operating the same now?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri H. M. Trivedi):

(a) The Bhagavati Committee had recommended that a service should be organised on the Ghaghra river between Dohrighat and Ravelganj (Chapra) on an experimental basis in the first phase and the feasibility of expending this service upestream of Dohrighat towards Ayodhya be investigated. An *ad-hoc* service was run by the Inland water Transport Directorate from August '74 to November '74 between Patna and Bhagalpur. This *ad-hoc* service suffered an estimated loss of Rs. 0.35 Lakh.

(b) Water transport on this river is only possible during the monsoon season. During the lean months mechanised transport is possible only if "bandalling" is done for which Bihar and U.P. Govts. have not so far agreed. With the improvement in offerings of rail wagons, practically no traffic is available for river transport on the river Ghaghra and during rainy seasons of 1975 the vessels of this Directorate did not get any traffic in spite of the best efforts. After the implementation of the Sarda Sahayak Pariyojana, the availability of water for navigation is likely to decrease further.

उद्योगपतियों पर भविष्य निधि की बकाया राशि

384. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योगपतियों पर भविष्य निधि की बकाया धनराशि के नवीनतम आंकड़े क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अनुपाती आंकड़े क्या थे; और

(ग) उक्त धन राशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत की है:---

(क) 31 दिसम्बर, 1975 को भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशि 2033.97 लाख रुपये थी ।

(ख) 31 मार्च, 1973, 1974 और 1975 को बकाया राशि क्रमश: 1961, 1906 और 1934 लाख रुपये थी ।

(ग) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम 1952 के उपबन्धों के अनुसार दोषी नियोजकों पर अभियोजन चलाए गए हैं, राजस्व कार्रवाइयां आरम्भ की गई हैं और पेनल क्षतियां उदग्रहण की गई हैं ।

अंगोला के राष्ट्रपति का भारत के प्रधान मन्त्री को पत्र

385. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**: क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंगोला के राष्ट्रपति ने हाल ही में भारत के प्रधान मन्त्री को एक पत्र लिखा था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) भारत सरकार द्वारा अंगोला लोक गणराज्य की सरकार को औपचारिक तौर पर मान्यता प्रदान करते हुए प्रधान मन्त्री ने 6 फरवरी को जो सन्देश भेजा था, उसके उत्तर में राष्ट्रपति नेटो ने 9 फरवरी को तार भेजा है ।

(ख) तार में राष्ट्रपति नेटो ने प्रधान मन्त्री को धन्यवाद दिया है और कहा है कि भारत सरकार द्वारा दी गई मान्यता "विदेशों के नियमित सैनिकों द्वारा आक्रमण और जोर-जबर्दस्ती के विरुद्ध हमारे मुक्ति संग्राम के संचालन में अमूल्य प्रोत्साहन" है और अंगोला दक्षिण अफ्रीका के अल्पसंख्यक जातिवादी शासन द्वारा अंगोला के विरुद्ध आक्रमण की भारत द्वारा घोर निन्दा की सराहना करता है । राष्ट्रपति नेटो ने यह भी कहा है कि वह भारत तथा अंगोला के बीच भाई चारे की भावना से मित्रता और लाभकारी सहयोग की आशा करते हैं ।

Compensation and Jobs to Families affected by Chasnala Coal Mine Disaster

386. **Shri Shankar Dayal Singh :**
Shri Jagannath Mishra :
Shri Samar Guha :
Shri Ramavtar Shastri :

Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the amount distributed so far by way of assistance among the families affected by the Chasnala Coal Mine disaster ;

(b) the number of persons from these families given jobs ; and

(c) whether there is any scheme for assisting these families in any other way and if so, the outlines thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad):

(*a*) The following amounts have been distributed to the families affected by the Chasnala colliery accident, upto the 6th March, 1976 :—

I. BY INDIAN IRON AND STEEL COMPANY LIMITED :

	No. of cases	Amount Rs.
(1) Ex-gratia payment at the rate of Rs. 1000 per family	370	370,000
(2) Unpaid wages for December, 1975	338	266,397·58
(3) Ex-gratia for January, 1976	296	1,79,350·93

(4) IISCO have paid an amount of Rs. 899,000 to the Workmen's Compensation Commissioner in respect of 92 cases falling within the purview of the Workmen's Compensation Act.

II. BY BIHAR GOVERNMENT	No. of cases	Amount Rs.
Ex-gratia payment at the rate of Rs. 500 per family	370	1,85,000·00

III. BY COAL MINES WELFARE ORGANISATION :

	No. of cases	Amount Rs.
(1) Ex-gratia payment at the rate of Rs. 250 per family	366	91,500·00
(2) Provident Fund	45	1,36,114.38
(3) Compensation (with regard to pensions outside the purview of W. C. Act) and gratuity	44	4,90,406·84
(4) Assurance benefit	41	36,440.00

(b) The number of persons of the affected families who have been offered employment is as under :

BY	Number
(1) Indian Iron and Steel Company Limited	336
(2) Central Reserve Police	13
(3) Coal Mines Welfare Organisation	5
(4) Eastern Coalfield Limited	2
(5) Bharat Coking Coal Limited	3
(6) Hindustan Copper Limited, Mosabani	5
(7) Singareni Collieries Limited	7
(8) Neyveli Lignite Corporation Limited	1
(9) Government of Bihar	10
(10) Government of Tamil Nadu	3

The offers of appointment issued by IISCO also cover some of the persons who have subsequently been offered employment by other Organisations as the persons have not made up their minds finally.

(c) Under the Coal mines Fatal and Serious Accident Benefit, scheme, an allowance of Rs 75/-per month for a period of five years will be paid to the widow/widows. If the allowance is paid to a dependent other than widow/widows, an amount of Rs. 50/- per month will be paid for a period of five years. A monthly scholarship of Rs. 15/- per month will be paid for a period of five years in respect of each school going child. These amounts are payable as per the terms and conditions prescribed under the Scheme. A proposal is under examinations to extend for medical treatment in the hospitals of the Coal Mines Welfare Organisation to the dependents (legitimate wife/wives)) wholly dependent unmarried children upto the age of 21 years and wholly dependent parents and to revise the quantum of scholarship amount in respect of the school going children. Monthly family pension as per Coal Mines Provident Fund Family Pension. Scheme will also be payable to the widow/dependents.

A proposal is also under examination that in order to encourage remarriage of widows. the present condition that the widows will become ineligible for family pension and monthly allowance after marriage should be removed and they should be allowed to continue to get these amounts.

A scheme is being drawn up for constructing houses for the affected families. Government of Bihar have agreed to give land at the rate of 0·04 acres per family and a plot of land at Chasnalla has been earmarked for this purpose. Other concerned State Governments have also been requested to give similar facilities.

It is proposed that the amount paid to each family by way of Provident Fund, Grauitty, etc. should be got invested suitably in long term securities so that a regular income will accrue to the dependents for a number of years.

As each family will have its own peculiar problems of rehabilitation, contacts are being established with each family to see how best they can be assisted.

Minimum Wages for Mica Workers

387. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state ;

(a) whether minimum wages for mica workers have been fixed ;

(b) if so, the outlines thereof ; and

(c) whether payment is being made to the workers accordingly ;

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma):

(a) & (b) : Minimum wages were fixed by the Governments of Andhra Pradesh, Bihar, Rajasthan and Tamil Nadu. The Central Government has notified its own proposals for revision of minimum wages in mica mines at the rate of Rs. 5·80 per day for unskilled, Rs. 7·25 for semi-skilled and Rs. 8·70 for skilled workers. These proposals are expected to be finalized soon.

(c) By and large, the minimum wages already fixed are reported as being paid.

Industrial Cooperation with Uganda

388. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uganda have initiated negotiations with the Government of India for obtaining cooperation or help in certain industrial fields ; and

(b) if so, the facts thereof and the reaction of Government of India thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Yashwant Rao Chavan) : (a) & (b) No formal negotiations have been initiated by Government of Uganda. However, during the visit of our Deputy Foreign Minister to Kampala in January, 1976, the Foreign Minister of Uganda expressed a hope for closer economic and technical cooperation between India and Uganda. Our Deputy Minister assured the Foreign Minister of India's willingness to cooperate in economic and technical fields as she was doing with other developing countries.

The Government of Uganda have separately approached us for services of a number of Indian experts in the field of sugar technology. This request is under consideration.

तार बुक करने की घटती हुई प्रवृत्ति

389. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक नमूना सर्वेक्षण से पता चला है कि देश में तार बुक करने की प्रवृत्ति कम होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पत्तनों पर अधिक माल जमा हो जाने का निर्यात पर विपरीत प्रभाव

390. **श्री राम सहाय पाँडे** :
श्री रामभगत पासवान :

क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तनों पर अधिक माल जमा हो जाने का निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो माल जमा होने के क्या कारण हैं और क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी नहीं, बम्बई पत्तन पर अधिक माल जमा होने के अलावा अन्य पत्तनों पर ऐसा कहीं नहीं है, क्योंकि गोदियों में पड़े आयात माल के एकत्रित हो जाने से माल गोदाम स्थान, जो निर्यात माल के लिए आबंटित किया जा सकता था, में कमी कर दी गई है।

(ख) बम्बई में माल के जमाव के मुख्य कारण सीमा शुल्क औपचारिकताओं के पालन में समय लगना, बैंको द्वारा ऋण प्रतिबंध लगना, जिसके फलस्वरूप आयातकर्ताओं के सीमा शुल्क तथा पत्तन न्यास प्रभार चुकाने में विलम्ब होता है, प्रेषितियों की लापरवाही अथवा अकुशलता आदि।

किये गये उपचारात्मक उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उन गट्ठरों को छतदार शैडों से खुले स्थान में स्थानान्तरित किया गया जिनका खुले में रखने से कोई नुक्सान होने की संभावना न थी।

(2) गोदियों में पड़े खुले माल की सूचियां तैयार करके सीमा शुल्क विभाग को नियमित रूप से भेजी गई ताकि निपटानार्थ प्राथमिकता दी जाये।

(3) आयात माल की सीधी सुपुर्दगी के लिए सीमा शुल्क विभाग द्वारा दी गई सुविधाओं का व्यापक प्रचार।

(4) सीमा शुल्क विभाग द्वारा लाइसेंस जारी किये गये जिनमें आयातकर्ताओं आदि के सीमा शुल्क बाड़े के अन्तर्गत अपने अपने मालगोदामों में अपने माल को जमा करने की अनुमति दी गई।

(5) जब्त किये ऊनी चिथड़ों को जमा करने के लिए सीमा शुल्क विभाग को गोदियों के बाहर छतदार 2 शेडें आवंटित की गयी।

(6) रुके माल को शीघ्र निपटानार्थ गोदी विभाग को सशक्त किया गया।

(7) छतदार गोदाम के स्थान में वृद्धि की गई है।

(8) जब्त किये माल के लिए एक बहुमंजलीय गोदाम के निर्माण के लिए सीमा शुल्क विभाग को एक भूमि व प्लाट देने का प्रस्ताव किया गया है।

खानों में सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता के बारे में जाँच

391. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्टक ने सरकार से देश की सभी खानों में सुरक्षा उपायों की पर्याप्तता के बारे में पूरी जांच करने के आदेश देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने जमशेदपुर में इन्टक की कार्यकारी समिति द्वारा अभी स्वीकृत किए गए खानों में सुरक्षा संबंधी संकल्प की एक प्रति "अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए" अभाप्रेषित की है जिसमें भारत सरकार से देश में सभी खानों में सुरक्षा के संम्बंध में तत्काल पूर्ण जांच करने का अनुरोध किया गया है। सरकार मामले से अवगत है।

छोटे इस्पात सन्यन्त्रों की क्षमता का उपयोग

392. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न सुविधाओं के बावजूद देश के छोटे इस्पात सन्यन्त्रों ने क्षमता के उपयोग के बारे में आशा के अनुरूप प्रगति नहीं की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) भूत में छोटे इस्पात कारखानों में क्षमता का कम उपयोग मुख्यतया बिजली तथा रद्दी लोहे की कमी के कारण हुआ है। इस समय बिजली तथा रद्दी लोहे की उपलब्धि की स्थिति संतोषजनक है। इस समय इन इकाइयों की मुख्य समस्या उनके उत्पादों की विक्रेयता की है। पता चला है कि इनमें से कुछ इकाइयों को वित्तीय कठिनाई का भी सामना करना पड़ रहा है।

सरकार ने परामर्शी इंजीनियरों की दो फर्मों को विद्युत् चाप भट्टियों की समस्याओं के अध्ययन करने का काम सौंपा है जिससे कि उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

भारत और पाकिस्तान के बीच रेल और विमान यातायात फिर चालू किया जाना

393. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :**
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच रेल यातायात फ़िर चालू करने के लिए कोई समझौता हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक फिर चालू हो जायेगा; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप विमान यातायात भी फ़िर चालू हो जायेगा ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) भारत और पाकिस्तान के बीच रेल यातायात की पुनस्थापना के बारे में दोनों देशों में अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ है, परन्तु हाल ही में इस विषय पर कुछ विचार विनिमय हुआ है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जमशेदपुर-राँची राष्ट्रीय राजमार्ग की बुरी दशा

394. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमशेदपुर और रांची के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग बुरी हालत में है;

(ख) क्या सड़क का निर्माण विशिष्टयों के अनुसार हुआ था ;

(ग) क्या इस सड़क के निर्माण में कार्यरत चीफ इंजीनियर और अन्य इंजीनियरों के विरुद्ध कोई जांच की गई थी ; और

(घ) इस सड़क के क्षतिग्रस्त होने के क्या कारण हैं और इस के लिए जिम्मेदार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) से (घ) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के रांची जमशेदपुर खंड को दोगली की सड़क बनाकर जिसे 1966 में यातायात के लिए खोला गया, में कुछ वर्षों के प्रयोग के बाद खराबी आ गई । इस खराबी के कारणों की जांच करने, इसके लिए जिम्मेदार ठहराने, और उपचारात्मक सुझाव देने के लिए राज्य सरकार ने, जो कार्यवाही एजंसी है, भारत सरकार के परामर्श से मई, 1975 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जिसमें राज्य के मुख्य इंजीनियर, तकनीकी जांच सैल, और इस मंत्रालय तथा केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान से एक एक प्रतिनिधि शामिल थे । समिति ने नवम्बर, 1975 में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट दी । रिपोर्ट पर वे इस समय विचार कर रहे हैं । इसी बीच, प्राय: सभी मरम्मत कार्य पूरे हो चुके हैं और वर्तमान सूचना के अनुसार सड़क की हालत अच्छी है और बिल्कुल खराब नहीं हैं । प्रसंगवश यह बता दिया जाये कि 1968 में भी राज्य सरकार ने खराबियों के कारणों की जांच करने, इसके लिए जिम्मेदार ठहराने तथा इस तरह की पुनरावृत्ति को रोकने

के लिए अर्थोपायों की सिफ़ारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया । इस विशेषज्ञ समिति ने जांच के बारे में भारत सरकार को कोई सूचना नहीं दी । परन्तु उस विशेषज्ञ समिति ने, जिसे बाद में राज्य सरकार ने मई, 1975 में गठित किया, दो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के साथ लिया। बाद की विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट देते समय पहली विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को भी देखा होगा ।

बोकारो होटल

395. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बोकारो होटल प्रबंधकों द्वारा विभागीय तौर पर चलाया जा रहा है अथवा किसी प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : बोकारो होटल के 201 कमरों में से एक भोजन कक्ष तथा सर्विस सुविधाओं सहित 27 कमरे सार्वजनिक होटल चलाने के लिये एक प्राइवेट एजेंसी को पट्टे पर दे रखे हैं । शेष कमरों तथा सुविधाओं का उपयोग बोकारो स्टील लिमिटेड द्वारा अतिथि-गृह के रूप में किया जाता है ।

पाकिस्तान और चीन के कब्जे में भारतीय भूमि

396. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8,911 हजार हैक्टर भूमि अभी भी पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जे के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उक्त देशों से भूमि वापस लेने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कुल मिलाकर लगभग 46,700 वर्ग मील का इलाका पाकिस्तान और चीन के अवैध कब्जे में है ।

(ख) और (ग). भारत सरकार की नीति यह है कि जम्मू और काश्मीर में पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो प्रदेश हैं उसे द्विपक्षीय रूप से, शान्तिपूर्ण तरीकों द्वारा तय किया जाये ।

जहां तक चीन का प्रश्न है, भारत सरकार ने कई अवसरों पर कहा है कि हल निकालने के लिए, अपने राष्ट्रीय सम्मान और हितों को ध्यान में रखते हुए, भारत उस देश के साथ बातचीत करने को तैयार है परन्तु चीन ने अभी तक कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है ।

सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की व्यवस्था का कार्यकरण

397. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की वर्तमान सुविधाओं के असंतोषजनक कार्य करने के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसकी कार्य-कुशलता को सुधारने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग के कार्यकरण के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधाओं के कार्य-चालन पर लगातार निगरानी रखी जाती है। लम्बी दूरी के चैनलों और स्थानीय जक्शनों की क्षमता में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है, ताकि निरन्तर बढ़ रहे यातायात की जरूरत पूरी की जा सके। हाल ही में विभागीय अधिकारियों की एक समिति का भी गठन किया गया है। यह समिति यह पता लगायेगी कि उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सेवा के कार्यकरण की खामियों के क्या कारण हैं और इसके कार्यचालन में सुधार लाने के उपाय सुझाएगी। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके सुझावों को ध्यान में रखते हुए इस णाली में और सुधार किये जायेंगे।

पाँच वर्षों में इस्पात उत्पादन क्षमता का दुगना होना

398. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **स्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों में देश में कुल इस्पात उत्पादन क्षमता दुगने से अधिक हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप हमारा देश इस्पात का केवल निर्यातक हो गया है;

(ग) क्या इससे इस्पात आयात पर हमारी निर्भरता खत्म हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी नहीं। इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि केवल बोकारो इस्पात कारखाने के 17 लाख टन पिण्ड के प्रथम चरण की कुछ इकाइयों के चालू होने से हुई है।

(ख) आशा है वर्ष 1975–76 में हमारा देश लोहे और इस्पात सामग्री के आयात की तुलना में इसका निर्यात अधिक करेगा।

(ग) और (घ). वर्ष 1975-76 में इस्पात के उत्पादन में काफी वृद्धि होने के फलस्वरूप वर्ष 1974-75 की तुलना में 1975-76 में इस्पात के आयात में उल्लेखनीय कमी आयेगी। फिर भी कुछ प्रकार के मेल्टिंग इस्पात तथा सश्लिष्ट और विशिष्ट प्रकार के इस्पात का कुछ मात्रा में आयात किया जाता रहेगा।

दूर-संचार के लिए देशीय उपग्रह छोड़ना

399. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** :

श्रीमती पार्वती कृष्णन् :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय एक ऐसा देशीय उपग्रह छोड़ने का विचार कर रहा है जो देश की समूची दूर-सचार व्यवस्था को नियंत्रित करेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय इलेक्ट्रानिक टेलीफोनिक प्रणाली भी आरम्भ कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन कदमों के फलस्वरूप भारत संचार के क्षेत्र में किस हद तक अन्य विकासशील देशों के बराबर आ सकेगा ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) संचार मंत्रालय भारत सरकार की दूसरी संबंधित एजेंसियों के सहयोग से एक आन्तरिक संचार उपग्रह प्रणाली की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इस प्रणाली की संचार क्षमता भूस्थलीय दूर-संचार कार्य-जाल के पूरक का काम करेगा।

(ख) संचार मंत्रालय डाक-तार कार्य-जाल में स्विचिंग के लिए इलेक्ट्रानिक टेलीफोन प्रणाली चालू करने पर भी विचार कर रहा है लेकिन यह प्रस्ताव आन्तरिक उपग्रह की स्थापना के कार्यक्रम के साथ सम्बद्ध नहीं है।

(ग) उपर्युक्त टेक्नालोजी को प्रयोग में लाने के बाद भारत दूर-संचार के क्षेत्र में विकसित देशों के बराबर प्रथम पंक्ति में आ जायेगा।

बिहार में नए डाकघर खोलना और सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करना

400. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री बिहार में नये डाकघर खोलने और सार्वजनिक टेलीफोन स्थापित करने के बारे में 29 जनवरी, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1499 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जिलों में किन-किन स्थानो पर डाकघर खोले गये हैं अथवा उनकी मंजूरी दी गई है और किन-किन स्थानों पर डाकघरों का खोला जाना अभी भी विचाराधीन है;

(ख) उपरोक्त चार जिलो में प्रत्येक की कुल जनसंख्या कितनी है तथा प्रत्येक जिले में कितने डाकघर हैं और उनमें कितने-कितने कर्मचारी हैं और क्या इन प्रत्येक जिलों के लिये पृथक्-पृथक् डाक-डिवीजन का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) :(क) से (ग). विस्तृत सूचना एक सूची में दी गई है जिसे सभा-पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—10415/76)

केरल में कम्पनियों पर कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

401. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में ऐसी कितनी कम्पनियां हैं जिन्होने अपनी कर्मचारी भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराई है और उन पर राशि बकाया है;

(ख) इन कम्पनियों पर बकाया राशि कितनी है; और

(ग) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर, एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रतिष्ठानों के नाम (जिनकी बकाया राशि एक लाख रुपये और अधिक है), देय राशि तथा इनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल०टी०–10416/76]

कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा बकाया राशियां

402. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमे में नियोक्ताओं के अंशदान की बकाया राशि गत तीन वर्षों से वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके वर्षवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) 31 दिसम्बर, 1975 को कितनी राशि बकाया थी; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :(क) से (ग). (i) भविष्य निधि प्राधिकारियों ने भविष्य निधि के बकायों के बारे में निम्न स्थिति सूचित की है :—

31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष	कर्मचारी का भाग	नियोजक का भाग	जोड़
		(रुपये करोड़ों में)	
1973 . . .	6.25	13.36	19.61
1974 . . .	7.50	11.56	19.06
1975 . . .	7.90	11.44	19.34

31-12-1975 की स्थिति के अनुसार कुल बकाए 20.34 करोड़ रुपये हैं।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि नियोजक के अंशदान की बाबत बकाए के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि गत तीन वर्षों के दौरान कुल बकाया राशियां (नियोजकों की तथा कर्मचारियों की) निम्न प्रकार थीं :—

	(करोड़ों में)
1973 .	13.81 रुपये
1974 .	15.80 रुपये
1975 . . .	14.56 रुपये

(31-12-1975 की स्थिति के अनुसार)

(घ) (i) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार अभियोजन चलाए जाते हैं, राजस्व वसूली कार्यवाहियां आरम्भ की जाती हैं और चूककर्त्ता नियोजकों पर दण्डनीय हर्जाने लगाये जाते हैं।

(ii) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन, सामान्यतः, बकाया राशियों की वसूली अधिनियम की धारा 45ख के अधीन भूराजस्व के बकायों के रूप में की जाती है। जहां आवश्यक होता है, वहां अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत चूककर्ताओं के विरुद्ध मुकदमे भी चलाये जाते हैं।

Adverse effect of family Planning Pills

403. Shri Hari Singh : Will the Minister of **Health and family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are distributing some oral pills to women for family-Planning ;

(b) if so, whether some cases of adverse effect on the health of women, caused by taking those pills, have come to the notice of Government recently; and

(c) if so, whether Government propose to stop distribution of those pills ?

The Deputy Minister of Health and Family Planning (Shri A, K. M. Ishaque) : (a) Yes.

(b) No serious adverse effects have come to notice. Minor complaints such as nausea dizziness occur in some women taking oral pills in the first three months or so.

(c) Does not arise.

"हैपाटिटिस" के उपचार हेतु एक टीके के लिए अनुसन्धान

404. श्री हरी सिंह क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 21 जनवरी, 1976 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में भारत के कुछ वाइरस वैज्ञानिकों द्वारा अत्यन्त प्रचंड प्रकार के हैपाटिटिस (पीलिया रोग) के लिए एक टीके के लिए किए गए अनुसंधान के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या उक्त टीके का मनुष्यों पर प्रयोग करके देखा गया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, हां।

(ख) इस वैक्सीन पर अभी भी प्रयोग चल रहा है। प्रयोगात्मक पशुओं पर इसे परखा गया है और अभी तक जो परिणाम निकले हैं वे उत्साहवर्धक हैं।

(ग) जी, नहीं।

भारतीय उपमहाद्वीप की स्थिति से अवगत कराना

405. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत ने भारतीय उप महाद्वीप की वर्तमान स्थिति के बारे में भूटान, नेपाल और बंगलादेश को अवगत कराने के लिये कोई पहल की है ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : भारत सरकार पड़ौसी देशों के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखती है और सामान्य राजनयिक सूत्रों तथा एक दूसरे देशों की यात्राओं के माध्यम से उप-महाद्वीप की स्थिति के बारे में भारत के विचारों और नीतियों से उन्हें अवगत कराती रहती है ।

चसनाला कोयला खान से प्राप्त हुए शव

406. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :
श्री वीर भद्र सिंह :
श्री समर गुह :
श्री आर० आर० सिंह देव :
श्री रानेन सेन :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चसनाला कोयला खान से अब तक कुल कितने शव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) क्या कोयला खान से संबंधित सभी केन्द्रीय मजदूर संघ संगठनों को जांच आयोग के समक्ष उपस्थित होने की अनुमति दी गई है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) 9-3-1976 को 1500 घंटों तक बाहर निकाले गए शवों की कुल संख्या 362 है ।

(ख) संघों सहित सभी पक्षों, जो जांच न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होना चाहते थे, को उपस्थित होने की अनुमति दे दी गई है ।

गोआ में लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर की वसूली

407. श्री इराज्मु-द-सेकैरा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ में गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष कितना लौह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर वसूल किया गया है ;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उक्त वसूली में से प्रशासन तथा कल्याण पर कितनी धन राशि व्यय की गई; और

(ग) कल्याण की मदों के अन्तर्गत किस प्रकार से वितरण किया गया ?

श्रम मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) :

(क)

1972-73	*26,13,300 रुपये
1973-74	*23,99,000 रुपये
1974-75	*15,24,000 रुपये

*समाहित आंकड़ों के अनुसार

	प्रशासन	कल्याण	जोड़
(ख)			
1972–73 . .	83,897.00	13,05,817.00	13,89,713.00
1973–74 .	76,524.00	18,14,426.00	18,90,950.00
1974–75 . .	1,57,252.00	15,81,306.00	17,41,558.00

(ग) निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत कल्याण योजना पर व्यय किया गया :

(1) स्वास्थ्य । (2) आवास । (3) जल-सम्भरण । (4) मनोरंजन । (5) शिक्षा ।

अयस्क के लिए नदी लदान स्थलों को खान अधिनियम के अन्तर्गत लाना

408. श्री इराज्मु-द-सेकैरा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास यह मांग विचाराधीन है कि अयस्क के लिए नदी लदान स्थलों को खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत लाए जाए; और

(ख) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार किया है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अफ्रीकी एशियाई देशों का समुद्र सम्बन्धी विधियों के बारे में सम्मेलन

409. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र सम्बन्धी विधियों पर विचार करने के लिए हाल ही में दिल्ली में 33 अफ्रीकी एशियाई देशों का 5 द्विसीय सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो ततसम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) उक्त सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) एशिया-अफ्रीका विधि परामर्शदात्री समिति की समुद्री कानून विषयक उप-समिति की बैठक 2 फरवरी से 6 फरवरी 1976 तक नई दिल्ली में हुई । अफ्रीका और एशिया की 33 सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस बैठक में भाग लिया और समुद्री कानून सम्मेलन की तीन प्रमुख समितियों के अध्यक्ष द्वारा तैयार किए गए 'सिंगल नेगोशिएटिंग" मूलपाठों पर विचारों का आदान-

प्रदान किया। इन मूलपाठों के आधार पर 15 मार्च से 7 मई 1976 तक न्यूयार्क में आयोजित होने वाली समुद्री कानून सम्मेलन के अगामी सत्र में आगे बातचीत की जाएगी।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र के उपयोग से संबद्ध मामलों के बारे में, एशिया-अफ्रीका के देशों ने आमतौर से 'सिंगल नेगोशिएटिंग' मूलपाठ में निहित विचारों का समर्थन किया। इस पर जोर दिया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल क्षेत्र के संसाधन मानवजाति की समान दाय है, उनका उपयोग प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल प्राधिकरण के प्रभावकारी नियंत्रण में किया जाना चाहिए, चाहे वह उपयोग प्राधिकरण द्वारा सीधे किया जाए अथवा संविदाकारों के माध्यम से या सम्मिलित उद्यमों के भागीदारों द्वारा किया जाए। यह भी महसूस किया गया कि अन्तर्राष्ट्रीय समुद्रतल उत्पादन के आर्थिक परिणामों का और अध्ययन किया जाना चाहिए।

समुद्री कानून के अन्य प्रश्नों पर, बैठक में इस बात का समर्थन किया गया कि किसी देश का प्रादेशिक समुद्र 12 मील तक विस्तृत होना चाहिए और प्रत्येक तटीय देश को 200 मील का आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने का अधिकार होना चाहिए; इस क्षेत्र का माप इस आधार-रेखा से किया जाना चाहिए जहां से प्रादेशिक समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है। समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रदूषण नियंत्रण से सम्बद्ध मामले उठाये तो गए, लेकिन समय की कमी के कारण उन पर विस्तार से विचार विमर्श न हो सका।

शिक्षुता अधिनियम लागू किया जाना

410. श्री वाई. ईश्वर रेड्डी : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षुता अधिनियम सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में संतोषपूर्ण ढंग से लागू कर दिया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या सरकार इन शिक्षुओं को उद्योगों तथा सम्बन्धित व्यापार गृहों में रोजगार अनिवार्य रूप से दिए जाने के लिए कदम उठा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां। विवरण संलग्न है। (ख) और (ग). यह मामला विचाराधीन है।

विवरण 1

शिशु अधिनियम, 1961 का कार्यान्वियन शिक्षुओं की नियुक्ति का समेकित विवरण

28–2–1976 को स्थिति

क्रमांक	राज्य/क्षेत्र का नाम	उपरान्त स्थान	प्रयुक्त किए गए स्थान
1	आंध्र प्रदेश . . .	4143	4257
2	असम . .	945	677
3	बिहार	5300	4941

क्रमांक	राज्य/क्षेत्र का नाम	उपरान्त स्थान	प्रयुक्त किए गए स्थान
4	चंडीगढ़	195	217
5	दिल्ली	5300	3525
6	गोवा	288	191
7	गुजरात	6050	5862
8	हरियाणा	3000	2924
9	हिमाचल प्रदेश	421	421
10	जम्मू व कश्मीर	387	283
11	कर्नाटक	4932	4081
12	केरल	4021	3700
13	मध्य प्रदेश	2155	2314
14	महाराष्ट्र	12406	14409
15	उड़ीसा	1724	1483
16	पांडिचेरी	266	279
17	पंजाब	2104	2104
18	राजस्थान	2000	1241
19	तमिलनाडु	7341	7463
20	उत्तर प्रदेश	10231	9643
21	पश्चिम बंगाल	10328	10326
22	मेघालय	146	34
23	त्रिपुरा	106	38
	योग राज्य/निजी क्षेत्र प्रतिष्ठान	81984	80413
1	पूर्वी क्षेत्र	13941	12509
2	उत्तरी क्षेत्र	9749	9787
3	दक्षिणी क्षेत्र	13370	10353
4	पश्चिमी क्षेत्र	10464	8182
	योग : केन्द्रीय क्षेत्र प्रतिष्ठान	47534	40831
	राज्य/निजी/केन्द्रीयक्षेत्र प्रतिष्ठानों का कुल योग	129518	121244

चसनाला कोयला खान दुर्घटना के बारे में न्यायिक आयोग के निष्कर्ष

411. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चसनाला कोयला खान दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त न्यायिक जांच आयोग ने अपना कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और यदि नहीं, तो उसका कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) न्यायालय से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी रिपोर्ट यथाशीघ्र सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

बन्धक श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा

412. **श्री परिपूर्णानन्द पैन्यूली** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बन्धक श्रमिकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : चूंकि इस विषय पर कोई व्यापक अखिल भारत आधार पर सर्वेक्षण नहीं किया गया था इसलिए राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

गैर-सरकारी मैडिकल कालिजों को सहायता

413. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ गैर सरकारी मैडिकल कालेज, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है छात्रों तथा उनके माता-पिता से प्रति व्यक्ति अधिक शुल्क लेने के लिए विवश हैं; और

(ख) क्या इन संस्थानों को वित्तीय सहायता देने की सरकार की कोई योजना है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, हां । प्राइवेट तौर पर चलाए जा रहे कुछेक मैडिकल कालेज छात्रों से कैपिटेशन फीस/दान लेते हैं ।

(ख) जी, नहीं । इन संस्थानों को वित्तीय सहायता देने की सरकार की कोई योजना नहीं है ।

दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयंत्रों में क्षमता का उपयोग

414. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, राउरकेला, भिलाई तथा बोकारो इस्पात संयन्त्रों में क्षमता उपयोग की प्रतिशतता कितनी कितनी है, और

(ख) पूरी क्षमता का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) अप्रैल, 1975 से फरवरी, 1976 की अवधि में भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों में विक्रय इस्पात की वार्षिक क्षमता का उपयोग इस प्रकार रहा है :—

भिलाई इस्पात कारखाना . . .	92.4 प्रतिशत
राउरकेला इस्पात कारखाना . . .	83.8 प्रतिशत
दुर्गापुर इस्पात कारखाना . . .	58.4 प्रतिशत

बोकारो इस्पात कारखानो के 17 लाख टन पिण्ड के प्रथम चरण की सभी इकाइयों का निर्माण/स्थापना कार्य सभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है ।

(ख) भूत में इस्पात कारखानों में क्षमता का कम उपयोग मुख्यतया बिजली की कमी, कोयले की अपर्याप्त उपलब्धि, मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होने, कोक भट्टियों के संतोषजनक ढंग से कार्य न करने तथा पर्याप्त रख-रखाव न होने के कारण हुआ है । इन कारखानों में पिछले दो वर्षों में क्षमता के उपयोग के मुकाबले में इन कारखानों की क्षमता के उपयोग में काफी सुधार हुआ है । उन दो वर्षों में इन कारखानों में क्षमता का उपयोग भिलाई में 85.6% तथा 86.1% राउरकेला में 60.0% तथा 66.3% और दुर्गापुर में 30.0% तथा 42.2% था । आशा है कि क्षमता के उपयोग में वर्ष 1976–77 में और भी सुधार हो जाएगा ।

काली पुल के निर्माण कार्य का पूरा होना

415. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में काली पुल का निर्माण कार्य पूरा करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 पर आवागमन के लिए दो मार्ग बनाने के कार्य के बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि कर्नाटक में इस राजमार्ग पर यातायात में तेजी से वृद्धि हो रही है और वहां अनेकों दुर्घटनायें होती हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) काली पुल कार्य सहित कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य कर्नाटक सरकार द्वारा निष्पादित किए जा रहे हैं । काली पुल की प्रगति सीमेंट तथा इस्पात की कमी के कारण तथा कुओं को धसाने के दौरान कड़ी सतह आ जाने से धीमी पड़ गई थी । अब कच्चे माल की पर्याप्त सप्लाई का प्रबंध कर लिया गया है । कुओं की नींव धंसाने की समस्या पर काबू पाने के लिए अब बातिल धंसान पद्धति अपनाई गई है । नौवहन और परिवहन मंत्रालय (सड़क पक्ष) के अधिकारी बराबर निर्माण स्थल पर आते रहते हैं और कार्य में तेजी लाने के लिए बाकी समस्याओं को हल करने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से बैठक करते रहते हैं । राज्य प्राधिकरणों ने ठेकेदारों से पुल को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए और अधिक प्रयास करने को कहा है ।

कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 की लम्बाई 280 कि० मी० है जिसमें से 142 कि० मी० दोहरी गली की है (18 फुट से 22 फुट) और शेष 138 कि० मी० की लम्बाई इकहरी गली की है। वित्तीय कठिनाई के कारण कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग 17 की एक गली वाले खंडों को दोहरी गली में चौड़ा किये जाने का कार्य हाथ में लेना सम्भव नहीं हुआ है। यह यातायात की आवश्यकतानुसार जब कभी इस कार्य के लिए धन उपलब्ध होगा, इस पर विचार किया जायेगा।

(ख) भारत सरकार को विदित है कि कर्नाटक में रा० राज मार्ग 17 पर सामान्यतः यातायात वर्ष प्रति वर्ष बढ़ता जा रहा है। जहां तक दुर्घटनाओं का प्रश्न है राज्य सरकार से इस मामले पर अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने हेतु कार्यवाही

416. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति पसन्द करते हैं और उसके आदी हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) गांवों में आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा को लोग मानते हैं और वे उनमें लोकप्रिय भी हैं।

(ख) गांवों में लोगों के इलाज के लिए राज्य सरकारें भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के अधिकाधिक औषधालय खोल रही हैं बशर्ते कि पैसे के भी कोई साधन हों।

जनसंख्या वृद्धि की दर

417. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ऐसा कोई राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र है जिसकी जनसंख्या में वृद्धि की दर गत दो दशाब्दियों से जब से परिवार नियोजन योजना आरम्भ की गई है, देश में सबसे अधिक रही है;

(ख) यदि हां, तो उस राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का नाम क्या है;

(ग) क्या इसके कारणों का विश्लेषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) पिछली दो दशाब्दियों में राज्यों के बीच त्रिपुरा की और संघशासित क्षेत्रों के बीच चण्डीगढ़ की जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक थी।

(ग) और (घ). त्रिपुरा और चण्डीगढ़ में तेज़ी से बढ़ रही जनसंख्या के कारणों के विषय में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। अनुमान है कि त्रिपुरा राज्य में इतनी अधिक वृद्धि दर आंशिक रूप से भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों के कारण है। चण्डीगढ़ में वृद्धि दर अधिक हो जाने का मुख्य कारण यह है कि पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की सांझी राजधानी होने से बाहर से लोग यहां आकर बस गए हैं।

अफ्रीका के देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध

418. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी महाद्वीप में ऐसे कोई देश हैं जिसके साथ हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और उनके साथ राजनयिक सम्बन्ध न होने के क्या कारण हैं?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) . (क) और (ख) भारत सरकार ने अफ्रीकी महाद्वीप के अधिकांश देशो के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर लिये हैं। हमें निम्नलिखित देशों के साथ रिहायशी/सह-प्रत्यायित राजदूत के माध्यम से औपचारिक राजनयिक सम्बन्ध अभी स्थापित करने हैं:—

1. अंगोला
2. केप वर्डे
3. मध्य अफ्रीकी गणराज्य
4. कोमोरिस
5. साओ तोम और प्रिन्साइप

यह मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

अंगोला की एम० पी० एल० ए० सरकार को मान्यता

419. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंगोला की एम० पी० एल० ए० सरकार को भारत द्वारा मान्यता दिये जाने के पश्चात् एशियायी तथा अफ्रीकी देशों में क्या प्रतिक्रिया है; और

(ख) क्या सरकार अंगोला को कोई आर्थिक अथवा तकनीकी सहायता देने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत द्वारा अंगोला की सरकार को मान्यता दिए जाने का एशिया तथा अफ्रीका के देशों ने आमतौर से स्वागत किया है। भारत द्वारा मान्यता दिए जाने के बाद अंगोला अफ्रीकी एकता संगठन का सदस्य हो गया और एम० पी० एल० ए० (अंगोला मुक्ति आन्दोलन) सरकार को और अधिक अफ्रीकी और एशियाई देशों ने मान्यता दे दी है।

(ख) जी हां । भारत सरकार दोनो देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी सहयोग के बारे में अंगोला सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है ।

जहाजरानी के क्षेत्र में भारत-श्रीलंका सहयोग

420. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहाजरानी के क्षेत्र में सहयोग के लिए श्रीलंका के साथ समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) · (क) और (ख) जबकि भारत-श्रीलंका आर्थिक व्यापार और तकनीकी सहयोग संयुक्त आयोग की हाल ही में हुई बैठक में श्रीलंका के साथ औपचारिक नौवहन समझौता जैसा कोई समझौता नहीं हुआ है दोनों पक्ष अपने पारस्परिक लाभ के लिए नौवहन के क्षेत्र में सहयोग बनाये रखने के लिये राजी हुये ।

श्रीलंका द्वारा निकाले गये भारतीयों का पुनर्वास

421. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** :
श्री एम० कल्याण सुन्दरम् :

क्या **विदेश मन्त्री** मह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने श्रीमावो- शास्त्री समझौते के अन्तर्गत 40,000 भारतीयों को निकाल देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन लोगों के पुनर्वास के लिए यहां पर क्या व्यवस्था की गई है ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) भारत और श्रीलंका के बीच 1964 और 1974 के करारों के अन्तर्गत, कुल मिलाकर 6 लाख भारत मूलक लोग और उनकी सन्तानें चरणों में भारत को प्रत्यावर्तित होनी हैं । प्रत्यावर्तन तब ही होना है जबकि ये लोग भारतीय नागरिकों के रूप में रजिस्टर हो जाते हैं और सम्बद्ध अधिकारियों से उन्हें उनकी देय राशि प्राप्त हो जाती है । उनमें से कुछ औपचारिकताएं पूरी हो जाने पर भी श्रीलंका में ही बराबर रहते हैं । श्रीलंका सरकार ऐसे लोगों को जल्दी वापस भेजना चाहती हैं । उनकी सही संख्या मालूम नहीं है ।

(ख) श्रीलंका से प्रत्यावर्तित होने वाले लोगों को पुनर्वास के लिए कई योजनाओं पर पुनर्वास मन्त्रालय में कार्रवाई की जाती है । इन योजनाओं में व्यापार, कृषि, आवास तथा शिक्षा ऋण और अनुदान तथा रोजगार के अवसर की व्यवस्था शामिल है ।

दिल्ली/नई दिल्ली के अस्पतालों में कार्य कर रहे सामाजिक कार्यकर्त्ता

422. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली / नई दिल्ली के प्रत्येक सरकारी अस्पतालों में, अलग अलग कितने पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या अस्पतालों में विभिन्न रोगों वाले रोगियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ताओं की वर्तमान संख्या पर्याप्त है;

(ग) सामाजिक कार्यकर्ताओं का औसत सेवाकाल कितना होता है; और उनकी पदोन्नति का तरीका क्या है ;

(घ) सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा समाज कल्याण विभागों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ङ) निर्धन तथा निराश्रित रोगियों की सहायता करने के लिए चिकित्सा समाज कल्याण विभाग मुख्यतया किन वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह अवधि 17 दिन से 19 वर्ष तक की है और पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं।

(घ) फिलहाल किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ङ) जनता से दान और अस्पताल कल्याण सोसाइटियों आदि द्वारा दिये जाने वाले चन्दे पर निर्भर है ।

विवरण

विभिन्न सरकारी अस्पतालों में इस समय कार्य कर रहे चिकित्सकीय सामाजिक कार्यकर्ताओं की संख्या/कार्यकर्ताओं की वर्तमान संख्या क्या पर्याप्त है—इसकी सूचना इस प्रकार है —

	(क)	(ख)
1. केन्द्रीय सरकारी अस्पताल		
1. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल, न्यू पुलिस लाइन्स, दिल्ली . . .	शून्य	शून्य
2. केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना अस्पताल, ओल्ड पुलिस लाइन्स, दिल्ली .	शून्य	शून्य
3. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली .	5	नहीं
4. कस्तूरबा निकेतन अस्पताल, नई दिल्ली	शून्य	शून्य
5. विलिंगडन अस्पताल और नर्सिंग होम, नई दिल्ली	2	नहीं
ii. दिल्ली प्रशासन	सूचना एकत्र की जा रही है	
iii. रेलवे	शून्य	शून्य
iV. दिल्ली नगर निगम	5	जी हां ।
V. नई दिल्ली नगर पालिका	शून्य	शून्य

vi. संविधिक निकाय	(क)	(ख)
1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	9	जी हां।
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली	सूचना एकत्र की जा रही है।	
3. कलावती शरण बाल अस्पताल, नई दिल्ली	2	नहीं
4. लेडी हार्डिंग मैडिकल कालेज एवं अस्पताल, नई दिल्ली	5	जी हां।
5. डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा सेवा केन्द्र, नई दिल्ली	1	नहीं।
vii. दिल्ली विश्वविद्यालय		
वल्लभभाई पटेल वक्ष संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	शून्य	शून्य

कोचीन शिपयार्ड के लिये वर्ष 1976–77 में परिव्यय

423. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले प्रथम जहाज की कील रखी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) कोचीन शिपयार्ड के लिए 1976–77 के वार्षिक योजना परिव्यय में कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) शिपिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया के लिये बनाये जा रहे कोचीन शिपयार्ड का पहला जहाज 75,000 डी० डब्ल्यू० टी०/42, 140 जी० आर० टी० समता के पानामैक्स टाइप खुला माल वाहक है जिसकी, जून, 1978 में सुपुर्दगी की जायेगी।

(ग) 22 करोड़ रुपये।

बोकारो तथा भिलाई इस्पात कारखानों का विस्तार

424. **श्री सी० जनार्दनन्** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो तथा भिलाई इस्पात कारखानो की सयुक्त क्षमता 170 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष करने के लिये उनका विस्तार किया जाएगा ;

(ख) क्या सोवियत रूस के सहयोग से चादरों का इस्पात (शीट स्टील) तैयार करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) इन विस्तार योजनाओं की शक्यता पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) सम्भवतः अभिप्राय भिलाई इस्पात कारखाने की 40 लाख टन तक विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाई जाने वाली प्लेट मिल से है । ऐसी सम्भावना है कि यह मिल प्रति वर्ष 950,000 टन हल्की और भारी प्लेटें तैयार करेगी ।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6

425. **श्री कुमार मांझी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (क्याझगढ़ और पल्लोंहाड़ा के बीच सड़क बनाना) का निर्माण कार्य रुक गया है ; और

(ख) यह सड़क कब तक बन कर यातायात के लिये खुल जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) इस लुप्त कड़ी पर कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में है । लुप्त कड़ी वाले भाग में राष्ट्रीय राजमार्ग का सीधा स्थायी मार्ग इन सब कार्यों के पूरे हो जाने पर यातायात के लिये उपलब्ध हो जाएगा । इन कार्यों की धन की उपलब्धता पर छठी योजना काल की पूर्वार्द्ध में पूरे हो जाने की सम्भावना है । परन्तु इस समय लुप्त कड़ी में राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात तेलकोई होकर राज्य सड़क के साथ साथ जाता है जो मूरम का निम्न वर्ग खण्ड भी है ।

Audit of Accounts for payment of Bonus

426. **Shri M. C. Daga :** Will the **Minister of Labour** be pleased to state :

(a) whether, with the enactment of the law linking the payment of bonus with profit only Government have devised any procedure to ensure audit of the accounts of private companies and public sector industries by honest officers and verification of the accounts by workers; and

(b) if so, an outline thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b) Statutory provisions already exist for audit of the accounts of companies in the private sector and in the public sector by qualified auditors. Section 23 of the Payment of Bonus Act, 1965, provides *inter alia* that where the authority dealing with a bonus dispute is satisfied that the statements and particulars contained in the balance sheet or the profit and loss account of the Corporation or the Company are not accurate, it may take such steps as it thinks necessary to find out the accuracy of such statement and particulars.

Mineral Exploration Corporation

427. **Shri M. C. Daga :** Will the **Minister of Steel and Mines** be pleased to state ;

(a) whether the Mineral Exploration Corporation was set up in October, 1972;

(b) if so, the total expenditure incurred thereon and the names of States where survey has been undertaken to find out the location of different kinds of minerals; and

(c) the parts of Rajasthan where the Mineral ? Exploration Corporation has carried out survey so far, and the achievements thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad):

(a) Yes, Sir.

(b) The total expenditure incurred by the Corporation upto March, 1975 is Rs. 874 lakhs both on capital and revenue accounts. The Corporation carried out work in Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Jammu and Kashmir, Kerala, Madhya Pradesh, Maharastra, Orissa, Rajasthan, Uttar Pradash and West Bangal.

(c) The Corporation has conducted work in Dholamala block of Khetri Copper belt; Sasokota-Kearpura blocks of Banswara graphite belt; Manpura block of Pur-Banera polymetallic belt; Paduna block of Zawar lead-zinc belt and Rajpura-Dariba belt. About 1·5 million tonnes of copper ore balt have been established in the Dholamala block; 1·3 million tonnes of graphite in Sasakota-Keserpura block and about 1·5 million tonnes of lead-zinc ore in Paduna North block. It has also carried out integrated exploration for flourite in Kahila block of Mandcki-pal area on behalf of Rajasthan State Industrial and Mineral Development Corporation Ltd.. exploratory diamond drilling in Khetri and Kolihan on behalf of Hindustan Copper Ltd. and a mine construction work in the Balaria mines of Zawar belt on behalf of the Hindustan Zinc Ltd.

तांबे की मूल्य संरचना का पुनरीक्षण

428. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देशी तांबे की मूल्य संरचना का पुनरीक्षण करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा कर्नाटक में प्लेटिनम की खोज

429. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण कर्नाटक में प्लेटिनम तथा पैलेडियम भंडार की खोज कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो खोज की मुख्य रूपरेखा क्या है ; और

(ग) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ने इस बीच इस बारे में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां ।

(ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण को 1971 से कर्नाटक के मैसूर जिले में सिन्धुवल्ली क्षेत्र की अलट्रामैफिक चट्टानों में क्रोमाइट की खोज के दौरान 0.3 से 4.00 पी० पी० एम० प्लेटिनम

तथा अन्य सम्बद्ध धातु होने का पता चला है। क्रोमाइट नमूनों में पैलेडियम होने का प्रमाण नहीं मिला है। नमूनों के विश्लेषण हेतु भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर का सहयोग लिया जा रहा है। यह खोज कार्य 1975-76 के क्षेत्रगत सत्र में जारी रखा जा रहा है।

(ग) जी नहीं। विश्लेषण परिणामों के प्राप्त होने पर ही रिपोर्ट अन्तिम रूप से तैयार हो सकेगी।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों के अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त स्थान

430. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान, निकोबार द्वीपसमूहों में चिकित्सा अधिकारी शल्यक्रिया विशेषज्ञ तथा चिकित्सा विशेषज्ञों के पद कई वर्षों से रिक्त पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या विशिष्ट कारण हैं ; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० क० एम० इसहाक) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) पद कब से खाली पड़े है यह उनके सामने उल्लिखित है :—

(1)	जूनियर आपथलमालोजिस्ट	6–10–1972 से
(2)	जूनियर रेडियोलाजिस्ट	27–3–1971 से
(3)	जूनियर एनेसथेटिस्ट	10–6–1975 से
(4)	मेडिकल स्पेशलिस्ट	मई, 1970 से दिसम्बर, 1975 तक
(5)	सर्जिकल स्पेशलिस्ट (दो पद)	दिसम्बर, 1972 से 9–10–1973 दिसम्बर, 1972 से 3–9–1973

(ख) पहले तीन पदों पर केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के पात्र अधिकारी स्थानान्तरण के लिए नहीं मिल सके। संघ लोक सेवा आयोग के जरिये सीधी भर्ती से भी कोई उत्साहजनक परिणाम नहीं निकला। संघ लोक सेवा आयोग जिन्हें मेडिकल स्पेशलिस्ट के पद पर भर्ती करने के लिये अनुरोध किया गया था, मार्च, 1972 में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तथा कोयला खान श्रम कल्याण संगठन, महेन्द्रगढ़ प्रत्येक में एक-एक मेडिकल स्पेशलिस्ट के दो पदों के लिये केवल एक उम्मीदवार की ही सिफारिश कर सका। इस व्यक्ति ने कोयला खान में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। 9–10–1972 को संघ लोक सेवा आयोग को दूसरी मांग फिर भेजी गई थी किन्तु आयोग ने 5-7-1973 को सूचित किया कि वे कोई और व्यक्ति नहीं दे सकते और छः महीने के बाद फिर मांग भेजने के लिये कहा। दोबारा विज्ञापन के आधार पर, आयोग ने अगस्त, 1974 में आम

वर्गों के एक व्यक्ति की सिफारिश की। आरक्षित पद को अनारक्षित करने के लिये मंत्रिमंडल सचिवालय आदेश प्राप्त होने के बाद इस उम्मीदवार को दिसम्बर, 1974 में इस पद के लिए नियुक्ति पत्र भेजा गया था। उन्होंने 15-12-1975 को इस पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सर्जिकल स्पेशलिस्ट के पद के लिये संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित उम्मीदवार ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया। सर्जिकल स्पेशलिस्ट के दो पदों के लिये आयोग के जरिये विज्ञापन फिर दिया गया है।

(ग) जूनियर नेत्र रोग चिकित्सक और जूनियर रेडियोलाजिस्ट के पदों के लिये, रक्षा मंत्रालय के साथ लम्बी बातचीत के बाद प्रतिनियुक्ति के आधार पर ए० एम० सी० अधिकारियों की सेवायें प्राप्त की गई हैं। उनको छोड़ने के आदेश जारी किये जा चुके हैं और उनके शीघ्र ही कार्यभार ग्रहण करने की सम्भावना है।

जूनियर एनेसथेटिस्ट के पद के लिये बंधित उम्मीदवार को नियुक्ति पत्र भेजा गया था जिन्होंने अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया है।

मेडिकल स्पेशलिस्ट का पद 15–12–1975 को नियमित आधार पर भरा जा चुका है जब कि सर्जिकल स्पेशलिस्ट के दो पद क्रमशः 10–10–1973 और 4–9–1975 से तदर्थ आधार पर भरे गये और संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती भी की जा रही है।

भद्रक मुख्य डाकघर, उड़ीसा के विकास कार्य की प्रगति

431. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रक मुख्य डाकघर, उड़ीसा का प्रस्तावित विकास कार्य इस बीच रुक गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह विकास कार्य किस निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) से (ग) भद्रक में मुख्य डाकघर के लिये पहले से ही एक विभागीय इमारत है। इस इमारत में हाल ही में विशेष मरम्मत का काम पूरा हुआ है। अव्यावसायिक इमारतों के निर्माण पर लगी पाबन्दी और निधि की कमी के कारण इस इमारत के विस्तार का मामला अनिर्णीत पड़ा था। तथापि, उड़ीसा के पी० एम० जी० को ऐसी हिदायत दे दी गई है कि वे यथासम्भव शीघ्र इमारत के विस्तार का निर्माण कार्य पूरा करें।

जहाजरानी विकास निधि समिति

432. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जहाजरानी विकास निधि समिति से जहाजरानी कम्पनियों को मिलने वाली सहायता कम करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) भारतीय जहाजरानी कम्पनियों द्वारा और अधिक टनभार प्राप्त करने में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

बोकारो इस्पात कारखाना

433. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बोकारो इस्पात कारखाने का उत्पादन वर्ष 1976 में 17 लाख टन की क्षमता तक पहुंच जाएगा ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : आशा है कि 17 लाख टन के चरण का निर्माण कार्य वर्ष 1976–77 में पूरा हो जाएगा । फ़िर भी, उस वर्ष पूर्ण उत्पादन होने की सम्भावना नहीं है । वर्ष 1976–77 में 9 लाख टन पिण्ड अथवा 7.2 लाख टन विक्रेय इस्पात के उत्पादन होने की आशा है ।

क्रास बार लाइनों का निर्माण दुगना करना

434. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने क्रास बार लाइनों द्वारा निर्माण दुगना करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या केवल स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो क्या क्रासबार व्यवस्था में हाल में प्रकट हुये दोषों को दूर कर दिया गया है ?

संचार मन्त्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) इण्डियन टेलीफ़ोन इण्डस्ट्रीज, बंगलौर में क्रासबार लाइनों का उत्पादन बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) मुख्य रूप से पांच तरह के दोषों का पता चला है, जो इस प्रकार हैं :—जंग लग जाना, सम्पर्क (कान्टेक्ट) बेकाम होना, घटक (कम्पोनेन्ट) का बेकार होना, परिपथ सम्बन्धी खामियां और यांत्रिक समन्वय की कमी से होने वाली हानि । इनमें से पहली चार खामियों पर काबू पा लिया गया है । यांत्रिक समन्वय की कमी से होने वाली हानि को कम करने की दिशा में सन्तोषप्रद प्रगति हुई है । इसके अलावा कुछ और समस्याएं भी थीं, जैसे "हाई कालिंग रेट' के कारण असफ़लता, रखरखाव के लिये ज्यादा कोशिश की जरूरत होना और लागत का ज्यादा होना । इन सभी मामलों में सुधार हुआ है ।

उर्वरक वितरकों की नियुक्ति

435. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष को शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियो को उर्वरकों के रूप में नियुक्त करने के मामले अनुचित रूप से लम्बित क्रिये जाने और फर्टिलाइजर एण्ड

केमिकल्स डिवीजन में कुप्रबन्ध के बारे में जुलाई, 1973 में इस्पात और खान उपमन्त्री के जरिये संसद् सदस्यों स कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने सुचित किया है कि वर्ष 1975 में उन्हें कुछ संसद् सदस्यों से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें बेरोजगार स्नातकों की एक विशिष्ट फ़र्म को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा उत्पादित रासायनिक खाद का वितरक नियुक्त करने के बारे में कहा गया था।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने उक्त फर्म को थोक व्यापारी के रूप में नियुक्त करने के लिये उपयुक्त नहीं समझा। यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में निर्णय पूर्णतया हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को अपनी नीति तथा आवश्यकताओं के अनुसार करना है ।

यूगांडा से लौटे भारतीयों को मुआवजा दिया जाना

436. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व यूगांडा निवासी भारतीयों को मुआवजा दिये जाने के बारे में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) दावेदारों की संख्या कितनी है और यदि फरवरी, 1976 के अन्त तक कोई राशि दी गई है तो वह कितनी है ?

विदेश मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) उगांडा सरकार से प्राप्त राशि उगांडा मुआवजा निपटान अधिकारी, बम्बई के खाते में डाली जा रही है। उगांडा मुआवजा निपटान कार्यालय 16 फरवरी, 1976 से खोला गया है। वितरण की प्रक्रिया निश्चित कर दी गई है और एक प्रैस नोट द्वारा दावेदार भारतीय राष्ट्रिकों को इस कार्यालय से सम्पर्क करने का परामर्श दिया गया है। निपटान अधिकारी पहले आवेदकों की शिनाख्त करेगा और उसके बाद वितरण की प्रक्रिया आरम्भ की जाएगी ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड उर्वरकों का विपणन

437. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड (उर्वरक तथा रसायन डिवीजन) ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिये शिक्षित बेरोजगारों को उर्वरकों के विपणन कार्य में प्राथमिकता देते हुये योजनायें बनाई हैं ?

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : जी, नहीं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड केवल थोक व्यापारी नियुक्त करती है और ऐसा उनकी वित्तीय स्थिति, अनुभव आदि के आधार पर किया जाता है। इसलिये शिक्षित बेरोजगारों को वरीयता देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बन्धित श्रम प्रणाली के उन्मूलन का पुनरीक्षण

438. **श्री वसन्त साठे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बन्धित श्रम प्रणाली उन्मूलन के विभिन्न राज्यों तथा सब राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वयन की प्रगति का पुनरीक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) बन्धित श्रमिक प्रणाली को समाप्त करने तथा श्रमिकों के पुनर्वास के लिये आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या उपर्युक्त कार्यवाही करने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों में समस्या के आकार तथा स्वरूप का मूल्यांकन करने हेतु श्रम ब्यूरो द्वारा बन्धित श्रमिकों के बारे में कोई सर्वेक्षण किये जाने का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी बातें क्या हैं ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). जी हां। एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 10417/76]।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय श्रम जीवी पत्रकार संघ द्वारा अन्तरिम राहत की मांग

439. **श्री वसन्त साठे :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मूल वेतन का 33 प्रतिशत अन्तरिम राहत के रूप में देने की मांग पर विचार करने के लिये वेज बोर्ड को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वेज बोर्ड को अन्तरिम राहत देने के मामले पर विचार करने का निदेश दिया है ;

(ग) क्या अन्तरिम राहत पर निर्णय लेने के लिये कोई समय सीमा दी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क). विभिन्न संगठनों से अन्तरिम सहायता की मंजूरी हेतु मांगे प्राप्त हुई हैं ;

(ख) सरकार ने मजदूरी बोर्ड से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में अपने विचार भेजें।

(ग) और (घ). कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परन्तु बोर्ड से यह अनुरोध किया गया है कि वह अपने विचार यथासम्भव शीघ्र भेजें।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकतायें पूरी करने के लिए अस्पताल युक्त जहाज

440. **श्री एम० एम० बनर्जी :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों की चिकित्सा सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये अस्पताल युक्त जहाज के प्रस्ताव पर पुनः विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय म उपमन्त्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कर्मचारी भविष्य निधि की बकाया राशि

441. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1976 को कर्मचारी भविष्य निधि की कुल बकाया राशि कितनी थी ; और

(ख) उसको वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : भविष्यनिधि प्राधिकारियों ने निम्न प्रकार सूचित किया है :–

(क) 1–3–1976 को भविष्य निधि की देय राशियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, जैसी कि स्थिति 31–12–1975 को थी, भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशियां 2033.97 लाख पये थीं।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि और परिवार पेंशन निधि अधिनियम, 1952 के उपबन्धों के अनुसार चूककर्ता नियोजकों के खिलाफ अभियोजन चलाए जाते हैं, राजस्व वसूली कार्यवाइयां आरम्भ की जाती है और दण्डनीय क्षतियां लगाई जाती हैं। 1973–74 के दौरान, 5164 अभियोजन चलाए गए थे और 3794 दोषसिद्धियां प्राप्त की गई थीं। 1974–75 वर्ष के लिए तत्सम्बद्ध आंकड़े क्रमशः 4011 और 4233 है। इसके अतिरिक्त 1973–74 और 1974–75 के दौरान क्रमशः 3052 और 2885 मामलों में वसूली कार्यवाइयां आरम्भ की गई थीं ।

राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत परमिट जारी किया जाना

442. **श्री धामनकर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सड़क परिवहन के लिए राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत कितने परमिट जारी किये गये हैं और माल को शीघ्र और सुचारू रूप से लाने ले जाने के लिये कितने और परमिट जारी करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य के लिए परमिटों को जारी करने का कोई कोटा निर्धारित किया गया है, यदि हां, तो क्या यह कोटा प्रत्येक राज्य में चल रहे ट्रकों की संख्या के आधार पर अथवा तदर्थ आधार पर निर्धारित किया गया है ; और

(ग) क्या प्रत्येक राज्य में चुंगी-चौकियों पर परिहार्य विलम्ब और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ऐसे परिवाहकों से केवल प्रारम्भिक स्थल पर ही सारी गाचूं वसूल करने का प्रस्ताव है।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क). राष्ट्रीय परमिट योजना में देश भर में कुल 5300 राष्ट्रीय परमिट देने का प्रस्ताव है। इसमें से तीन राज्यों (अर्थात बिहार, हरियाणा और पश्चिम बंगाल) में 29–2–76 तक 364 परमिट जारी किये जा चुके हैं। शेष 4936 परमिट अभी जारी किये जाने हैं।

(ख) राष्ट्रीय परमिट का कोटा विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों में ट्रकों की संख्या के बारे में नवीनतम उपलब्ध सूचना को धयान में रखते हुए निम्नलिखित आधार पर निर्धारित किया गया है :—

(i) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र जहां माल गाड़ियों की संख्या 5000 और इससे अधिक है—(आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और गोवा दमन तथा दीव)—

प्रत्येक को 250

कुल 4,500

(ii) राज्य जिनके ट्रकों की संख्या 1000 से 4999 के बीच है (हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा) —

प्रत्येक को 200

कुल 400

(iii) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां ट्रकों की संख्या 1000 से कम है (नागालैंड, चन्डीगढ़, मणिपुर, पांडिचेरी, मेघालय, मिजोरम, अरुणांचल प्रदेश और सिकिम);

प्रत्येक को 50

कुल 400

कुल योग 5 300

(ग) नई दिल्ली में 5 और 6 मार्च 1976 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस बात पर सिद्धान्त रूप से सहमति हुई थी कि कुछ मुख्य मंत्रियों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रियों की एक समिति का गठन किया जाए तो चुंगी कर के स्थान पर अन्य करों को रखने अथवा

"मूल" राज्य के एक ही स्थान पर इस लेवी की वसूली के लिए क्रियाविधि को सुप्रवाही बनाने की समस्या का अध्ययन करे। परन्तु सड़क पर कर तथा यात्री कर के बदले राष्ट्रीय परमिट योजना के अन्तर्गत परिचालन के लिए प्रत्येक राज्य सरकार को देय संयुक्त फीस अन्य राज्यों की ओर से "गृह" राज्य में नियुक्त प्राधिकरण दवारा एकत्रित की जायेगी।

आसाम के एक मार्ग को राष्ट्रीय राज मार्ग बनाया जाना

443. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में नार्थ लखीमपुर से कमला-बाड़ी तक की सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक निर्णय कर लिए जाने की संभावना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) : आसाम सरकार ने पांचवीं पंच वर्षीय योजना में मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग पदधति में नई सड़क शामिल करने के लिये भेजे गये अपने प्रस्तावों में उत्तरी लखीमपुर–कमलाबाड़ी सड़क को शामिल किया। परन्तु चालू वित्तीय कठिनाई के कारण भारत सरकार प्रश्नगत सड़क सहित किसी भी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में लेने पर विचार करने में असमर्थ है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1976

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री ए० क० एम० इसहाक) : मैं औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, 1940 की धारा 38 के अन्तर्गत औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 21 फरवरी 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 245 में प्रकाशित हुए थे) सभा पटल पर रखता हूं। [मंत्रालय में रखी गयी/**देखिये** संख्या एल० टी० 10405/76]

भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओ (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हू :–

(एक) भारतीय तार (सातवां संशोधन) नियम 1975 जो दिनांक 10 जनवरी 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 62 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय तार (छटा संशोधन) नियम, 1975 जो दिनांक 10 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 63 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय तार (पहला संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 7 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 178 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 14 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 224 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय तार (तीसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 21 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 250 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त मद (2) में (एक) और (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 30405/76]

मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं के बारे की गयी कार्यवाही सम्बन्धी विवरण

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं पांचवी लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में 8 विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई/देखिये संख्या एल० टी० 10407/76]

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर का वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन तथा समीक्षा

इस्पात और खान मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर (राजस्थान) के वर्ष 1974-75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर (राजस्थान) का वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखी गई/देखिये संख्या एल० टी० 10408/76]

लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (संशोधन) नियम, 1975, कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन), स्कीम 1976 केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1974-75 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा अधिसूचनाएं

श्रम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बाल गोविन्द वर्मा) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण

निधि (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 255 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी०–10409/76]।

(2) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कुटुम्ब पेंशन निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन (संशोधन) स्कीम, 1976 (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 182 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल टी०-10410/76]

(3) केन्द्रीय कर्मकार शिक्षा बोर्ड के वर्ष 1974–75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी०–10411/76]

(4) शिक्षुता अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक–एक प्रति :—

(एक) शिक्षुता (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 23 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 38 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) शिक्षुता (संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 24 जनवरी, 1976 में भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 125 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई/देखियें संख्या एल० टी०–10412/76]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं के लिये समर्थन मूल्य

श्री इराजनु-द-सेकैरा : (मारमागोआ) : मैं कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :—

"महत्वपूर्ण कृषि वस्तुओं के मूल्यों को गिरने से रोकने के लिये सरकार द्वारा अविलम्ब तथा देशव्यापी खरीद की आवश्यकता"

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे): इस विषय से सम्बन्धित वक्तव्य पहले ही वितरित किया जा चुका है। वक्तव्य में कुछ परिवर्तन किये गये हैं, जिन्हें मैं पढ़ रहा हूं।

कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गत वर्ष की अपेक्षा गिरावट आयी है। सरकार मुख्य कृषि वस्तुओं तथा वाणिज्यिक फसलों के लिये समर्थन मूल्य की व्यवस्था करने के लिये सक्रिय है। मूल्य कृषि मूल्य आयोग के परामर्श से निश्चित किये जाते हैं।

भारत सरकार ने अक्तूबर, 1975 में राज्य सरकारों को उचित समय पर समर्थन मूल्यों पर खरीफ फसलों को खाद्यान्नों के खरीदने के लिये कहा था। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि बाजारों में खाद्यान्नों के दर वसूली मूल्य से नीचे न जायें। मोटे अनाज के लाने-ले-जाने पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है। 1975–76 के दौरान 40 लाख टन गेहूं की वसूली की गयी थी।

गन्ना उत्पादकों को चीनी कारखानों के मालिकों द्वारा न्यूनतम मूल्यों से अधिक मूल्य दिये जाते हैं।

भारतीय कपास निगम, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की ओर से बाजार भाव पर कपास का क्रय कर रहा है।

भारतीय पटसन निगम ने 27 फरवरी, 1976 तक 5.81 लाख कच्चे पटसन की गांठों का क्रय किया था।

तेल के बीजों के मूल्यों की ओर भी सरकार निरन्तर ध्यान दे रही है। भारत सरकार के प्रयत्नों के फलस्वरूप तेल के बीजों में कुछ वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ को 30,000 टन आलू के क्रय तथा निर्यात की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। यह कार्य पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में किया जायेगा।

माननीय सदस्य इस बात को जानते हैं कि वर्ष 1972–74 के दौरान कृषि वस्तुओं के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है। कृषि उत्पादन देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। कृषि वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता लाने के बारे में सरकार पूर्णतः सचेत है। सरकार कृषि वस्तुओं के मूल्यों की ओर निरन्तर निगरानी रख रही है। उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये यथासम्भव उपाय किये जायेंगे।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये वक्तव्य से प्रतीत होता है कि कृषि मूल्य संतोषजनक ही हैं। लेकिन स्थिति बिल्कुल भिन्न है। आर्थिक सर्वेक्षण से प्रतीत होता है कि गेहूं का वसूली मूल्य ही समर्थन मूल्य है लेकिन फिर भी खरीफ फसल की वसूली लक्ष्य से बहुत कम हुई है।

चावल के मामले में भी वसूली मूल्य समर्थन मूल्य रहा और 53 लाख टन के लक्ष्य के बजाय केवल 46 लाख टन की वसूली हुई।

इस बात को सभी जानते हैं कि कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आयी है और कई स्थानों पर तो मूल्य समर्थन मूल्यों से भी नीचे गये हैं।

इस वर्ष चार करोड़ 70 हजार टन चावल का रिकार्ड उत्पादन हुआ। अनुमान है कि मार्केट में दो करोड़ 70 लाख टन खाद्यान्न का विक्रय होगा जबकि फरवरी तक 46 लाख टन की वसूली हुई।

कृषि वस्तुओं के मूल्य गिरते ही जा रहे हैं। 24 जनवरी को खाद्यान्नों का थोक मूल्य सूचकांक 323 था जबकि 14 फरवरी को यह घटकर 316 रह गया और 21 फरवरी को यह और घटकर 300 रह गया। इस वर्ष रबी फसल के दौरान 4 करोड़ 40 लाख टन खाद्यान्न के उत्पादन का अनुमान है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा मैंने खाद्यान्नों की भारी मात्रा में तुरन्त खरीद की आवश्यकता पर बल दिया है लेकिन सरकार ने अपने उत्तर में केवल अपनी उपलब्धियों का वर्णन ही किया है। इस सभा तथा देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं भण्डारण क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या कुछ किया जा रहा है। इसमें काफी वृद्धि की जा सकती है। क्या सरकार आश्वासन देगी कि कृषि वस्तुओं की अधिकाधिक मात्रा में खरीद की जायेगी और खाद्यान्नों के मूल्यों में स्थिरता लायी जायेगी।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार उत्पादकों के हितों की रक्षा करेगी। इसी लिये हमने खरीद मूल्य की घोषणा की है और सरकारी एजेंसी भारतीय खाद्य निगम ने भारी मात्रा में खरीदारी की है। सदस्य महोदय ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो ठीक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि खरीद ठीक नहीं हो रही, तो मेरा कहना है कि इस वर्ष न केवल रिकार्ड उत्पादन हुआ है बल्कि रिकार्ड खरीद भी हुई है। खरीफ का मौसम अक्तूबर के अन्त तक चलता है और हमने 50 लाख टन की खरीद कर ली है और हमें आशा है कि खरीफ की फसल से 7 से लेकर 10 लाख टन तक और अनाज खरीदा जा सकेगा। पिछले 25 वर्षों के दौरान ऐसी अच्छी स्थिति कभी नहीं रही।

जहां तक रबी का प्रश्न है। हमें आशा है कि फसल बहुत अच्छी होगी और सारी मशीनरी खरीद के लिए तैयार है। हम धान भी खरीदते हैं जो कुल उत्पादन का 40 से 45 प्रतिशत भाग बैठता है। गेहूं का भाग भी 25 से 80% तक है। मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूं और चावल को मिला लें तो कुल उत्पादन का 90% भाग हो जाता है। जौ, यद्यपि कुल उत्पादन का बहुत छोटा सा भाग है लेकिन फिर भी सरकार चाहती है कि जौ की फसल आने पर किसानों को समर्थन मूल्य दिया जाये। सरकार को जानकारी है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था पर कृषि का कितना प्रभाव पड़ता है। इसलिये सरकारी अभिकरण भी जागरूक हैं। हम हर सम्भव प्रयत्न करेंगे।

मैं यह मानता हूं कि भण्डारण के लिये हमारे पास सुविधाएं अपर्याप्त हैं। लेकिन इस बारे में भी हम प्रयत्नशील हैं। आजकल तकनीशियनों ने भण्डारण के नये और आसान तरीके निकाले हैं। हम उनका लाभ उठायेंगे। ग्रीष्म ऋतु के अवकाश में स्कूलों और कालेजों का उपयोग भी किया जा सकता है। भण्डारण कठिनाइयों के कारण खरीद पर हम कोई प्रभाव नहीं पड़ने देंगे।

Shri M. C. Daga : I want to know the scientific formula which Government applies for fixing the procurement price. All the farms run by the Government have to suffer losses. When rates of labour, irrigation, power and fertilizers have been increased why don't you increase the rates of procurement ? There should be a Parliamentary Committee to study the rates fixed by the Agricultural. Price Commission. Secondly, it has been the practice not to fulfill your assurance. You had said that Rs. 300 crores will be provided for purchasing raw Cotton, but actually even Rs. 10 crores were not provided. Thirdly, machinery of the Food Corporation of India is not efficient. Have you geared its machinery to purchase huge stocks and have you got necessary funds for the purpose ? In order to eliminate the middleman, help of social workers irrespective of their party affiliation should be taken. Unless this is done these assurances will not satisfy.

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : हमें संतुलित दृष्किोण अपनाना चाहिये। पिछले एक वर्ष में अनाज की कीमतों में 24.2 प्रतिशत की कमी हुई है जबकि 1972–73 और 75 के बीच 89 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। उस समय मुद्रास्फीती नियंत्रण से बाहर हो रही थी।

अनाज के मूल्य नियत करने के लिये कृषि मूल्य आयोग है। उसकी सिफारिशों से आप सहमत न हों, यह अलग बात है। इस आयोग को उत्पादन लागत सम्बन्धी सभी आंकड़े उपलब्ध कराये जाते हैं। ऐसे एकक बनाये गये हैं जो श्रमजीवी वर्ग के जीवन निर्वाह की लागत के आंकड़े एकत्र करते हैं। कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य आर्थिक संगठनों की सहायता से देश भर में कृषि उत्पादों की लागत के आंकड़े एकत्र करके कृषि मूल्य आयोग को दिये जाते हैं। इन आंकड़ों के अध्ययन के बाद ही अनाज के मूल्य तय किये जाते हैं। यदि सदस्य महोदय चाहें तो मैं उन्हें कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन उपलब्ध करा सकता हूं। ये प्रतिवेदन ग्रंथालय में रखे हैं। जहां तक खरीद कार्यों के लिये धन का प्रश्न है मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार ने देश की जनता को वचन दे रखा है कि इस सम्बन्ध में धन की कोई कमी नहीं होगी।

जहां तक रूई के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था न किये जाने का प्रश्न है उसमें स्थिति यह है कि रूई खरीद मूल्य के स्थान पर अधिक मूल्य पर खरीदी जायेगी। लेकिन रिजर्व बैंक इस बात के लिये सहमत न हुआ और उन्होंने ऋण उपलब्ध नहीं कराया। मैं वसूली मूल्य पर खरीद के लिये धन उपलब्ध किये जाने का आश्वासन देता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार के सामान्य आश्वासन से काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि आवश्यक धन की व्यवस्था की जायेगी।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : हमारा एक महान देश है। किसी भी आकस्मिक स्थिति का मुकाबला करने के लिये हमारे पास पर्याप्त साधन हैं।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका): मंत्री महोदय का यह कहना ठीक नहीं कि कृषि मूल्य आयोग किसानों की उत्पादन लागत का अध्ययन करता है। उन्होंने कहा है कि लागत के आंकड़े उपलब्ध हैं। आप मुझे वे आंकड़े दिखायें। क्या वास्तव में खरीद मूल्य का उत्पादन लागत से कोई सम्बन्ध है। क्या कृषि मूल्य आयोग ने कभी अपने प्रतिवेदनों में उस प्रक्रिया का उल्लेख किया है जिसके द्वारा कृषि मूल्य नियत किये जाते हैं। मंत्री जी ने कहा है कि अनाज की कीमतों में 100 प्रतिशत गिरावट आई है। लेकिन फिर भी उसका मूल्य खरीद मूल्य से अधिक है या कई जगह खरीद मूल्य समर्थन मूल्य बन गया है। वास्तव में तो अनाज के मूल्य खरीद मुल्य से भी नीचे गिर गये हैं। भारतीय खाद्य निगम सीधे किसानों से अनाज न खरीदकर व्यापारियों से खरीदता है और देश के अनेक भागों में किसानों को मजबूर होकर व्यापारियों के पास फसल बेचनी पड़ती है और खरीद मूल्य से कम मूल्य पर अनाज बेचा जाता है।

मंत्री महोदय इस सभा को यह सूचना दे कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा रबी मौसम में हर सप्ताह कितनी खरीद की गई, उसके लिए कितना मूल्य दिया गया और मंडियों में

भाव क्या थे ? सभा के लिए यह बहुत दिलचस्प जानकारी हो सकती है हालांकि इतना करना ही पर्याप्त नहीं ।

मंत्री जी ने यह भी कहा है कि कृषि मूल्य आयोग ने खरीफ़ की फसल और रबी की फसल के लिए खरीद सम्बन्धी जो लक्ष्य निर्धारित किये थे, सरकार ने उनमें कमी कर दी है। अब उन्होंने कुछ अधिक खरीदने का इरादा किया हैं । तब भी कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई है । क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि चाहे कितना ही अनाज भण्डार में हो जाये वह खरीद के लिए प्रस्तुत अनाज को खरीदते रहेंगे ।

अब तक अनाज का आयात भी जारी है । क्या इससे मूल्यों के कम होने पर कोई प्रभाव पड़ा है जब अपने देश में अनाज इतना मिल रहा है तो आयात की क्या आवश्यकता है । बल्कि किसान को ही कुछ अधिक मूल्य दिया जाना चाहिए । किसानों को खाद तथा अन्य वस्तुओं के लिए धन देना पड़ता है ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैं यह आश्वासन देता हूं कि राज्य सरकारों के सहयोग से हम अच्छे मध्यम दर्जे के गेहूं की खरीद मूल्य पर खरीदते रहेंगे और देश में कहीं भी अनाज को खरीदने से इन्कार नहीं किया जायेगा । लेकिन हमें अनाज की गुणवता को तो देखना होता है । घुन लगा गेहूं उपभोक्ता कहीं भी खरीदने को तैयार न होंगे । लेकिन हम उत्पादकों के हितों का ध्यान रखेंगे और हम मार्केट केन्द्रों पर अनाज खरीदते रहेंगे । ये केन्द्र मुख्य-मुख्य मंडियों में हैं ताकि किसानों को जिला या क्षेत्रीय मुख्यालयों में न जाना पड़े ।

श्री एच० एम० पटेल : देश में खरीद के लिए कितनी मंडियां हैं ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : मैंने अपने मुख्य वक्तव्य में पहले ही बताया है कि हमने राज्य सरकारों को चौकन्ना किया है कि यदि किसी केन्द्र या मार्किट में मूल्य खरीद मूल्य से कम हो जाते हैं तो भारतीय खाद्य निगम को हस्तक्षेप करना चाहिए । हमने भारतीय खाद्य निगम को भी पूरी तरह सतर्क कर दिया है ।

सदस्य महोदय को चाहिए कि वह कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदनों का अध्ययन करें। मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन लागत सम्बन्धी आंकड़े ही तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं ।

अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में अनाज के दाम 250 रुपए से 260 रुपए प्रति क्विंटल हो गये थे । यह तो अनुचित लाभ था । अब यदि वहां भाव गिर कर 120 रुपए या 130 रुपए हो गये तो वे खरीद मूल्य से अधिक ही हैं। इससे सदस्य महोदय को व्यर्थ की चिन्ता नहीं होनी चाहिए । मूल्य कितना हो इस बारे में मतभेद अवश्य हो सकते हैं लेकिन दृष्टिकोण में ईमानदारी होनी चाहिए ।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने मूल्यों को खेती में काम आने वाले अन्य सामान की कीमत के साथ रख कर देखा है । अन्य वस्तुओं की कीमत अभी भी अधिक है ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : एक अन्य प्रश्न अनाज के आयात के बारे में किया गया कि क्या इससे मूल्यों पर प्रभाव पड़ा है । इस आयातित अनाज का मूल्यों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें बाजार में नहीं बेचा जाता । सदस्य महोदय को जानकारी होनी चाहिए कि विश्व की खाद्य स्थिति बहुत खराब है और भारत जैसे देश को किसी विदेशी शक्ति के चुंगल में फंसने से बचना चाहिए । इसलिए हम बहुत सावधानी बरत रहे हैं और जो भी आयात होता है उसका सीधे बाजार पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए । हम सुरक्षित भंडार बना रहे हैं और अधिकतर आयात पिछले समझौतों को पूरा करने के लिए किया जा रहा है ।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : हमने कहा है कि आप सभा को नवीनतम मूल्यों के बारे में बतायें।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : अध्यक्ष महोदय के निदेश के बिना ऐसा कैसे हो सकता है ।

श्री दशरथ देव : देश के पूर्वी भाग अर्थात असम, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश आदि में धान 50–60 रु० प्रति क्विंटल बिक रहा है जब कि उसका खरीद मूल्य 75 रुपए प्रति क्विंटल है । इस से छोटे किसानों को लाभ नहीं पहुंच सकता । क्या मंत्री जी जांच करेंगे कि सभी राज्यों में किसानों को नियत खरीद मूल्य मिल रहा है या नहीं । खरीद मूल्य निर्धारित करते समय न केवल उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाये वरना उन वस्तुओं के मूल्य पर भी निगाह रखी जाए जिन्हें किसान को अपने प्रतिदिन के प्रयोग के लिए खरीदना पड़ता है । उदाहरण के लिए 1974–75 में रूई का मूल्य 200 रु० प्रति क्विंटल था जब कि अब भाव 100 रु० प्रति क्विंटल है लेकिन कपड़े का मूल्य अब भी वही है । इस हालत में किसान को कैसे लाभ हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक ही उदाहरण पर्याप्त है ।

श्री दशरथ देव : मेरा प्रश्न यह है कि सरकार कृषि में लगे लोगों के हितों के संरक्षण के लिए क्या उपाय कर रही है ? बंगाल, त्रिपुरा, असम और बिहार में पटसन बहुत महत्वपूर्ण फ़सल है । वह 35.50 रु० प्रति मन बिक रहा है जबकि किसान 100 रु० प्रति किवंटल का न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं । किन्तु प्रतिवेदन में कहा गया है कि पटसन निगम सक्रिय रूप से मैदान में है । निगम कैसा कार्य कर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप 10 मिनट ले चुके हैं । सीधे प्रश्न कीजिए ।

श्री दशरथ देव : मंत्री महोदय को छोटे मंडियों से पटसन खरीदने पर विचार करना चाहिए । छोटी स्थानीय मंडी के मूल्यों और गोदाम के मूल्यों में सदैव ही अन्तर होता है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या पटसन निगम पटसन खरीदने के लिए गांव में जाने को तैयार है ?

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : पटसन के सम्बन्ध में मैंने जो कुछ वक्तव्य में कहा है, उससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि पटसन उत्पादकों को मंडियो में न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हम प्रयत्न करते रहेंगे । सदस्य महोदय ने सामान्य वक्तव्य दिया है कि पूर्वी राज्यों में कीमतें गिर रही हैं ।

पिछले वर्ष बिहार में चावल का मूल्य 200 रुपये से 220 रुपये प्रति क्विंटल था । इस वर्ष मूल्य 140 रुपए से 152 रुपये है । पश्चिम बंगाल में मूल्य पिछले वर्ष 175 रुपए से 188 रुपये था और अब 157 रुपये से 160 रुपये है ।

अध्यक्ष महोदय : आप त्रिपुरा और आसाम के बारे में बता सकते हैं ।

श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे : यही बात मोटे तौर पर उन पर भी लागू होती है । हमारी जानकारी के अनुसार बाजार भाव वसूली मूल्य से कम नहीं है और हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है यदि मूल्य वसूली मूल्य से कम होते हैं तो माल का क्रय करें । भविष्य के लिए भी हमारी यही नीति है । वर्ष 1961–62 को आधार मानते हुए औद्योगिक वस्तुओं का अप्रैल से दिसम्बर, 1975 का मूल्य सूचकांक 247.6 है जबकि कृषि उत्पादों का 288.3 है । हमारी वसूली नीति अखिल भारतीय है जोकि त्रिपुरा और आसाम सहित पूरे देश पर लागू होती है ।

पांडिचेरी बजट, 1976–77—सामान्य चर्चा वर्ष और 1976–77 के लिये अनुदानों की मांगें

Pondicherry Budget 1976-77—General Discussion and Demands for Grants, 1976-77

अध्यक्ष महोदय : अब सभा वर्ष 1976–77 के पांडिचेरी के बजट पर चर्चा करेगी

पांडिचेरी की वर्ष 1976–77 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
1.	विधान सभा . . .	3,32,000	..
2.	प्रशासक . . .	10,000	..
3.	मंत्रि परिषद्	1,19,000	..
4.	न्याय प्रशासन	16,18,000	..
5.	निर्वाचन . . .	1,97,000	
6.	राजस्व . . .	63,95,000	..
7.	बिक्री-कर . . .	8,63,000	..
8.	वाहनों पर कर . .	2,10,000	..
9.	सचिवालय .	25,69,000	..
10.	जिला प्रशासन .	60,56,000	15,00,000
11.	राजकोष और लेखा प्रशासन	15,83,000	..
12.	पुलिस	94,69,000	..

1	2	3	
		राजस्व रु०	पूंजी रु०
13.	जेलें	5,01,000	..
14.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	17,16,000	..
15.	विविध प्रशासनिक सामान्य सेवाएं	23,58,000	..
16.	सेवानिवृत्ति लाभ	31,96,000	..
17.	लोक निर्माण	2,73,84,000	1,52,12,000
18.	शिक्षा	3,84,51,000	50,000
19.	चिकित्सा	2,21,78,000	..
20.	सूचना और प्रसार	10,34,000	..
21.	श्रम और रोजगार	14,98,000	..
22.	समाज कल्याण	84,27,000	1,70,000
23.	सहकारिता	23,62,000	21,73,000
24.	विविध सामान्य आर्थिक सेवाएं	9,33,000	..
25.	कृषि	82,60,000	6,85,000
26.	पशुपालन	22,41,000	2,50,000
27.	मीन उद्योग	30,78,000	15,000
28.	सामुदायिक विकास	44,58,000	1,00,000
29.	उद्योग	28,24,000	36,00,000
30.	खाद्य और पोषाहार	4,31,000	..
31.	बिजली	2,29,37,000	1,41,85,000
32.	पत्तन और कनहारी	4,53,000	1,14,000
33.	सरकारी सेवकों को उधार	..	30,20,000

श्री इराज्मुद-द-सेकैरा :(मारमागोआ) मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि वित्त उप-मंत्री द्वारा 8 मार्च को दिये गये वक्तव्य के अनुच्छेद 3 में 7.88 करोड़ रुपए के घाटे का उल्लेख है जिसकी पूर्ति भारत सरकार अनुदानों की मांगों द्वारा करेगी और 3.69 करोड़ रुपया भारत सरकार से ऋणों द्वारा पूरा किया जायेगा। पांडिचेरी एक संघ-राज्य क्षेत्र है, अतः उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है। इसका बजट अवश्य ही संतुलित होना चाहिए। मेरी राय में केन्द्रीय बजट को पारित किये बिना इसे पारित करना अनुचित तथा गैर-कानूनी है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कुछ भी अनुचित अथवा गैर-कानूनी नहीं है। अवैधता का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैंने अपना निर्णय दे दिया है।

***श्री जगदीश भट्टाचार्य** (घाटल) : पांडिचेरी में 24 मार्च, 1974 को राष्ट्रपति का शासन लागू हुआ था। इस अवधि में वहां की जनता को अपने मत की अभिव्यक्ति से वंचित रखा गया है कि उन्हें किस प्रकार के आर्थिक विकास की आवश्यकता है। मुझे यह बात विचित्र प्रतीत होती है कि हम संसद् सदस्यों को 1,000 मील दूरी पर स्थित राज्य क्षेत्र का बजट पारित करना पड़े। मेरी समझ में नहीं आता कि इस छोटे से क्षेत्र में चुनाव को क्यों टाला जा रहा है। इसका कुल क्षेत्रफल 400 वर्ग किलोमीटर है तथा वहां की जन संख्या 4 लाख से कुछ अधिक है। राजस्व 10.44 करोड़ रुपये है और व्यय 18.32 करोड़ रुपये। 7.88 करोड़ रुपये के घाटे को केन्द्रीय अनुदान द्वारा पूरा किया जायेगा। यदि किसी राज्य का घाटे का बजट होता है और वहां पर गैर-कांग्रेसी सरकार होती है तो उसे ऋण भी नहीं दिये जाते, अनुदानों की तो बात ही क्या।

कृषि के लिये 84.45 लाख रुपए तथा पुलिस के लिये 94.69 लाख रुपए रखे गये हैं। सरकारी स्कूलों के लिये 76.94 लाख रुपए तथा गैर-सरकारी स्कूलों के लिये 2.50 लाख रुपए रखे गये हैं। कांग्रेस शासित सभी प्रदेशों में गैर-सरकारी स्कूलों से भेदभाव बरता जाता है। पांडिचेरी के उपराज्यपाल से मेरी बातचीत के दौरान देश में संस्कृत के विकास की चर्चा हुई थी। भारत के राष्ट्रपति ने भी यही विचार व्यक्त किये थे। परन्तु खेद है कि बजट में संस्कृत के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

जो लोग पांडिचेरी गये हैं तथा जिन्होंने मछुओं के आवास देखे हैं वे स्वीकार करेंगे कि यह मानवीय आवास के लिये उपयुक्त नहीं हैं। मुझे खुशी है कि केन्द्रीय सरकार ने उनकी स्थिति सुधारना उपयुक्त समझा है। परन्तु यह कार्य बहुत पहले किया जाना चाहिए था। सरकार यदि वास्तव में मछुओं के आवास को सुधारना चाहती है तो उसे इस योजना के लिये पृथक बजट व्यवस्था करनी चाहिए थी। मेरी समझ में नहीं आता कि इस वर्ग को ऋण मुक्ति की योजना से पृथक क्यों रखा गया है? इनकी स्थिति खेतिहर मजदूरों से अच्छी नहीं है।

इन कारणों से मैं बजट प्रस्तावों का समर्थन नहीं करता।

श्री राज्मु-द-सेकैरा (मारमागोआ) : खेद का विषय है कि संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी मे 28 मार्च, 1974 से राष्ट्रपति का शासन है। यह सुनिश्चित करने के लिये राष्ट्रपति के शासन वाले राज्यों के बारे में सरकार अपना कर्त्तव्य ठीक तरह से निभाती है अथवा नहीं, एक संसदीय समिति नियुक्त की जाती है। पांडिचेरी के बारे में ऐसा कुछ नहीं किया गया। अतः इस क्षेत्र के प्रशासन के लिये मैं एक संसदीय समिति गठित किये जाने की मांग करता हूं।

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। अतः वहां निर्वाचन न कराये जाने का कोई कारण नहीं है।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

---

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तरण।

*Summarised translated version of English translation of the speech delivered in Bengali.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर पाँच मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[The Lok Sabha re-assembled after lunch at five minutes past fourteen of the Clock.]

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

Mr. Deputy Speaker in the Chair

पाँडिचेरी बजट, 1976–77—सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगें, 1976–77—जारी

श्री इराम्मु-द-सेकेरा : बजट को ठीक से समझने के लिये यह आवश्यक है कि इस बारे में हमें कुछ विस्तृत पत्र आदि उपलब्ध कराए जएं।

एक तो ऐसे क्षेत्र का बजट रखा गया है। जिसके साथ हमारा सम्पर्क नहीं है। स्पष्टीकरण देने वाले वक्तव्य में कोई भी ब्यौरा नहीं दिया गया है। इसलिये मेरा कहना है कि विधि के महत्वपूर्ण पक्ष की अवहेलना की जाती है। हम सार्वजनिक वित्त के संरक्षक हैं अतः हमें राजस्व एवं व्ययों के बारे में पूरा ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

वर्ष 1975-76 के बजट में कृषि के लिये 80.77 लाख रुपये की व्यवस्था थी जबकि 1976–77 में केवल 59.70 लाख रुपये की ही व्यवस्था की गई है।

पांडिचेरी एक तटीय क्षेत्र है। 1975–76 में मत्स्यपालन के लिए कुल परिव्यय 45.46 लाख रुपये था और वर्तमान बजट में यह घटकर 32.83 लाख रुपये हो गया है। सरकार देश को गुमराह करने के लिये कहती कुछ है और करती कुछ है।

कानून द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि संघ राज्य क्षेत्रो को जो घाटा होगा उसे केन्द्र अनुदान और ऋण से पूरा करेगा। हमें प्रति वर्ष केन्द्रीय बजट में संघ राज्य क्षेत्रों को होने वाले घाटे को पूरा करने के लिये उपबन्ध करना पड़ता है और आश्चर्य की बात है कि दिये गये ऋण पर संघ राज्य क्षेत्रों से ब्याज वसूल किया जाता है अर्थात् हम स्वयं ऋण देने का उपबन्ध करके स्वयं ब्याज लेते हैं। यह अत्यन्त हास्यास्पद है और समस्त वित्तीय स्थिति को खराब करता है। केन्द्र ने यह स्वीकार किया है कि संघ राज्य क्षेत्रों के बजट घाटे के होते हैं और उन्हें सरपलस बनाना केन्द्र का उत्तरदायित्व है। अतः संघ राज्य क्षेत्रों को ऋण के रूप में धन देने का कोई तुक नहीं है। जब तक संघ राज्य क्षेत्र आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक उन्हें अनुदान दिया जाना चाहिये।

संघ राज्य क्षेत्रों की एक दूसरी बड़ी समस्या यह है कि अन्य राज्यों की भांति वहां लोक सेवा आयोग नहीं हैं और नियुक्तियां केवल संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिल्ली में की जाती हैं और प्रत्येक उम्मीदवार को अपने खर्चे पर दिल्ली में परीक्षा देने के लिये आना पड़ता है। कई युवा व्यक्ति जो अपने संघ राज्य क्षेत्र में नौकरी पाने के योग्य भी हैं दिल्ली तक आने का किराया न दे सकने के कारण उस नौकरी से वंचित रह जाते हैं। सरकार को इस सम्बन्ध में अवश्य कुछ करना चाहिये। यदि सरकार यह महसूस करती है कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में लोक सेवा आयोग का गठन नहीं किया जाना चाहिये तो कम से कम इतना अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उस संघ राज्य क्षेत्र में जहां पर नियुक्तियां की जानी हैं, चयन बोर्ड अवश्य बैठें। इन नौकरियों के लिये जो परीक्षा हो वह उसी क्षेत्र में हो जैसाकि राज्यों में होती है। अन्तर केवल इतना है कि राज्यों के मामलों में विज्ञापन

सम्बन्धित राज्य की क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्रों में छपते हैं जबकि संघ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन अखिल भारतीय समाचारपत्रों में छपते हैं।

संघ राज्य क्षेत्रों को अपना प्रशासन चलाने के लिये केन्द्रीय निकायों और केन्द्रीय संस्थाओं से कई प्रकार की स्वीकृतियां लेनी पड़ती हैं जबकि किसी भी संघ राज्य क्षेत्र को अपने अलग विकास को पूरा करने के लिये तीव्र कार्यवाही की जरूरत होती है किन्तु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं से कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। इस मामले में सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिये पूरी निगरानी रखनी चाहिये कि संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी विभाग का प्रभारी कोई भी हो उसे बजट के कार्यान्वयन में उसी तरह सक्षम होना चाहिये जैसाकि इस प्रयोजन के लिये राज्य में एक अधिकारी होता है।

गृह मंत्रालय में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक सैल है। मैं जानना चाहता हूं कि यह सैल क्या कर रहा है। सभी संघ राज्य क्षेत्रों को पूर्ण राज्य बना दिया जाना चाहिए। परन्तु जब तक वे संघ राज्य क्षेत्र रहते हैं तो कानूनी तौर पर केन्द्र की उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निभाये। सरकार को इस बात पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए कि किस प्रकार से धन व्यय किया जाता है और जहां पर कुप्रबंध है वहां सरकार को हस्तक्षेप करके उसे ठीक करने में संकोच नहीं करना चाहिए।

श्री अरविन्द बाला पजनौर (पांडिचेरी) : पहले जब हमने सरकार से पांडिचेरी में चुनाव कराने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे, अभी समय उपयुक्त नहीं है। पता नहीं इस आपात स्थिति में चुनाव कराने की मांग करना कहां तक उचित होगा। केन्द्र सरकार को इतने वर्षों से पांडिचेरी प्रशासन को स्थानीय चुनाव कराने के लिए आदेश देने से कौन सी बात रोकती है? स्थानीय निकायों में 10 वर्ष पहले चुनाव हुए थे। नये चुनाव कराने के लिए यह उपयुक्त समय है।

संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति शासन की अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती। आपात स्थिति में यह उपबन्ध अब लागू नहीं किया जा सकता। यदि आप इन लोगों के हाथों में पांडिचेरी प्रशासन सौंपते हैं और उन पर नियंत्रण नहीं रखते तो नौकरशाह असफर लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगे। राष्ट्रपति शासन के अधीन संघ राज्य क्षेत्रों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए संसद सदस्यों के एक सैल का निर्माण किया जाये। ये लोग वहां की स्थिति की समीक्षा कर सकेंगे और देख सकेंगे कि वहां क्या हो रहा है।

धान का वसूली मूल्य बहुत कम निर्धारित किया गया है तथा यह तमिलनाडु राज्य से कहीं कम है। दुर्भाग्य वश उस कम मूल्य पर भी हम अपना धान नहीं बेच पाते क्योंकि व्यापारी उसे खरीदने को तैयार नहीं।

गत दो तीन वर्षों में स्थानीय निकायों ने पांडिचेरी में डाक्टर भर्ती किये हैं। उन्होंने विज्ञापन दे कर उचित रूप से चुनाव किया। कई डाक्टरों को छांटा गया और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम कर रहे हैं। अब संघ लोक सेवा आयोग ने मिजोरम, आसाम और

हिमाचल प्रदेश से 30 डाक्टरों का चयन किया है और इन सभी 30 डाक्टरों को नौकरी छोड़ने का नोटिस दे दिया गया है । इन डाक्टरों का क्या होगा ? ये डाक्टर नहीं जानते कि वे अपना काम कहां करें । सरकार समस्या को नहीं समझ रही है । वहां पर भाषा की समस्या है । उत्तर भारत से आये किसी डाक्टर को गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में काम करना पड़ता है । ऐसे लोगों के लिए समस्या पैदा हो जाती है । दूसरे यह एक मानवीय समस्या है। ये डाक्टर संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं। इनकों दो वर्षों के लिए नियुक्त किया गया था। अचानक इन डाक्टरों को सेवा से अलग करने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया गया है । इस मानवीय समस्या पर विचार किया जाना चाहिए ।

बजट में पशुपालन विभाग का भी उल्लेख किया गया है किन्तु पांडिचेरी में पशुपालन और पशु चिकित्सकों के कार्यकरण में किसी प्रकार के सुधार के लिए कुछ नहीं किया गया है ।

जहां तक पांडिचेरी में लागू किये गये भूमि सुधार सम्बन्धी नियमों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में कई प्रकार की छूट दी गई है । भूमि सम्बन्धी कानूनों को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है क्योंकि उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश दे रखे हैं । बड़े-बड़े जमींदार स्थगन आदेशों की आड़ लेकर कानून से बचे हुए हैं और इस प्रकार उन्हें संरक्षण प्रदान किया जा रहा है ।

बहुत से गांवों की उपेक्षा इस लिए की जाती है क्योंकि वे मुख्य सड़कों से जुडे हुए नहीं हैं । अब समय है कि उन गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाये और वहां और सड़कें बनाई जायें । उस समय 11 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया था और अब यह बढ़ाकर 18 करोड़ रुपये कर दिया गया है और यह पुन : बढ़कर 21 करोड़ रुपए हो सकता है । यह सब निमंत्रण-पत्रों, प्रकाशनों के मुद्रण पर अनावश्यक व्यय किया गया हैं । कार्यक्रमों को इस प्रकार से लागू किया जा रहा है। वहां पर कृषीहत्या कानून को बिल्कुल भी कार्यान्वित नहीं किया गया है । हमें मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए

सरकार को उन लोगों की कठिनाइयों पर ध्यान देना चाहिए जो देश के विकास में सहयोग देना चाहते हैं । इस बजट में प्रशिक्षण और रोजगार के लिए उपबन्ध किया गया है किन्तु स्थिति यह है कि जिन लोगों ने रोजगार कार्यालयों में अपने नाम 1969 में दर्ज करवाये थे उन्हें अभी तक पहली बार भी साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है ।

पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र है और यह बजट तो केन्द्रीय सरकार ने केवल एक प्रकार का ऋण दिया है । वास्तव में पांडिचेरी के लिए अधिक धन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इससे पांडिचेरी का कुछ अधिक हित नहीं होगा क्योंकि पांडिचेरी देश के लिए विदेशी मुद्रा कमाने में योगदान देता है ।

वहां काफी समय से आर्याणाकुप्पम नदी परियोजना तथा एक थर्मल संयंत्र की स्थापना की मांग की जा रही है । किन्तु इन दोनों ही बातों का बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है । कम से कम आपात स्थिति और 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के इस वर्ष पांडिचेरी के लिए कुछ न कुछ किया जाना चाहिए ।

हम दो बातों की जानकारी चाहते हैं , एक तो यह कि पिछले वर्ष की उपलब्धियों तथा दूसरे इस वर्ष की योजनाओं का ब्योरा दिया जाये । इन दोनों बातों की अवहेलना की गई है । यदि आप चाहते हैं कि देश के लोग देश से तथा देशवासियों से प्रेम करें तो आपको उन्हें देश में घटने वाली घटनाओं को समझने का अवसर देना चाहिए । मैं एक लाइन का उत्तर "विचार किया जायेगा" नहीं चाहता हूं । यदि आपका देश की प्रगति में, प्रधान मंत्री के कार्यक्रम में विश्वास है, देश की जनता में विश्वास है तो प्रधान मंत्री को तथा देश की जनता को धोका न दें ।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम् (तिरुचिरापल्ली) **:** पिछले दो वर्ष से पांडिचेरी में राष्ट्रपति का शासन लागू है । हम उस क्षेत्र के लिए दो वर्ष से कानून बना रहे है तथा बजट पारित कर रहे हैं । इस अवधि में क्या सुधार हुए हैं ? यदि मंत्री महोदय यहां उठाये गए कुछ मामलों का उत्तर देने की स्थिति में न हों तो वह उन्हें नोट करलें और बाद में सम्बद्ध सदस्य को भेज दें ।

यदि अब निर्वाचन नहीं कराये जा सकते हैं तो उसके कारण क्या हैं । इस छोटे क्षेत्र में आपात स्थिति के दौरान भी निर्वाचन कराये जा सकते हैं । उसके लिए केवल कुछ सार्वजनिक सभाओं की अनुमति देनी पड़ेगी । पिछली बार हमारी शिकायत यह थी कि निर्वाचित परिषदें भंग कर दी गई है तथा विशेषाधिकारी नियुक्त किये गए हैं । अब जबकि परिषद पुनः स्थापित कर दी गई हैं, विधान सभा तथा स्थानीय निकायों के निर्वाचन बिना कठिनाई के कराये जा सकते हैं और कराये जाने चाहिएं । पांडिचेरी और करायकल को पृथक-पृथक क्षेत्र माना जाना चाहिए । माही पांडिचेरी से 600 मील दूर हैं तथा येनम 300 मील है । उन्हें क्रमशः केरल तथा आंध्र प्रदेश में मिलाया जा सकता है ।

यदि निर्वाचन नहीं कराये जा सकते तो कृपया एक समिति गठित करें । मैं उपाध्यक्ष महोदय तथा श्री रघु रामैया से निवेदन करता हूं कि मामले पर प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के साथ विचार करें ताकि समिति गठित की जा सके । राष्ट्रपति के शासन के दौरान हमें पांडिचेरी के लोगों की कठिनाइयों पर चर्चा करने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए । पुलिस तथा सरकारी मशीनरी का उपयोग भूस्वामियों की सहायता के लिए नहीं किया जाना चाहिए अपितु हल जोतने वाले किसानों के हित में किया जाना चाहिए । भूमि की अधिकतम सीमा 15 एकड़ है । यदि परिवार के सदस्य 5 से अधिक है तो सीमा 30 एकड़ है । यदि इस अधिकतम सीमा को क्रियान्वित भी किया जाता है तो भी भूमि वितरण के लिए नहीं बचेगी । सीमा को कम किया जाये तथा उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाये ।

पांडिचेरी पत्तन पुराना पत्तन है उसके विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिये । पांडिचेरी एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र भी बनता जा रहा है । हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान बहुत से

क्रान्तिकारियों ने वहां पर शरण ग्रहण की थी। तीन पुरानी वस्त्र मिलें, वहां पर कार्य कर रही हैं जो कि वर्ष के अधिकांश भाग में बन्द रहती हैं। वहां पर एक चीनी मिल भी है परन्तु उसे गन्ना नहीं मिल पाता। वहां पर थर्मल पावर स्टेशन के खोले जाने का प्रस्ताव भी था। जल मार्ग द्वारा कोयला ला कर विद्युत् स्टेशन स्थापित किया जा सकता है। हरिजनों की प्रगति के लिये मंत्री महोदय को चिन्ता की मैं प्रशंसा करता हूं, परन्तु इस काय के लिये उसी प्रकार गम्भीरता से कार्य किया जाना चाहिये जैसी गम्भीरता 20 सूत्री कार्यक्रम में बरती जा रही है। 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के परिणाम तीन महीने में उपलब्ध किये जाने चाहिये। अधिकारी-गण मंत्रियों का स्थान ले रहे हैं। कृपया अधिकारियों को अपव्ययों को समाप्त करने के निदेश दें।

डा० हेनरी ग्रास्टिन (एरनाकुलम) : पांडिचेरी पर चर्चा करते समय हमें स्वर्गीय पंडित नेहरू के यह शब्द स्मरण हो आते हैं कि राज्य का पृथक अस्तित्व बनाये रखने का मुख्य कारण भारत-फ्रांस संस्कृति का बनाये रखना है। उस समय भी आशंका व्यक्त की गई थी कि पांडिचेरी से 600 मील दूर स्थित माहे आदि पूरी तरह उपेक्षित पड़े हैं। उन्हें अपनी छोटी से छोटी शिकायत के बारे में आवेदन करने के लिये 600-700 मील दूर जाना पड़ता है। बजट का अधिकांश भाग भी पांडिचेरी के लिये ही निर्धारित होता है। माहे के लोगों की उपेक्षा की जाती है। केरल में आजकल मत्स्य उद्योग के विकास के लिये 6,000 यंत्रीकृत नौकाओं का उपयोग किया जा रहा है। यदि पांडिचेरी सरकार ने रुचि ली होती तो माहे भी केरल के समान इस बारे में केरल के साथ होता। मंत्री महोदय इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास पर बल दे।

पांडिचेरी का एक सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में विकास किया जा रहा है। यदि केन्द्रीय सरकार अनुभव करती है कि यह सांस्कृतिक विकास हमारी संस्कृति के साथ मेल खाता है तो "ओरोविल" के और आगे विकास के लिये धन दिया जाना चाहिये। परन्तु खेद है कि इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर गरीबी से बुरी तरह घिरे हुए क्षेत्र विद्यमान हैं। पांडिचेरी आने वाले सभी पर्यटक आश्रम देखने में ही व्यस्त रहते हैं। आश्रम के पास ही बसे लोगों की दीनहीन दशा पर किसी का ध्यान नहीं जाता। पांडिचेरी ने व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित किया है। यहां पर धर्म-निर्पेक्षता का आदर्श देखने को मिलता है। यदि अल्पसंख्यक हमारे राष्ट्रीय जीवन प्रवाह का विरोध नहीं करते तो हमारी नीति उन्हें पर्याप्त प्रोत्साहन देने की है। पांडिचेरी के इतिहास के अध्ययन से पता चलता है कि वहां के लोगों ने धर्म-निर्पेक्षता की भावना को जगाने के लिये बहुत योगदान दिया है। श्री कल्याण सुन्दरम ने ठीक ही कहा है कि राज्य का आर्थिक विकास अत्यन्त निचले स्तर पर है।

केन्द्रीय सरकार ने पांडिचेरी में एक मेडिकल कालेज खोला है। जनता में यह उम्मीद पैदा हो गई है कि इसे क्षेत्रीय कालेज के रूप में विकसित किया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस मामले में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

पर्यटन की दृष्टि से पांडिचेरी एक सुन्दर राज्य है। मैं समझता हूं कि इस पहलू पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है जितना कि दिया जाना चाहिये। विश्व भर से, विशेष रूप से पश्चिमी यूरोप से बहुत से लोग स्वर्गीय 'मदर' और आश्रम के कारण वहां आते हैं। इसलिये पांडिचेरी के पूर्णरूपेण विकास की समेकित योजना बनायी जानी चाहिये।

माहे, जो कि पांडिचेरी राज्य का एक अंग है, के विकास की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये ।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : प्रथमतः मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करती हूं । उन्होंने तर्कपूर्ण निष्कर्ष प्रस्तुत किये हैं ।

श्री बाला पजनौर ने बहुत सी भावनात्मक बातें उठाई हैं । हम उन सभी बातों का ध्यान रखेंगे । मैं उनसे निवेदन करूंगी कि ऐसे मामलों से हमें अवगत करायें जिनमें तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता है ।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : यदि मंत्री महोदय पांडिचेरी आने का निमंत्रण स्वीकार करें तो बहुत सी बात सुलझ जायेंगी ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं निमंत्रण स्वीकार करती हूं । आश्रम से आध्यात्मिक लाभ उठाने के अलावा मैं जनता से भी मिलना चाहूंगी ।

श्री कल्याणसुन्दरम ने एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है । मैं नहीं समझती कि क्या ऐसा किया जा सकता है । परन्तु निश्चय ही इस पर विचार किया जायेगा । मुझे पता चला है कि कुछ अनौपचारिक समितियां हैं जोकि विभिन्न मामलों पर ध्यान देती हैं । मुझे विश्वास है कि उनकी बैठकें हर महीने होती हैं जिनमें संसद सदस्य को सहयोजित किया जाता है । क्या इतना पर्याप्त है अथवा संघ राज्य क्षेत्र के लिये परामर्श समिति गठित करना सम्भव है, इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री सेकरा यहां इस समय उपस्थित नहीं हैं । उन्होंने अपने भाषण में बहुत से ऐसे राजनीतिक प्रश्न उठाये हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक नहीं है ।

भूमि की अधिकतम सीमा के 25 मामले बकाया पड़े हैं । उनपर कार्यवाही रोकने के न्यायिक आदेश दो तीन दिन पहले समाप्त हुए हैं । इसलिये अब कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा ।

तापीय बिजलीघर का तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अध्ययन किया जा रहा है और हम चाहते हैं कि मामले को शीघ्र निपटाया जा सके ।

विश्वविद्यालय का मामला अभी तो वहीं पर है परन्तु शीघ्र ही इस बारे में प्रगति होने की आशा है ।

यहां उल्लेख किया गया है कि कृषि के लिये कम राशि निर्धारित की गई है । इसका एक कारण तो यह है कि किसानों से वसूल किये गये धन का समायोजन किया गया है । 15 लाख रुपये 'कृषि' मद से ले लिये गये हैं और एम० एफ० ऐ० एल० ऐजेंसी इसे केन्द्रीय सरकार से ले रही है ।

मत्स्य नौकाओं के लिये कृषि पुनर्वित्त निगम धन देगा । इससे स्थिति में कोई अन्तर नहीं होगा ।

शिक्षा के लिये 1975-76 में 58.73 लाख रुपये रख गये थे जबकि 1976-77 में 100.46 लाख रुपये नियत किये गये हैं। इससे स्पष्ट है कि शिक्षा को कितना अधिक महत्व दिया जा रहा है।

श्री कल्याणसुन्दरम ने आवास योजनाओं के बारे में जानना चाहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिये टाइप दो के 60, टाइप तीन के 48, टाइप चार के 36, टाइप 5 के 12, तथा टाइप 7 के 4 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं अथवा तैयार हो चुके हैं। हमें खुशी है कि पांडिचेरी सरकार अच्छा कार्य कर रही है। निर्वाचन के बारे में निवेदन है कि अभी कुछ दिन पूर्व प्रशासन के प्रतिवेदन पर राष्ट्रपति के शासन की अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ाई गई है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्य आपत्तियां वापस ले लेंगे और बजट को सर्व सम्मति से पारित करेंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्री कल्याणसुन्दरम ने पांडिचेरी के बारे में संसदीय समिति के न होने का उल्लेख किया था। यह एक महत्वपूर्ण मामला है . . (**व्यवधान**) राष्ट्रपति शासन वाले क्षेत्र के लिये संसदीय समिति क्यों न हो? ऐसी समिति के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुभवी संसद सदस्यों का मार्गदर्शन प्राप्त होता है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : हम इस मामले का ध्यान रखेंगे .

उपाध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के शासन काल में संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति राज्यों से भिन्न है। संघ राज्य क्षेत्र एक प्रकार से गृह मंत्रालय का ही विस्तार है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की वर्ष 1976-77 की अनुदानों की मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं।

The Demands for Grants in respect of Union Territory of Pondicherry for the Year 1976-77 were put and adopted.

पांडिचेरी विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976

PONDICHERRY APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1976

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्रीमान, मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं :

मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोयय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे । प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were ndded to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

नागालैण्ड बजट 1976–77—सामान्य चर्चा और अनुदानों की मांग, 1976–77

NAGALAND BUDGET, 1976-77—GENERAL DISCUSSION AND DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नागालैण्ड राज्य के बजट तथा अनुदानों की मांगों पर चर्चा करेंगे ।

नागालैण्ड को वर्ष 1976-77 की अनुदानों की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
1	राज्य विधान मंडल	20,45,000	..
3	मंत्रिपरिषद्	16,88,000	..
4	न्याय प्रशासन	12,35,000	..
5	निर्वाचन .	17,13,000	..
6	भूराजस्व, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन	21,45,000	..
7	राज्य उत्पाद शुल्क .	7,62,000	..
8	बिक्री कर	7,18,000	..
9	वाहनों पर कर	4,52,000	..
12	सिविल सचिवालय . . .	1,17,99,000	..
13	जिला प्रशासन, विशेष कल्याण स्कीम और जन-जाति परिषद् .	1,86,00,000	..
14	राजकोष और लेखा प्रशासन . .	10,85,000	..
15	कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए विशेष खर्च जिसमें पेंशन और उपदानों में किया जाने वाला अंशदान शामिल है	48,80,000	..
16	ग्राम रक्षक	46,42,000	..
17	सिविल पुलिस और अग्नि शमन सेवा एकक .	6,42,50,000	8,00,000
18	जेल . . .	37,00,000	..
19	लेखन साम्री और मुद्रण .	21,50,000	..
20	सतर्कता आयोग . . .	5,98,000	..
21	वर्कशाप संगठन . . .	16,00,000	
22	नागालैंड सदन . . .	6,58,000	..
23	प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान . .	4,02,000	..

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
24	राज्य लाटरियां .	11,65,000	..
25	पेंशन और अन्य सेवा निवृति लाभ	6,64,000	..
26	शिक्षा . .	5,92,36,000	..
27	कला और संस्कृति और गजेटियर्स एकक .	10,01,000	..
28	चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	3,47,82,000	..
29	शहरी विकास . .	14,37,000	..
30	सूचना, प्रचार और पर्यटन	33,22,000	..
31	रोजगार कार्यालय .	2,61,000	..
32	श्रम	1,09,000	..
33	जनजाति विकास खण्ड, सामुदायिक परियोजनायें आदि . .	82,50,000	..
34	समाज कल्याण . .	70,04,000	..
35	सैनिक, नाविक और वायुसैनिक बोर्ड .	1,60,000	..
36	समाज सुरक्षा, कल्याण और सामुदायिक सेवायें	18,53,000	..
37	मूल्यांकन एकक	1,77,000	..
38	सहकारिता .	28,36,000	31,88,000
39	साख्यिकीय . .	12,97,000	..
40	तौल और माप .	4,08,000	
41	पूर्ति कार्यालय, कलकत्ता . .	1,89,000	
42	कृषि, लघु सिंचाई, मीन उद्योग आदि .	1,90,81,000	..
43	भूमि संरक्षण . .	64,97,000	..
44	अनाज पूर्ति स्कीम .	66,62,000	3,00,00,000
45	पशुपालन और डेरी विकास . .	1,22,76,000	6,00,000
46	वन	3,28,81,000	..
47	उद्योग	1,37,23,000	92,75,000
48	खनिज विकास	31,96,000	..
49	विद्युत परियोजनाएं . . .	3,72,16,000	1,06,50,000

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
50	सड़क परिवहन . . .	76,00,000	31,00,000
51	मकान बनाने के लिए उधार और सरकारी सेवकों को उधार	..	42,00,000
52	लोक निर्माण आवास, सड़कें और पुल .	14,57,27,000	5,45,11,000
53	कार्यालयीय इमारतें और अन्य विकास स्कीमें .	..	1,71,91,000
54	जल पूर्ति स्कीमें . . .	1,55,39,000	1,13,00,000

श्री दशरथ देब (त्रिपुरा पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, नागालैण्ड के बजट को पुलिस राज्य का बजट कहा जा सकता है क्योंकि इस बजट में लगभग 18 प्रतिशत धनराशि पुलिस और जेलों पर व्यय करने के लिये रखी गयी है। पुलिस तथा जेलों के लिये 7.64 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है और शिक्षा के लिए केवल मात्र 5.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि शिक्षा का विषय पुलिस तथा जेल से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि यह बजट मुख्य रूप से नौकरशाही प्रधान है क्योंकि नागालैण्ड जैसे छोटे से राज्य के लिए राज्यपाल के लिए 7.53 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था है और मंत्रिमण्डल के लिए 16.88 लाख रुपये खर्च करने की व्यवस्था है जबकि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए केवल 24.25 लाख रुपये की व्यवस्था ही की गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नागालैण्ड जैसे पिछड़े क्षेत्र के विकास के लिए अभी तक सरकार गंभीर रूप से कुछ नहीं कर रही है क्योंकि लोगों की वास्तविक समस्याओं तथा कृषि तथा उद्योग आदि के विकास के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है।

बजट को देखने पर ऐसा लगता है कि उसमें सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के विकास के लिए कुछ व्यवस्था की गई है। इससे सम्बन्धित कार्यों के लिए अधिकतर ठेके और काम उन्हीं लोगों को दिये गये हैं जो कांग्रेस दल के समर्थक हैं। सड़कों के निर्माण का कार्य तो कुछ ऐसे मामूली ठेकेदारों को दिया गया है जिन्हें निर्माण-कार्य का कतई अनुभव नहीं है। इसका सड़कों के निर्माण-कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

नागालैण्ड देश के सुदूरपूर्व स्थित एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जिसका पर्याप्त विकास नहीं हो पाया है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये यदि बजट पर दृष्टिपात करें तो स्पष्ट मालूम होता है कि नागालैण्ड के लिए रखी गई धनराशि अपर्याप्त है। वह राज्य एक लम्बे समय से सेना का राज्य चला आ रहा है और अभी तक वहां के नागारिक प्रशासकों के पास विशेष अधिकार नहीं हैं वास्तविकता तो यह है कि नागरिक प्रशासन के नाम पर सेना प्रशासन चलाती आ रही है। बजट में इस पिछड़े राज्य के विकास सम्बन्धी किसी कारगर नीति का आभास नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि वहां के विकास कार्यों के लिए और अधिक रुपया दिया जाना चाहिये।

समाज कल्याण तथा सामुदायिक सेवाओं के लिए कुछ धनराशि सुरक्षित की गई है परन्तु तथ्य तो यह है कि वहां इस प्रकार की कोई सेवा नहीं है। अतः मेरी मांग यह है कि संसद् को एक तथ्य निरूपण समिति की स्थापना करनी चाहिये जो यह पता लगाये कि क्या इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा वास्तव में आवंटित धनराशि का उपयोग जनता के लाभ के लिए किया जा रहा है या नहीं।

सरकार की नीति यह है कि कुछ नागा लोगों तथा नेताओं को प्रशासन के साथ मिलाये रखा जाये। वास्तव में सरकार उन्हीं खरीदे हुये नेताओं को ही कुछ सुविधायें देने के लिये प्रयत्नशील रहती है और वहां की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने का उसका कोई सच्चा प्रायत्न नहीं है। सरकार को नागा समस्या के हल के लिए कारगर तथा जोरदार प्रयत्न करने चाहियें ताकि इस समस्या का स्थाई हल खोजा जा सके।

डा० रानेन सेन (बारसार) : आज हम देश के अति संवेदनशील क्षेत्र नागालैण्ड के बजट पर चर्चा कर रहे हैं यह काफी प्रसन्नता की बात है कि नागाओं ने भारत से अलग होने के अपने प्रयत्नों को निरर्थक मान लिया है तथा भारत में ही रहने का निर्णय कर लिया है। यह भारत सरकार तथा नागाओं दोनों के ही हित में है और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता के इस अंग को भारत का अटूट अंग बनाने के लिये किये जा रहे प्रयत्न सफल होंगे तथा नागालैण्ड हमारे राष्ट्रीय जीवन का अटूट अंग बना रहेगा।

बजट में विभिन्न मदों के लिए जो व्यवस्था की गई है उसे देख कर तो मैं असमंजस में पड़ गया हूं। आवास तथा अग्रिम धनराशि के लिए वर्ष 1975-76 के 5.50 हज़ार रुपये की व्यवस्था की जिसे अब घटाकर 4.90 हज़ार रुपये कर दिया गया है। इसी प्रकार इस पहाड़ी क्षेत्र में चिकित्सा के लिये खर्च की जाने वाली धनराशि भी कम कर दी गई है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन पर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि सामान्य आर्थिक समस्याओं, कृषि तथा अन्य सम्बद्ध सेवाओं के लिए कुछ राशियों का आवंटन किया गया है। वास्तव में इन मदों के अन्तर्गत जो धनराशि खर्च की जाती है उसका उपयोग प्रशासन तथा अन्य सम्बन्धित सेवाओं के चलाने के लिए ही किया जाता है। कृषि और सम्बन्धित सेवाओं के लिए रखी गई धनराशि में 3 लाख रुपये की वृद्धि की गई है। यह वृद्धि पर्याप्त नहीं है। कृषि के विकास की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये तथा इसके लिए और अधिक धनराशि निर्धारित की जानी चाहिये।

कलकत्ता के समाचारपत्रों में आये दिन इस आशय के समाचार देखने को मिलते रहते हैं कि नागालैण्ड में सड़कों तथा पुलों का बहुत अभाव है। वहां सड़कें बहुत कम हैं। रेल की व्यवस्था वहां है ही नहीं। अतः सड़क परिवहन के विकास की ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये। सरकारी कार्यों के लिये तथा सरकारी भवनों के लिये बहुत धन व्यय किया जाता है लेकिन आवश्यक कार्यों के लिए पर्याप्त राशि का व्यय नहीं किया जाता।

[श्री जी० विश्वनाथन् पीठासीन हुए।]

SHRI G. VISHWANATHAN *in the chair*

सचिवालय के लिये 1,17,99 रुपये रखे गये हैं। इसी प्रकार सरकारी खजाने के प्रशासन, कानून तथा व्यवस्था आदि के लिये भी बहुत राशि रखी गई है। इस प्रकार के बजट से सरकार के उद्देश्य पूरे नहीं होंगे ।

मैं इस बजट से सन्तुष्ट नहीं हूं। भूमि कटाव के लिये कुछ अधिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये। सरकार के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रयत्नशील रहना चाहिये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : बजट में कमी करने के बारे में चर्चा की गयी है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगी कि बजट की किसी भी मद में कमी नहीं की गई है। "शिक्षा" मद के अन्तर्गत कोई भी कमी नहीं की गई है ।

यह भी कहा गया है कि पुलिस पर बहुत राशि व्यय की गई है। पुलिस ने स्थिति को सामान्य बनाने के लिये महत्वपूर्ण कार्य किया है और उन्होंने अपने कर्तव्य को कुशलतापूर्वक निभाया है। अतः इस मद पर किया गया व्यय अनुचित नहीं है ।

मेरे विचार में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का मैं उत्तर दे चुकी हूं।

सभापति महोदय द्वारा नागालैण्ड की वर्ष 1976-77 की निम्नलिखित अनुदानों की माँगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं।

The following Demands in respect of State of Nagaland for 1976-77 were put and adopted:—

मांग सं०	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
1.	राज्य विधान मंडल	20,45,000	
3.	मंत्रिपरिषद्	16,88,000	..
4.	न्याय प्रशासन . .	12,35,000	..
5.	निर्वाचन	17,13,000	..
6.	भू-राजस्व, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन .	21,45,000	..
7.	राज्य उत्पादन शुल्क . . .	7,62,000	..
8.	बिक्री कर	7,18,000	..
9.	वाहनों पर कर . . .	4,52,000	..

1	2	3	
		राजस्व रुपये	पूंजी रुपये
12.	सिविल सचिवालय . . .	1,17,99,000	..
13.	जिला प्रशासन, विशेष कल्याण स्कीम और जन जाति परिषद् . . .	1,86,00,000	..
14.	राजकोष और लेखा प्रशासन . .	10,85,000	..
15.	कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये विशेष खर्च जिसमें पेंशन और उपदानों में किया जाने वाला अंशदान शामिल है	48,80,000	..
16.	ग्राम रक्षक	46,42,000	..
17.	सिविल पुलिस और अग्नि शमन सेवा एकक .	6,42,50,000	8,00,000
18.	जेलें . . .	37,00,000	..
19.	लेखन सामग्री और मुद्रण .	21,50,000	..
20.	सतर्कता आयोग . . .	5,98,000	..
21.	वर्कशाप संगठन . . .	16,00,000	..
22.	नागालैंड सदन . .	6,58,000	..
23.	प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान . .	4,02,000	..
24.	राज्य लाटरियां . .	11,65,000	..
25.	पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ	6,64,000	..
26.	शिक्षा . . .	5,92,36,000	..
27.	कला और संस्कृति और गजेटियर्स एकक .	10,01,000	..
28.	चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन	3,47,82,000	..
29.	शहरी विकास	14,37,000	..
30.	सूचना, प्रचार और पर्यटन . .	33,22,000	..
31.	रोजगार कार्यालय .	2,61,000	..
32.	श्रम	1,09,000	..
33.	जनजाति विकास खण्ड, सामुदायिक परियोजनाएं आदि	82,50,000	..

1	2	3	
		राजस्व	पूंजी
34.	समाज कल्याण	70,04,000	..
35.	सैनिक, नाविक और वायु सैनिक बोर्ड	1,60,000	..
36.	समाज सुरक्षा, कल्याण और सामुदायिक सेवाएं	18,53,000	..
37.	मूल्यांकन एकक	1,77,000	..
38.	सहकारिता	28,36,000	31,88,000
39.	सांख्यिकीय	12,97,000	..
40.	तौल और माप	4,08,000	..
41.	पूर्ति कार्यालय, कलकत्ता	1,89,000	..
42.	कृषि, लघु सिंचाई, मीन उद्योग आदि	1,90,81,000	..
43.	भूमि-संरक्षण	64,97,000	..
44.	अनाज पूर्ति स्कीम	66,62,000	3,00,00,000
45.	पशुपालन और डेरी विकास	1,22,76,000	6,00,000
46.	वन	3,28,81,000	..
47.	उद्योग	1,37,23,000	92,75,000
48.	खनिज विकास	31,96,000	..
49.	विद्युत् परियोजनाएं	3,72,16,000	1,06,50,000
50.	सड़क परिवहन	76,00,000	31,00,000
51.	मकान बनाने के लिये उधार और सरकारी सेवकों को उधार	..	42,00,000
52.	लोक निर्माण, आवास, सड़कें और पुल	14,57,27,000	5,45,11,000
53.	कार्यालयीय इमारतें और अन्य विकास स्कीमें	..	1,71,91,000
54.	जल पूर्ति स्कीमें	1,55,39,000	1,13,00,000

नागालैण्ड विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976

NAGALAND APPROPRIATION (No. 2) BILL, 1976.

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये नागालैंड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

872 LS—8.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये नागालैंड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये नागालैंड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1976–77 की सेवाओं के लिये नागालैंड राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : अब हम खंडवार चर्चा करते हैं। प्रश्न यह है :—

"खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2, 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

नागालैण्ड के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के लागू रखने के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION *Re.* APPROVAL OF CONTINUANCE IN FORCE OF PROCLAMATION IN RESPECT OF NAGALAND.

गृह मन्त्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड के संबंध में 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 मार्च, 1976 से छः मास की और अवधि के लिये लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

नागालैंड में भूमिगत नागा लोग 1974 से सक्रिय थे। राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद राज्यपाल ने प्रशासन को मजबूत करने के लिये ठोस कदम उठाये। वर्ष 1974 के दौरान भूमिगत नागाओं ने 598 लोगों को अपने गिरोह में शामिल किया जबकि जुलाई, 1975 के बाद एक भी व्यक्ति की भर्ती नहीं हुई। 1975 के दौरान 711 भूमिगत नागाओं को गिरफ्तार किया गया।

नागालैंड के शांतिप्रिय लोग अपने क्षेत्र की शांति और प्रगति के इच्छुक हैं।

11 नवम्बर, 1976 को शिलांग में भूमिगत नागाओं के साथ एक समझौता हुआ जिसके फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के 168 हथियार बरामद किये गये। इस समझौते की तीन मुख्य बातें हैं। एक यह कि नागा लोग संविधान का आदर करते हैं, दूसरे वे सभी हथियार वापिस करेंगे और तीसरे वे कुछ अनुरोध करेंगे। 11 नवम्बर, 1975 के बाद कोई भी हिंसात्मक घटना नहीं हुई। नागालैंड की वर्ष 1976–77 की वार्षिक योजना के लिये 17.7 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं।

राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विवरण कार्य को सक्रिय किया गया है और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गयी है। हम समझते हैं कि उस क्षेत्र में शांति स्थापित होने के बाद ही विधान सभा के चुनाव कराये जायें। वास्तव में एन० एन० ओ० और यू० टी० एफ़० नामक दो राजनीतिक संगठन नागालैंड में अब चुनाव कराने के इच्छुक नहीं हैं। ये संगठन तो भूमिगत नागाओं से अंतिम रूप से समझौता करने के इच्छुक हैं और राज्य में शांति बनाना चाहते हैं।

वहां के लोग शांति बनाये रखने के इच्छुक हैं। अतः वे चुनाव के लिये इतने इच्छुक नहीं हैं। हमें कोई भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमारी समस्यायें और पेचीदा बन जायें। हमारे सभी कामों का उद्देश्य वहां के लोगों की सुख समृद्धि होनी चाहिए।

माननीय सदस्य नागालैंड समस्या को हल करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रयास करते आ रहे हैं। हमें इस समय कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे वहां की प्रगति के लिये कोई बाधा पैदा हो जाये।

मैं सभा से इस संकल्प पर सहानुभूतिपूर्ण विचार करने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड के संबंध में 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उदघोषणा को 26 मार्च, 1976 से छः मास की और अवधि के लिये लागू रखने का अनुरोध करती है।"

श्री दशरथ देव : (त्रिपुर –पूर्व) : मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं। सत्तारूढ़ दल संविधान की धाराओं का दुरुपयोग कर रहा है। यदि ऐसा न किया जाता तो यह दल सत्ता पर न बना रहता। हम सब जानते हैं कि श्री विज़ोल के मंत्रिमंडल को किस प्रकार गिराया गया। उसके बाद श्री जसोकी का मंत्रिमंडल स्थापित किया गया जो केवल 11 दिन ही सत्ता में रहा। उसके बाद वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यह बात अच्छी है कि नागाओं के साथ एक समझौता किया गया। नागालैंड में शांति स्थापित करने वाले लोगों का हम स्वागत करते हैं। शांति समझौता तभी सार्थक है यदि वहां चुनाव कराये जायें। यदि वहां राष्ट्रपति शासन लागू रहा तो वातावरण और अधिक खराब हो सकता है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि शांति समझौते के बाद बहुत अधिक संख्या में शस्त्रास्त्र समर्पित किये गये हैं। यह तो अच्छी बात है। लेकिन हमें इस सम्बन्ध में उदासीनता और ढील से काम नहीं लेना चाहिए क्योंकि भूमिगत नागाओं के पास और भी अधिक हथियार हो सकते हैं; जिन्हें अभी वापिस लेना है। इसके लिये वहां उचित वातावरण बनाने के बजाये सरकार समर्पित शस्त्रों के लिए अधिक मूल्य दे रही है। ऐसे लालच देकर नागा लोगों को अपने अधिकार में नहीं लिया जा सकता। इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

आपको नागालैंड में सिविल प्रशासन लागू करना चाहिए। सिविल प्रशासन है तो सही लेकिन नाम मात्र का ही है। वहां वास्तविक सत्ता सेना के हाथ में है। नागालैंड की जनता को तीन प्रकार के अधिकारियों के आगे झुकना पड़ता है—एक तो सेना, दूसरा सिविल प्रशासन तीसरे भूमिगत नागा। भूमिगत नागा जब चाहें आकर लोगों से कर मांग लेते हैं। सेना के अधिकारी मनमानी करते हैं। क्या इस प्रकार आप वहां के लोगों का दिल जीत सकते हैं। इस समय नागालैंड में नयी पीढ़ी को कहीं बाहर भेज दिया गया है। कई लोग शान्ति समझौते के विरुद्ध भी काम रहे हैं। राष्ट्रपति शासन के दौरान सेना की सहायता से जनता का दिल नहीं जीता जा सकता। नागा समस्या इस प्रकार नहीं सुलझ सकती।

मैं इन्हीं कारणों से नागालैंड में राष्ट्रपति शासन का विरोध करता हूं। वहां जनता की सरकार स्थापित की जाये। लालच से कुछ लोगों को तो खरीदा जा सकता है लेकिन युवा पीढ़ी फिर वफ़ादार नहीं रहती। जसोकी सरकार का पत्तन केवल ग्यारह दिन में ही हो गया था। मैं अपील करता हूं कि नागालैंड में नये चुनाव कराये जायें।

श्री राज्मु-द-सेकैरा : (मारमागोआ) : सभापति महोदय, आज देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है यह सिलसिला आपातस्थिति से आरम्भ हुआ। आज लाखों आदमी जेलों में बंद पड़े हैं आप को सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ देना चाहिए।

आप ने लोक सभा की अवधि क्यों बढ़ा दी है। आप कहते हैं कि हम चुनाव जीत सकते हैं लेकिन अभी हम चुनाव नहीं करायेंगे। वास्तविकता यह है कि आप चुनाव कभी जीत ही नहीं सकते प्रधान मंत्री ने कहा है कि विपक्षी दल किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। लेकिन 18 मार्च के बाद आप सत्ताधारी लोग जिसका प्रतिनिधित्व करेंगे। तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने को न्यायोचित ठहराने के लिये गृह मंत्री ने कहा है कि वहां सरकार ने बहुत गलत ढंग से सत्ता सम्भाली हुई थी।

नागालैंड में निर्वाचन करना भी वह ठीक नहीं समझते। इससे उनका कहना है कि विकास कार्य रुक जायेंगे। क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं कि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। नागालैंड संवेदनशील क्षेत्र है। श्री दशरथ देव ने कहा है कि सेना वहां दुराचार कर रही है लेकिन मेरा कहना है कि कुछ लोग भले ही खराब हों परन्तु सेना ने बहुत सराहीय कार्य किया है। फ़िर भी वहां नागरिक प्रशासन लागू किया जाना चाहिए।

28 जुलाई को नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि फिर बढ़ा दी गई। अब भी वहां नागरिक प्रशासन लागू नहीं किया जा रहा। वास्तव में केन्द्र ही उन लोगों को निकट नहीं ला रहा। नागाओं का विश्वास जीतने के लिये उनकी अपनी सरकार का होना अति आवश्यक है। तब विद्रोही नागा भी हमारी ओर आ सकेंगे।

आप यहां बैठ कर कहते रहते हैं कि विपक्षी दल किसी का पतिनिधित्व नहीं करते। आप चुनाव करा कर देख लीजिये। यदि ऐसा नहीं होगा तो नागालैंड जैसी स्थिति सारे देश में पैदा हो जायेगी। जनता के पास यदि अपनी शिकायत कहने या कष्ट दूर कराने का सीधा साधन नहीं तो वे संविधानेतर कार्यवाहियों में लग जाते ।

आप अपने को ऊंचे महल में बंद न करें बल्कि जनता के पास जायें और नये चुनाव करायें।

डा० रानन सेन (बारसाट) : मैं गृह मंत्री द्वारा पेश किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं। महोदय हम यहां सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन पर चर्चा नहीं कर रहे वरन् नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने पर चर्चा कर रहे हैं। नागालैंड की स्थिति शेष देश की स्थिति से कुछ अलग रही है। हमें इस पृष्ठ भूमि को ध्यान में रखना चाहिए। वास्तविकता तो यह है कि भारत सरकार ने बहुत गलतियां की हैं लेकिन हमें यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि वहां की स्थिति बिगाड़ने में विदेशी शक्तियों का भी बहुत हाथ रहा है। श्री फिजो अभी भी लन्दन में हैं। उनके अनुयायी यद्यपि बहुत थोड़े हैं लेकिन ऐसे तत्व मौजूद हैं।

इसलिये केवल यह कहना कि चूंकि दो मंत्रिमण्डलों का पतन हो गया और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, पूर्णतया ठीक नहीं है, हमें नागालैंड की वस्तु स्थिति से भी परिचित रहना चाहिए। स्थिति के ठीक होने पर चुनाव कराना तो हम भी चाहते हैं।

कई सदस्यों ने सुरक्षा सेनाओं द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने की बात कही है। यदि उनमें से 10 प्रतिशत बात भी सच हों तो भी भारत सरकार को उन पर ध्यान देना चाहिए। यह सर्वविदित है कि आदिवासी क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं कि यदि सैनिकों तथा सुरक्षा सेवाओं

ने उनका लाभ उठाना आरम्भ कर दिया तो सारे किये कराये पर पानी फिर जायेगा और भारत तथा नागा शत्रुओं के बीच समझौता खतरे में पड़ जायेगा।

एक अन्य बात यह है कि प्रशासन और पुलिस पर अधिकाधिक व्यय किया जा रहा है सरकार यह देखे कि अधिक से अधिक धन नागा लोगों के कल्याण पर खर्च हो न कि फालतू प्रशासनिक व्यय बढ़ाये जाने पर।

चीन निरंतर भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। उसके सैनिक तथा राजनीतिक हस्तक्षेप को कम करके उसके प्रभाव को समाप्त किया जाना जरूरी है। चीन से मिले रहने वाले तत्वों का मुकाबला करने के लिये जो लोग तैयार हैं उन्हें राजनीतिक तथा अन्य रूप से सहायता दी जानी चाहिए।

हम इस समय नागालैंड में निर्वाचन नहीं करा सकते क्योंकि उससे वहां शान्ति स्थापित किये जाने और लोकतांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने के प्रयत्नों पर प्रभाव पड़ेगा।

श्री एच० एम० पटेल : (ढंढुका) : गृह मंत्री ने कहा है कि 17.50 करोड़ रुपये का योजना व्यय किया जाना है और 15 करोड़ रुपये इस वर्ष के अंत तक समाप्त हो जाने थे। कृपया यह बताया जाये कि यह पया किन-किन चीजों पर व्यय किया जायेगा। क्या इस रुपये से नागालैंड की जनता का कल्याण हो सकेगा। रुपये का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : डा० रानेन सेन ने ठीक ही कहा है कि निर्वाचन से ही लोकतंत्र नहीं होता। हमारा आदर्श और लक्ष्य ऊंचा है। निर्वाचन तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए साधन मात्र है। ऊंचा आदर्श यह है कि आपातस्थिति लागू किये जाने के बाद समाज में अनुशासन बढ़ा है, अर्थ व्यवस्था सुधरी है और जनता राहत महसूस कर रही है। इसलिए आपातस्थिति के लाभ स्थायी बनाये जाने चाहिए। हमें केवल निर्वाचन को न देखकर जनता के हितों को देखना है। यदि निर्वाचन कुछ महीनो के लिए स्थगित किये जाते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हम ने लोकतंत्र को त्याग दिया है।

भारतीय सेना द्वारा नागालैंड में दिये गये योगदान की जो प्रशंसा श्री सेकैरा ने की है, मैं उसके लिये उनका धन्यवाद करता हूं। सुरक्षा सेनाओं का काम वहां बहुत ही कठिन रहा है। वहां के बारे में प्राप्त शिकायतों पर हम तुरंत कार्यवाही करते हैं।

इस सरकार ने वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए वातावरण बनाने हेतु कभी भी कोई प्रयास नहीं किया है। 60 सदस्यों में से 38 दलबदलू थे जिनमें से कइयों ने अनेक बार दल-बदल किया था।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा : फिर भी विधान सभा भंग नहीं की गयी। इसे कई महीनों के बाद ही भंग किया गया।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : इसे दो महीनों के बाद भंग किया गया।

यह कहना गलत है कि लोगों को पैसों का लालच दिया गया। लोगों को हथियार समर्पित करने के लिये नकद इनाम दिये गये।

श्री दशरथ देव : लेकिन आप उनके हथियार खरीदने का लालच तो न दें।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : हम उनके हथियार नहीं खरीद रहे। यह कहना गलत है कि हम उन्हें पैसों का लालच दे रहे हैं।

यह बात ठीक है कि कुछ बाहरी और कुछ भीतरी ताकत समझौते के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। यह बात भी सच है कि हम ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि भूमिगत नागा बाहर आकर राष्ट्रीय मुख्यधारा में समा जायें और नागालैंड की समृद्धि के लिये काम करें। नागालैंड के सम्बन्ध में हम ने एक सलाहकार समिति बनायी है जिसमें कि जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व है ।

शांति समझौते के अतिरिक्त हथियार आदि जमा करवाने के बारे में भी कार्यवाही हो रही है। मैं माननीय सदस्यों से इन सब बातों की ओर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा।

योजना सम्बन्धी व्ययों के मुद्दों के बारे में पूछा गया है। कृषि तथा सम्बद्ध सेवाओं पर 6.14 करोड़ रुपये, सहकारिता पर 27 लाख रुपये, जल और विद्युत् विकास पर 52 लाख रुपये, उद्योग तथा खनन पर 1.4 करोड़ रुपये, परिवहन तथा संचार पर 4.71 करोड़ पये, सामाजिक और समुदाय सेवाओं पर 4.58 करोड़ तथा आर्थिक सेवाओं पर 8 लाख पये व्यय किये जायेंगे।

श्री एच० एम० पटेल : मंत्री महोदय को अपने उत्तर में वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिए, न कि कुछ विशेष सदस्यों को।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको सबका धन्यवाद करना चाहिए।

श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी : मैं सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नागालैंड के संबंध में 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 मार्च, 1976 से छः मास की और अवधि के लिये लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) 1975–76

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1975-76.

सभापति महोदय : अब सभा वर्ष 1975–76 के अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर विचार करेगी।

वर्ष 1975–76 के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें (सामान्य) प्रस्तुत की गयीं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	कृषि और सिंचाई मंत्रालय		
2	कृषि	26,54,11,000	—
3	मीन उद्योग	35,43,000	1,16,00,000
4	पशुपालन और डेरी विकास	3,94,90,000	—
6	खाद्य विभाग	72,72,80,000	139,61,81,000
	वाणिज्य मंत्रालय		
12	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	1,000	2,000
	संचार मंत्रालय		
13	संचार मंत्रालय	25,25,000	—
15	डाक तार—कार्यचालन व्यय	46,30,35,000	—
17	डाक तार पर पूंजी परिव्यय	—	20,00,00,000
	रक्षा मंत्रालय		
18	रक्षा मंत्रालय	6,51,000	7,70,000
19	रक्षा सेवाएं—सेना	26,47,28,000	—
21	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	23,32,91,000	—
	शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय		
25	शिक्षा	9,41,00,000	—
	ऊर्जा मंत्रालय		
27	ऊर्जा मंत्रालय	5,93,000	—
8	विद्युत विकास	—	6,16,30,000
29	कोयला और लिग्नाइट	77,11,000	31,18,91,000
	विदेश मंत्रालय		
30	विदेश मंत्रालय	4,95,25,000	—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	वित्त मंत्रालय		
31	वित्त मंत्रालय . . .	90,69,000	—
33	संघ उत्पाद शुल्क . . .	7,87,97,000	—
34	आय पर कर, संपदा शुल्क, धन कर और दान कर	6,66,74,000	—
35	स्टाम्प	7,27,94,000	—
36	लेखा परीक्षा	1,98,06,000	—
37	करेंसी, सिक्का निर्माण और टकसाल .	8,80,68,000	3,32,17,000
38	पेंशनें	3,00,00,000	—
39	अफीम और एल्कलाइड फ़ैक्टरियां . .	3,10,60,000	—
40	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को अंतरण	34,20,57,000	—
41	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय . .	52,14,44,000	2,93,75,58,000
	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय		
43	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय .	3,62,000	—
44	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य . .	15,10,24,000	7,33,69,000
45	परिवार नियोजन . .	15,13,27,000	—
	गृह मन्त्रालय		
46	गृह मंत्रालय	15,96,000	—
	मंत्रिमंडल	23,36,000	—
48	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग .	96,47,000	—
49	पुलिस . . .	20,09,91,000	35,00,000
50	जनगणना	10,00,000	—
51	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय .	25,65,65,000	3,31,21,000
52	दिल्ली	12,25,70,000	6,80,63,000
53	चंडीगढ़	1,88,52,000	27,50,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
54	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3,31,34,000	37,20,000
56	दादरा और नागर हवेली	19,37,000	--
57	लक्षद्वीप	42,94,000	--
	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय		
58	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	38,13,000	--
59	उद्योग	3,88,07,000	41,38,84,000
60	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	--	1,32,32,000
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय		
62	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	7,54,000	--
64	प्रसारण	7,41,79,000	--
	श्रम मंत्रालय		
66	श्रम और रोजगार मंत्रालय	2,21,10,000	--
	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय		
69	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय	9,85,000	--
70	पेट्रोलियम और पेट्रो-रसायन उद्योग	2,46,89,000	11,50,01,000
71	रसायन और उर्वरक उद्योग	1,37,000	18,00,01,000
	नौवहन और परिवहन मंत्रालय		
75	नौवहन और परिवहन मंत्रालय	15,60,000	--
76	सड़कें	8,65,44,000	--
77	पत्तन, दीपस्तम्भ और नौवहन	3,01,89,000	20,07,11,000
	इस्पात और खान मंत्रालय		
79	इस्पात विभाग	29,69,000	79,04,00,000
81	खानें और खनिज	5,12,74,000	25,48,00,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
	पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय		
83	पूर्ति और निपटान . . .	40,00,000	--
84	पुनर्वास विभाग . .	2,30,52,000	88,34,000
	पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय		
86	मौसम विज्ञान	1,40,63,000	--
87	विमानन	4,04,37,000	--
88	पर्यटन . . .	11,00,000	--
	निर्माण और आवास मंत्रालय		
89	निर्माण और आवास मंत्रालय . .	7,46,000	--
90	लोक निर्माण	1,45,62,000	1,00,00,000
92	आवास और शहरी विकास . .	2,82,86,000	3,31,67,000
93	लेखन सामग्री और मुद्रण . .	4,43,02,000	--
	परमाणु ऊर्जा विभाग		
95	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान विकास और औद्योगिक परियोजनाएं . . .	1,38,00,000	--
96	न्युक्लीय विद्युत स्कीमें . . .	5,97,00,000	1,26,00,000
	विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
101	भारतीय सर्वेक्षण . . .	1,50,00,000	--
	संसद्, संसदीय कार्य विभाग, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय और संघ लोक सेवा आयोग		
105	राज्य सभा	7,80,000	--
107	उप राष्ट्रपति का सचिवालय . .	30,000	--

श्री बी० एन० रेड्डी (निरयालगुडा) : कृषि क्षेत्र के बारे में आपातकालीन स्थिति के दौरान सरकार ने घोषणा की है कि भूमि सुधार की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। सरकार द्वारा इस दिशा में निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं।

(श्री वसन्त साठे पीठासीन हुये।
Shri Vasant Sathe *in the chair*

कृषि मंत्री ने कहा है कि 9,03,238 एकड़ भूमि फालतू है पर केवल 1,72,000 एकड़ भूमि वितरित की गई है। इन दोनों आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है ?

कृषि के मामले में हम संकट में हैं। धन का कृषि मूल्य सामान्य मूल्य से आधा है। उपादानों का मूल्य सामान्यतः बढ़ गया है। किसानों पर इसका काफी भार पड़ा है और इसका उत्पादन पर असर पड़ा है। कपास का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल से घटकर 300 रुपये रह गया है। एक विशेष किस्म की कपास की लाखों गांठें बाज़ार में पड़ी हैं परन्तु कोई खरीदार नहीं। भारतीय कपास निगम भी इसका क्रय नहीं कर रहा।

कहा जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र के 105 मिनी इस्पात संयंत्र बंद हो गये हैं और एक समेकित इस्पात संयंत्र ने लाखों टन इस्पात का उत्पादन शुरू कर दिया है। मोटरगाड़ी उद्योग में उत्पादन आधा हो गया है तथा कोयला खान प्राधिकार को भी विवश होकर काम बंद करना पड़ा है जिससे उनका जमा स्टाक समाप्त हो जाये। अनेकों उद्योगों के बंद हो जाने के कारण 1,500 करोड़ रुपये की पूंजी बेकार पड़ी है। यदि सरकार यह कहती है कि स्थिति में सुधार हुआ है तो यह मात्र स्थिति को छिपाना है।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मांग संख्या 19 रक्षा विभाग से सम्बन्धित है। वेतन आयोग ने आयुद्ध कारखानों के काम के अनुसार मजदूरी पाने वाले कर्मचारियों को कुछ देने की सिफारिश की थी लेकिन इनके साथ अन्याय ही हो रहा है। ये लोग इन कारखानों द्वारा कमाये जाने वाले 50 प्रतिशत लाभ में सहायक होते हैं परन्तु उन्हें केवल 25 या 30 रुपये की दर से भुगतान किया जाता है। इनका वित्त विभाग द्वारा शोषण किया जा रहा है। रक्षा मंत्री इस आशय के अनुदेश जारी करे जिससे इन कर्मचारियों को हानि न हो।

सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की छठी किस्त क्यों नहीं दी जा रही है ? मैं सातवीं तथा आठवीं किस्त की मांग नहीं कर रहा हूं। हम यह जानते हैं कि स्थिति में सुधार हो रहा है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निश्चय ही गिरावट आई है जिसके लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है। परन्तु इसके साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की छटी किश्त क्यों नहीं दी जा रही है। अब समय आ गया है जब कि महंगाई भत्ते को वेतन के साथ जोड़ दिया जाना चाहिए।

सरकार पेंशनधारियों की दयनीय स्थिति से भलीभांति अवगत है। सरकार को उनके बारे में सहानुभूतिपूर्वक ढंग से विचार करना चाहिए। अब तक वह लोग 4 या 5 किश्तों के हकदार हो गये हैं। अब उनकी पेंशनों का पुनःरीक्षण किया जाना चाहिए।

अब मैं मांग संख्या 24 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। 1500 करोड़ रुपये की छिपी धनराशि का पता लगाने के लिए हम आयकर अधिकारियों को बधाई देना चाहते हैं परन्तु मांग संख्या 34 के अनुसार जानकारी प्राप्त करने के लिए धनराशि खर्च करने का उल्लेख किया गया है, वह बहुत अजीब लगता है। क्या जानकारी खरीदने के लिए सरकार को रुपया खर्च करना पड़ता है?

मांग संख्या 36 के अन्तर्गत लेखा-परीक्षा का उल्लेख किया गया है। हम सभी चाहते हैं कि लेखा-परीक्षा होनी चाहिए परन्तु इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले लेखा-परीक्षा विभाग के नौकरी से अलग किये गये कर्मचारियों को सेवा में ले लिया जाये।

अन्त में मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री शरत चन्द्र चैटर्जी जैसे महान् दिवंगत संगीतज्ञों की स्मृति में डाक टिकट जारी किये जाने चाहिएं। मैं आशा करता हूं कि सरकार पेंशन पाने वालों तथा महंगाई भत्ते की समस्याओं के बारे में उचित रूप से विचार करेगी और आयुद्ध कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों की समस्याओं की ओर भी अपेक्षित ध्यान दिया जायेगा।

श्री राज्मु-द-सहैरा (मारमागोआ) : प्रतिदिन यह संसद् समवेत होती है। यहां अनेक ऐसे उदाहरणों तथा घटनाओं का उल्लेख किया जाता है जिनसे यह स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार दोहरी नीति अपनाये हुए है, वह एक ओर तो संसद् की सर्वोच्चता की बात करती है और दूसरी ओर सदन का उपयोग एक रबड़ की मोहर के रूप में करती है। अब भला इस वर्ष की अनुपूरक मांगों को ही देखिये। उनमें 1389.89 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि रखी गई है। 859.98 करोड़ रुपया व्यय के रूप में दिखाया गया है। सरकार आये दिन हमें मितव्ययता का उपदेश देती रहती है परन्तु उसके नौकरशाहों की विचारधारा उनसे नितान्त भिन्न है।

अनुपूरक बजट में मैक्सिको से मत्सय नौकाएं आयातित करने के लिए 1.16 करोड़ रुपये का उपबंध किया गया है। यह एक ऐसा मामला है जहां निजी क्षेत्र के पक्षों ने एक वायदा किया और वह उस वायदे को पूरा करने में असमर्थ रहे। वस्तुतः उन्होंने भुगतान के लिए सरकार पर दबाव डाला। सरकार बजाय इसके कि उस राशि को ब्याज सहित वसूल करती, सरकार ने उन्हें 12 प्रतिशत की दर से धनराशि दे दी।

बजट के प्रत्येक पृष्ठ पर तथा प्रत्येक मामले में यह बात स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है कि सरकार संसद् को पूर्णतया विश्वास में लेने से पूर्व ही निर्णय कर लेती है। उदाहरणार्थ अब पृष्ठ संख्या 7 को ही देखिए। वहां 10 लाख रुपये का अतिरिक्त उपबन्ध है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी दिये बिना ही केवल यही बताया गया है यह धनराशि लन्दन के एक पुराने मामले के निपटान के लिए अपेक्षित है। यह मामला क्या है? कितना पुराना है? किससे सम्बन्धित है? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है?

चालू वर्ष के बजट में 'गार्डन रीच वर्कशाप' में निवेश करने के लिए 3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब इसी कार्य के लिए 1 करोड़ रुपया और मांगा गया है। इसी तरह बदरपुर तापीय विद्युत् परियोजना के लिए 801 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। अब

[श्री इराजमू-द-सकैरा]

सरकार को इसी कार्य के लिए 200 लाख रुपये और चाहिएं। इन सभी बातों को देखने से ऐसा लगता है कि वर्ष का बजट बनाते समय असावधानी से काम लिया जाता है। इसी प्रकार एक अन्य विचित्र बात भी बजट में देखने को मिलती है। गुप्त जानकारी के भुगतान करने का अनुमान लगाने तथा भुगतान करने के लिए एक अतिरिक्त पद बनाने तथा उस पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए 666.74 लाख पये की अनुपूरक अनुदान की मांग की गई है। अब जब कि स्वेच्छा प्रकटन योजना आरम्भ कर दी गई है तो फिर तथाकथित जानकारी का क्रय: पूर्णतया अनावश्यक लगता है।

प्रत्येक वर्ष आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा करदाताओं को इस आशय: के नोटिस जारी किये जाते हैं कि उन्होंने अपने करों का भुगतान नहीं किया है जबकि वस्तुस्थिति यह होती है कि वह करों का भुगतान पहले ही कर चुके होते हैं। अत: मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में अनुदेश जारी करने चाहिए। देश के प्रत्येक आयकर सर्किल में प्राप्त भुगतानों के सम्बन्ध में अद्यतन रिकार्ड तैयार करने का कार्य जोरदार ढंग से आरम्भ किया जाना चाहिए।

दिल्ली के लिए 3 अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों के लिए अनुदान की मांग की गई है। क्या सरकार को यह पहले मालूम नहीं था कि दिल्ली की समस्याओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। सरकार अपनी योजनायें किस प्रकार बनाती है।

लक्षद्वीप का बजट बनाने का दायित्व केन्द्र सरकार का है क्योंकि वहां विधान सभा नहीं है। वहां के राजस्व तथा पूंजी सम्बन्धी लेखे का कोई व्यौरा नहीं दिया गया है अपितु केवल तदर्थ धनराशि की व्यवस्था की गयी है। क्या प्रजातंत्र को बचाने तथा संसद् की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार करने का यही तरीका है? अधिकांश पूंजी निवेश सभा की अनुमति के बिना ही कर दिया गया है।

वे बसें खरीदना चाहते थे। उन्होंने बिना मंजूरी के 642 बसें खरीद लीं। अब वे 9.85 करोड़ के व्यय पर सभा की मोहर लगवाना चाहते हैं। लोकतंत्र की तो समाप्ति ही हो गई। अनुपूरक मांगें ऐसे व्ययों के बारे में होनी चाहिए जिनके बारे में पहले से सोचा न जा सके। इस प्रकार की क्रियाएं संसद् तथा प्रजातंत्र का मजाक हैं।

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों का धन्यवाद करती हूं। **(व्यवधान)**

श्री एच० म० पटेल : यह महत्वपूर्ण मामला है। मैं थोड़ा समय चाहता हूं।

सभापति महोदय : सभा की यह प्रथा रही है कि जो सदस्य बोलना चाहते हैं वे लिखकर चिट भेजते हैं।

श्री पी० जी० मावलंकर : चार घंटे दिये गये थे।

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं चाहता हूं कि दस मिनट सदस्यों को दिये जायें। मंत्री महोदय को 6 बजे के बाद 10 मिनट दे दिये जायें। माननीय सदस्य सहयोग दें। कल रेल बजट पेश होना है।

सभापति महोदय : मैं आज ही माननीय सदस्यों को समय देना चाहता हूं।

श्री एच० एम० पटेल : अनुपूरक मांगों को दो मिनटों में पारित करने के लिए कहा जा रहा है।

यदि मंत्री महोदय वास्तव में श्री सेकैरा के तर्कों का उत्तर देना चाहते हैं तो वह इतने थोड़े समय में न्याय नहीं कर सकते।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मंत्री महोदय चाहते हैं कि 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की अनुपूरक मांगें एक घंटे में पारित कर दी जायें। तो क्या आप इस प्रकार संसद् को अधिक अनुशासित बनाना चाहते हैं। "बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं" ही लोकतंत्र का वास्तविक सिद्धान्त है। परन्तु आज हमें प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं मिलता। यह बड़ी गलत नीति है।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियो की पेंशन बढ़ाने के लिए दिये गये तर्कों का मैं पूरी तरह समर्थन करता हूं। यदि सरकार ने वर्तमान कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की इतनी किश्तें दी हैं तो यह स्वाभाविक ही है कि भूतपूर्व सरकारी कर्मचारी, जो 70 या 80 या 90 वर्ष के हैं 40 रुपये या 50 रुपये से गुजारा नहीं कर सकते, क्योंकि यह बहुत ही कम राशि है।

देश की स्वतंत्रता के पश्चात् बहुत से महापुरुषों की स्मृति में डाक टिकट जारी नहीं किये गये हैं। मैं उनकी लम्बी सूची न देते हुए गुजरात के तीन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कहूंगा, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक श्री त्रिभुवन दास गुज्जर थे, दूसरे राष्ट्रीय आन्दोलन के अग्रणी स्वर्गीय इन्दु लाल याज्ञनिक तथा तीसरे स्वर्गीय विद्या गौरी नीलकंठ थीं जिनकी इस वर्ष जन्म शताब्दी है। इनके सम्मान में डाक टिकट जारी नहीं किये गये हैं। बहुत से अन्य महान व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक विकास विशेषत: संसदीय संस्थानों के विकास में भारी योगदान दिया है, को भुला दिया गया है। यह लोग प्रसिद्धि के लिये आप के डाक टिकटों पर निर्भर नहीं करते परन्तु विश्व को उनके बारे में जानकारी दी जानी चाहिए।

कालेजों के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गैर-अध्यापन कर्मचारियों को भुगतान के लिये सरकार ने अनुपूरक मांगें रखी हैं। इसलिये सरकार बधाई की पात्र है क्योंकि कम से कम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न कालेजों तथा विश्वविद्यालयों के गैर-अध्यापन कर्मचारियों के हितों की देखभाल की गई है। शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, पुस्तकाध्यक्ष आदि अध्यापकों की ही तरह महत्वपूर्ण हैं। किन्तु वे अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के बीच पड़े हुए थे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अधिक धन देकर सहायता करनी चाहिए।

कर वसूली का उल्लेख भी किया गया है। सदन को यह बताया जाये कि पिछले वर्ष कितने छापे मारे गये और जिनका दोष सिद्ध हो गया है क्या उन्हें दण्ड दिया गया है। यदि हां, तो किस प्रकार का दण्ड दिया गया है।

गुजरात के अन्दर पोरबन्दर में तूफान से घोर विपत्ति आई तथा अन्य स्थान भी इससे प्रभावित हुए। केन्द्र द्वारा अग्रिम सहायता के रूप में राज्य को कुछ करोड़ रुपये की राशि दी गई है। लेकिन यह राशि तो गुजरात प्रशासन की आवश्यकताओं का एक छोटा सा अंश मात्र है।

[श्री पी० जी० मावलंकर]

गुजरात में कैंसर अस्पताल, आंखों का अस्पताल तथा अन्य शोध संस्थान जैसी अनेक संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। उन्हें केन्द्र से पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।

मंत्री महोदय को स्मरण होगा कि कुछ सप्ताह पूर्व उन्होंने आश्वासन दिया था कि सरकार परिवार नियोजन कार्यक्रमों का अध्ययन करेगी। मैंने इस बारे में एक अखिल भारतीय गोष्ठी का सुझाव दिया है जिसमें संसद् सदस्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

पृष्ठ 52 पर मंत्रियों के दौरों का उल्लेख किया गया है और अनुपूरक मांगों में मंत्रियों के दौरों की व्यवस्था करने के लिए आग्रह किया गया है क्योंकि मंत्रियों को अचानक बहुत से दौरे करने पड़ जाते हैं। अब मंत्रियों के साथ बहुत बड़ा अमला दौरों पर जाने लगा है। दौरों के इस प्रकार के खर्चों में कटौती की जानी चाहिए।

आकाशवाणी इतनी अलोकप्रिय होती जा रही है कि यह निष्क्रिय ही नहीं बल्कि घातक रूप से धोखा देने वाली भी बनती जा रही है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं वाद-विवाद में भाग लेने वाले सदस्यों को पुन: धन्यवाद देती हूं। मैं श्री सेकैरा का विशेष रूप से धन्यवाद करती हूं क्योंकि उन्होंने कहा था कि "मैं अमुक व्यक्ति की ओर से आरोप लगाता हूं"।

सभापति महोदय : आप कल अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोकसभा 12 मार्च, 1976/22 फाल्गुन, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till elevent of the clock on Friday March, 12, 1976/ Phalguna 22. 1897 (Saka)

अ० प्र० भा० स० मु० न० दि०—रा० स० II—2-7-1976—200